लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[पाँचवाँ सत्र
Fifth Session]

Preservation Unit.
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 19 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 17–बुधवार, 14 अगस्त, 1968/23 श्रावण, 1890 (शक)

No. 17—Wednesday, August 14, 1968/Sravana 23, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
481	1968-69 के लिए केरल के लिए वार्षिक योजना परिव्यय	Annual Plan Outlay for Kerala for 1968-69	1143-1146
482	आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Newspaper by Government of Andhra	1146-1152
483	चौथी योजना में उड़ीसा के लिए नियत राशि	Fourth Plan Allocation for Orissa	1152-1156
485	चीन द्वारा नागाओं की सहायता	Help to Nagas by China ...	1156-1159
486	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा ट्रांजिस्टरों का निर्माण	Transistors Manufactured by Bharat Electronics Ltd., Bangalore	1159-1160

अ. सू. प्र. सं./S. N. Q. No.			
5	बरौनी तेल शोधक कारखाने से तेल का तालाब में बहना	Flow of Barauni Oil into Pond	1160-1165

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. सं./S. Q. No.			
484	संसद सदस्यों के लिये टेलीविजन सैट	T.V. Sets for M.Ps.	1165-1166
487	प्रतिरक्षा मंत्रालय में कर्मचारियों के बारे में सर्वेक्षण	Survey of Staff in Defence Ministry ..	1166

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

S. Q.Nos.	विषय	Subject	Pages
488	जासूसी विमानों की उड़ानों का पता लगाने के लिए राडार व्यवस्था	Radar System to detect Spy Flights	1166-1167
489	विद्रोही नागाओं के साथ मुठभेड़ों में हताहतों की संख्या	Casualties in Encounters with Rebel Nagas ..	1167
490	खाद्य निरीक्षण संगठन	Food Inspection Organisation ...	1168
491	संयुक्त अरब गणराज्य-इजरायल युद्ध के दौरान जब्त किया गया माइलो	Milo seized during UAR-Israel War ..	1168
492	स्पाट लाइट कार्यक्रम	Spot Light Programme ..	1169
493	हिन्दू नामवाले व्यक्तियों का कराची में प्रवेश निषेध	Persons having Hindu names not permitted to enter Karachi	1169
494	चीनी राजदूतावास के अधिकारियों को कलकत्ता जाने की अनुमति	Permission given to Chinese Embassy Officials to visit Calcutta	1169-1170
495	खाद्य निरीक्षण संगठन	Food Inspection Organisation	1170-1171
496	प्राइवेट अमरीकी नागरिक द्वारा शिमला में हैलीकाप्टरों का बनाया जाना	Building of Helicopters at Simla by a Private U.S. Citizen ...	1171
497	उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल के परिणाम के बारे में सूचना	News about U.P. High School Examination Results	1171-1172
498	आकाशवाणी के आंग्लीय उच्चारण वाले वाचक (एलाउन्सर्स)	Anglicized Announcers in A.I.R. ..	1172
499	स्वेज नहर	Suez Canal	1172
500	कृषि-आर्थिक क्षेत्रीय अध्ययन	Agro-economic Field Studies	1173
501	चौथी योजना बनाने के बारे में जनता के विचार जानना	Ascertaining of people's Views for Fourth Plan Formulation	1173-1174

प्रश्नों के लिखित उत्तर जारी/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

ता.प्र.संख्या / S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
502	राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों का बसाया जाना	Resettlement of Ex-servicemen in Rajasthan	1174
503	मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों का विकास	Development Advisi Areas in Madhya Pradesh ...	1175
504	नागालैंड में ईसाइयों को सहायता	Aid to Christians in Nagaland	1175–1176
505	नागालैंड के राज्यपाल की लन्दन यात्रा	Visit of Nagal and Governor to London ...	1176
506	जिब्राल्टर के भारत मूलक लोग	People of Indian Origin in Gibralter ...	1176
507	भारत में 'केयर' संगठन के कार्य	Activities of CARE in India	1177
508	परमाणु आक्रमण से बचाव	Protection Against Nuclear Attack.. ...	1177
509	नागालैंड के राज्यपाल के साथ श्री फिजो तथा पादरी स्काट की मुलाकात	Meeting of Mr. Phizo and Rev. Scott with Nagaland Governor	1178
510	भारत चीन संघर्ष के दौरान कलिंग एयर लाइन्स द्वारा प्रतिरक्षा सामग्री की सप्लाई	Supply of Defence Material by Kalinga Airlines during Sino-Indian Conflict ...	1178
अ. प्र. सं /U.S.Q.Nos.			
4002	मिग विमानों के एककों पर व्यय	Expenditure on Units of MIG Aircrafts ...	1178-1179
4003	बर्मा सरकार द्वारा जब्त की गई भारतीयों की आस्तियां	Assets of Indians Confiscated by Burmese Government	1179
4004	पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों के परिवारों के साथ बर्ताव	Treatment of Members of Families of Indian Diplomats in Pakistan	1179–1180
4005	बागडोगरा हवाई अड्डे के लिए भूमि का अर्जन	Acquisition of Land for Bagdora Air-field	1180

U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
4006	पाकिस्तान का गिलगित क्षेत्र पर अधिकार	Pakistan's Authority on Gilgit Area ..	1180-1181
4007	1968-69 की केरल की योजना	Kerala Plan for 1968–69	1181
4008	एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अफसर	Emergency Commissioned Officers...	1181–1183
4009	एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अफसर	Emergency Commissioned Officers.. ..	1183
4010	एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अफसरों का सेवा मुक्त किया जाना	Release of Emergency Commissioned Officers	1184
4011	पाकिस्तान में अणु बिजली संयंत्र	Nuclear Power Plants in Pakistan ..	1184
4012	उत्तर प्रदेश की भूमि के आंकड़ों में अन्तर	Discrcpaney in Land Statistics of Uttar Pradesh	1185
4013	कोको द्वीप	Coco Island ...	1185
4014	एशिया फाउंडेशन प्रतिष्ठान	Asia Foundation	1186
4015	सिक्किम और भूटान में शिक्षा संस्थाओं के लिये अनुदान	Grants for Educational Institutions in Sikkim and Bhutan	1186–1187
4016	राज्यों की प्रति व्यक्ति आय और व्यय	Per Capita Income and Expenditure of States	1187
4017	प्रतिनिधिमंडलों, मंत्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों का विदेश का दौरा	Visits by Delegations, Ministers, Officials Abroad	1187
4018	विदेशों से हथियार प्राप्त करने के लिये नागाओं द्वारा अनुरोध	Naga's Request for Acquisition of Arms from Foreign Countries	1187–1188
4019	अमरीकी नौ-सैनिक अड्डे बनाने के लिए हिन्द महासागर का सर्वेक्षण	Survey of Indian Ocean for U.S. Naval Bases	1188

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4020	वैमानिक (एयरोनाटिक्स) संबंधी समिति	Committee on Aeronautics	1188
4021	निजाम हैदराबाद द्वारा भूमि की खरीद	Purchase of Land by Nizam of Hyderabad	1189
4022	ब्रिटेन का आप्रव्रजन अधिनियम	U.K. Immigration Act ..	1189
4023	उड़ीसा में ठेके पर काम करने वाले कलाकार	Contract Artistes in Orissa ...	1189–1190
4024	केप टाउन में हृदय के शल्य चिकित्सकों की गोष्ठी	Seminar of Heart Surgeons at Cape Town	1190
4025	भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच सहयोग	Indo-U.A R. Collaboration	1190–1191
4026	रूस द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सामान देना	Military Supplies by USSR to Pakistan ...	1191
4027	खाद्य निरीक्षण संगठन	Food Inspection Organisation –	1191–1192
4028	खाद्य निरीक्षण संगठन	Food Inspection Organisation	1192
4029	भारतीय सैनिकों को आक्रमणकारी सामरिक नीति में प्रशिक्षण	Training to Indian Forces in offensive strategy .. –	1192
4030	उत्तर प्रदेश के लिये पर्वतीय क्षेत्र विकास बोर्ड	Hill Development Board for U.P.	1192–1193
4033	चलचित्रों सम्बन्धी सेन जांच समिति	Sen Enquiry Committee on Films	1193–1194
4034	चीनी पुस्तक के मानचित्रों में भारतीय राज्य क्षेत्र को चीनी राज्यक्षेत्र के रूप में दिखाना	Maps in Chinese book showing Indian Territory as Chinese Territory	1194
4035	यूनाइटेड स्टेट्स न्यूज एन्ड वर्ल्ड रिपोर्ट के सम्वाददाता के निष्कर्ष	Findings of Press, Correspondent of U.S. News and World Report	1195

प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U.S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4036	मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि	Land for Ex-Servicemen in Madhya Pradesh ...	1195
4037	तटस्थ नागाओं द्वारा नये राजनैतिक दल की स्थापना	New Political Party by Neutral Nagas	1195-1196
4038	पश्चिम जर्मनी द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	Supply of Arms by West Germany to Pakistan .. —	1196
4039	भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र द्वारा नये बीज	New Seeds by Bhabha Atomic Research Centre — ...	1196-1197
4040	रेडियेशन के द्वारा नरम लकड़ी को सख्त लकड़ी में बदलना	Conversion of Soft Wood into Hard Wood by Radiation	1197
4041	री-एक्टरों का निर्माण	Construction of Reactors	1197
4042	भारत की सहायता से बना बराटनगर (नेपाल) में हवाई अड्डा	Airport at Biratnagar (Nepal) Built with Indian Assistance	1198
4043	राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों को पुनः बसाना	Resettlement of Ex-Servicemen in Rajasthan ...	1198
4044	सैनिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम	Medium of Instruction in Sainik Schools...	1198-1199
4045	बंगलौर के एक गांव में निशानेबाजी की रेंज	Shooting Range in a village in Bangalore..	1199
4046	रानी गायदलु को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Rani Guidallo ..	1199
4047	भारत की विदेश नीति के बारे में गलत धारणायें	Misconception about Indian's Foreign Policy	1200
4048	पाकिस्तान को रूस द्वारा परमाणु उपकरणों की सप्लाई	Soviet Nuclear Equipment for Pakistan ..	1200

अता.प्र.संख्या./U S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4049	रेडियो मास्को से भारतीय भाषाओं में तथा आकाशवाणी से रूसी भाषाओं में प्रसारण	Broadcasts in Indian Languages from Radio Moscow and vice-versa	1200–1201
4050	अमरीका में भारत के लिये काम करने वाले जन सम्पर्क निकाय	Public Relations Bodies for India in U.S.A.	1201
4051	भारत द्वारा आण्विक हथियार बनाये जाने के बारे में चीन का प्रचार	Chinese Propaganda about Manufacture of Atomic Weapons by India	1201
4052	बेकार मोटर गाड़ियों की भूतपूर्व सैनिकों को बिक्री	Sale of Unserviceable Vehicles to ex-Servicemen ...	1201–1202
4053	रानी गायदेलु का नजरबन्द किया जाना	Detention of Rani Guidallo ...	1202
4054	नजरबन्द रानी गायदेलु को दी गई सुविधायें	Facilties given to Rani Guidallo under Datention	1202
4055	रानी गायदेलु का नजरबन्द किया जाना	Detention of Rani Guidallo	1202
4056	आयुध कारखाने द्वारा लुबे तेल के बैरलों का निर्माण	Manufacture of Lube Oil Barrels by Ordnance Factory ...	1203
4057	उर्वरक उत्पादन के लिये परमाणु शक्ति	Atomic Energy for Fertilized Production ...	1203-1204
4058	वाणिज्यिक प्रसारण	Commercial Broadcasts	1204
4059	वियतनाम में शान्ति के लिये भारत द्वारा मध्यस्थता	Mediation by India for Peace in Vietnam...	1205
4060	पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा लगाये गये आरोप	Charges by Pakistan Foreign Minister ..	1205
4061	आर्थिक और सामाजिक परिषद् का अधिवेशन	Session of the Economic and Social Council	1205–1206

4062	रुस के विरुद्ध चीन का आरोप	Accusation by China against U.S.S.R.	1206
4063	अमरीका की प्रतिनिधि सभा में भारत की आलोचना	Critical of India in the House of Representatives, U.S.A.	1206-1207
4064	हिमाचल प्रदेश में सड़कें	Roads in Himachal Pradesh	1207-1208
4066	पार-पत्र जारी करना	Issue of Passports	1208
4067	पत्रकारों द्वारा पन्तनगर का दौरा	Journalists Visit to Pantnagar ...	1208-1209
4068	सिक्यांग-गिलगित सड़क	Sinkaing-Gilgit Road ...	1209
4069	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री का नागालैंड का दौरा	Visit to Nagaland by Deputy Minister of External Affairs	1209-1210
4070	वर्मा में नजरबन्द भारतीय राष्ट्रजनों का स्वदेश प्रत्यावर्तन	Repatriation of Indian Nationals detained in Burma	1210
4071	देश से बाहर बनी नागा सरकार को चीन का समर्थन	Support by China to Naga Government in Exile	1211
4072	युगोस्लाविया द्वारा पाकिस्तान को दिया गया ऋण	Loan Given by Yugoslavia to Pakistan	1211
4073	नाइजीरिया से बिआफा का पृथक होना	Separation of Biafra from Negeria	1211-1212
4074	आन्ध्र प्रदेश में समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध	Restriction on the freedom of Press in Andhra Pradesh	1212-1213
4075	दिल्ली में शिक्षा पा रहे विदेशी विद्यार्थियों में भारत विरोधी भावना	Anti-Indian feeling amount foreign Students studying in Delhi ...	1213
4076	काश्मीर समस्या के हल के बारे में रुस का सुझाव	U.S.S.R. Suggestion Re. Solution of Kashmir Problem ...	1213

4077	खान अब्दुल गफ्फार खां की भारत यात्रा	Visit of Khan Abdul Gaffar Khan in India	1213–1214
4078	श्री वी. के. कृष्ण मेनन द्वारा विदेशों के दौरे	Visits abroad by Shri V.K. Krishna Menon	1214
4079	मसानी समिति का प्रतिवेदन	Masani Committee Report	1214–1215
4080	सेना अधिनियम	Army Act	1215
4081	दानापुर छावनी के कर्मचारियों के लिये मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance to Employees of Danapur Cantt.	1215–1216
4082	भारतीय सेना में भर्ती	Recruitment to Indian Army	1216
4083	दानापुर छावनी	Danapur Cantonment	1216-1217
4084	निःशस्त्रीकरण सम्मेलन	Disarmament Conference	1217
4086	विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग	Indians living abroad	1217–1218
4087	ईरान तथा तुर्की द्वारा पाकिस्तान को युद्ध सामग्री की सप्लाई	Supply of war Material by Iran and Turkey to Pakistan	1218
4088	इसापुर जांगी में गोलाबारूद के डिपो के लिए भूमि का अर्जन	Acquisition of Land in Isapur Jaugi for an Ammunition Depot	1218–1219
4090	नागाओं के बारे में पीकिंग रेडियो से प्रसारण	Peking Radio Broadcast on Nagas	1219
4091	विद्रोही मिजो लोगों द्वारा वर्मा के सीमा सुरक्षा दल का रोंद डाला जाना	Over-running of Burmese Border Security Force by Mizo rebels	1219–1220
4092	आण्विक अस्त्र अप्रसार सन्धि	Nuclear non-proliferation treaty	1220
4093	सैनिक स्कूल	Sainik Schools – ...	1220–1221
4094	सैनिक स्कूल, पुरुलिया	Sainik School, Purulia – ...	1221–1222

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
4095	बर्मा और भारत के उत्तरी भागों में एक साम्यवादी राज्य स्थापित करने के चीन के इरादे	Chinese designs of a Communist State in Northern Regions of Burma and India..	1222-1223
4096	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी	National Defence Academies ...	1223-1224
4097	मास्को के लिये भारतीय भाषाओं के प्रसारण कर्ता	Indian Language Broadcasters for Moscow	1224-1225
4099	चीन को विरोध पत्र	Protest Notes to China ...	1225
4100	विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान द्वारा हथियाया गया क्षेत्र	Area taken over by Pakistan after Partition	1225-1226
4101	आकाशवाणी के पटना केन्द्र से बांजिका भाषा के कार्यक्रम	Programme in Bajjika Language from Patna Station of AIR	1226
4102	आकाशवाणी केन्द्र, मोतिहारी	A.I.R. Station, Motihari –	1226
4103	राजकोट तथा कलकत्ता के लिए अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटर	High Power Transmitters for Rajkot and Calcutta	1226-1227
4104	प्रतिरक्षा कारखानों में भूख हड़ताल	Hunger Strike in Defence Workshop ...	1227
4105	सैनिक भूमि तथा छावनी सेवा नियम, 1951	Military Lands and Cantonment Service Rules, 1951	1227-1228
4106	गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता	Garden Reach Workshop. Calcutta	1228
4107	सिक्किम सीमा पर चीनी सेना का भारत विरोधी प्रचार	Chinese Army's Anti-Indian Propaganda on Sikkim Border	1228
4108	लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग	Indian High Commission in U.K. – ...	1228-1229

4109	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in External Affairs Ministry	1229
4110	प्रधान मंत्री के अधीन विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes/Tribes Employees in Departments under Prime Minister ..	1229
4111	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes/Tribes Employees in Information and Broadcasting Ministry	1230
4112	प्रतिरक्षा मंत्रालय में असैनिक कर्मचारी	Civilian Employees in Defence Ministry ...	1230
4113	संयुक्त राष्ट्रसंघ को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी	I.C.S. Officers Deputed to U.N.O.... ...	1230-1231
4114	भूटान और सिक्किम को सहायता	Aid to Bhutan and Sikkim	1231-1232
4115	मूल्य सम्बन्धी बुलेटिन	Price Bulletins ...	1232-1233
4116	कनिष्ठ सैनिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अन्य सैनिक कर्मचारियों की पेंशन	Pension of Junior Commissioned Officers and other Ranks	1233
4117	वाणिज्य और औद्योगिक विकास मंत्रालय का विलय	Merger of Commerce and Industrial Development Ministries	1233
4118	तोपखाना अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु	Retirement Age of Artillery Officers ...	1233-1234
4119	चीन द्वारा माउंट एवरेस्ट का नया सर्वेक्षण	New Survey of Mount Everest by China ..	1234

4120	कोरूकौंडा सैनिक स्कूल	Korukonda Sainik School	1234–1235
4121	पश्चिम जर्मनी के साथ करार	Agreement with West Germany	1235–1236
4122	केरल में इल्मेनाइट के निक्षेपों का सर्वेक्षण	Survey of Limenite Sand Deposits in Kerala	1236
4123	स्थान विक्रय एकक	Space Selling Unit ...	1236–1237
4124	वैदेशिक प्रचार सम्बन्धी प्रसारण	External Publicity Broadcasts ..	1237
4125	मैसूर राज्य की सेवाओं में सेवा मुक्त किये गये सैनिक कर्मचारियों को प्राथमिकता	Preference for Demobilised Army Personnel in State Services	1237
4127	प्रादेशिक सैनिक छावनी, भुवनेश्वर	Regional Army Cantonment, Bhubaneshwar	1238
4128	पूर्व चेतावनी व्यवस्था	Early warning system	1238–1239
4129	मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के असैनिक क्लर्कों की सेवा मुक्ति	Discharge from Service of Civilian Clerks of Madras Regimental Centre	1239
4131	मनीपुर के क्षेत्रों का नागालैंड के साथ विलय	Merger of Areas of Manipur with Nagaland	1239–1240
4132	गवेषणा तथा विकास परिषद्	Research and Development Council	1240
4133	जेट विमान इंजनों का निर्माण	Manufacture of Jet Engines ...	1240-1241
4134	मिग विमान कारखाना समूह	Mig Comples	1241
4135	मिग-21 फैक्टरियां	MIG-21 Factories	1241
4136	दिल्ली में टेलीविजन सैट	Television Sets in Delhi	1242
4137	चलचित्रों के वितरण का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Distribution of Films ...	1242–1243

अता. प्र. संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4138	कानपुर के शार्ट वेव ट्रांसमीटर	Short Wave Transmitter for Kanpur	1243
4139	नये सिनेमा-गृह अभियान	New Cinema Movement	1243
4142	हिन्द महासागर में रूसी नौसेना के जहाजों की गश्त	Patrolling by Soviet Naval Ships in Indian Ocean	1244
4143	राजस्थान में परिवहन साधन	Means of Transport in Rajasthan	1244
4144	पाकिस्तान में नजरबन्द त्रिलोक चन्द्र के लिए कानूनी सहायता	Legal Aid for Trilok Chandra detained in Pakistan	1244–1245
4145	पीकिंग स्थित भारतीय दूतावास में चीनी कर्मचारी	Chinese Officials in Indian Embassy in Peking	1245–1246
4146	"रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस" से प्रसारण	Broadcasts from 'Radio Peace and Progress'	1246
4147	हरियाणा तथा उ०प्र० में आणविक अनुसंधान केन्द्र	Nuclear Research Stations in Haryana and U.P. ...	1246
4148	राजनयिक पारपत्र	Diplomatic Passport	1247
4151	चलचित्रों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by export of Films	1247
4152	निर्यात के लिये फिल्में	Export of Films	1247–1248
4153	नागाओं तथा मिजो के बारे में चीन द्वारा प्रचार	Chinese Propaganda about Nagas and Mizos	1248
4154	सहकारी आधार पर सिनेमा घरों का निर्माण	Construction of Cinemas on Cooperative basis	1248
4155	हाशिमारा में हवाई अड्डे के लिये भूमि का अर्जन	Acquisition of Land for Airport at Hashimara	1249
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1249

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में भारतीय बस्तियों में भारतीय पुलिस कर्मचारियों को प्रवेश करने की अनुमति देने से पाकिस्तान द्वारा इन्कार किया जाना	Pakistani's refusal to allow Indian Policemen to enter Indian enclaves within its territory ...	1249–1250
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Paper Laid on the Table	1251–1252
राज्य-सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha ...	1252–1253
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bill (Contd.)	1253
सभा का कार्य	Business of the House	1253–1255
न्यायाधीश (जांच) विधेयक जारी	Judges (Inquiry) Bill ...	1256–1264
विचार करने के लिए प्रस्ताव	Motion to Consider	1256
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y.B. Chavan ...	1256
खण्ड 2 से 6	Clauses 2 to 6	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	1264
35वां प्रतिवेदन	Thirty-fifth Report	1264
ग्राम आवास विकास सम्बन्धी संकल्प जारी	Resolution re. Rural Housing Development (Contd.)	1264
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireshwar Kalita	1265
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra ...	1265
श्री एस.एम. जोशी	Shri S.M. Joshi ...	1266
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil ...	1266
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa ..	1266
श्री क.ना. तिवारी	Shri K.N. Tiwary	1266
श्री कंडप्पन	Shri S. Kandappan ...	1267

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri ...	1267
श्री नायनार	Shri E.K. Nayanar	1267
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinkar Desai	1268
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	1268
श्री जगन्नाथराव	Shri Jaganath Rao	1268
श्री सु.कु. तापड़िया	Shri S.K. Tapuriah ...	1270
चेकोस्लोवाकिया में आन्दोलन के बारे में संकल्प	Resolution Re. Liberalisation Movement in Czechoslovakia	1270
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy .. –	1270
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	1272
श्री दीवान चन्द शर्मा	Shri D.C. Sharma	1272
श्री ही.ना. मुकर्जी	Shri H.N. Mukerjee	1273
श्री मनोहरलाल सोंधी	Shri M.L. Sondhi ...	1274
पाकिस्तान द्वारा रोके गये भारतीय माल तथा साज सामान के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	Half-an-hour Discussion re. Indian Goods and Equipment held by Pakistan ...	1275
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta ..	1275
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi ..	1276

लोक-सभा

LOK-SABHA

बुधवार 14 अगस्त, 1968/23 श्रावण, 1890 (शक)

Wednesday, August 14, 1968/*Sravana* 23, 1890 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker ***in the Chair***

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

1968–69 के लिए केरल के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

\+

***481, श्री अदिचन :**
श्री नायनार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने 1968–69 के लिए केरल सरकार के वार्षिक योजना परिव्यय में 5.90 करोड़ रुपये की कटौती कर दी है अर्थात् प्रस्ताव 50.17 करोड़ रुपये का किया गया था परन्तु अनुमति 44.27 करोड रुपयों की दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो आयोग ने सैक्टरवार परिव्यय में क्या कटौती की है;

(ग) कटौती किन कारणों से की गई है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) मुख्य मंत्री से विचार-विमर्श करने के बाद, राज्य योजना का आकार 44.27 करोड़ रुपया निश्चित किया

गया है। यह बता दिया गया था कि यदि राज्य सरकार उनको निर्दिष्ट आंकड़ों से अधिक अतिरिक्त साधन जुटाने में समर्थ हो तो राज्य बजट में दी गई साधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य योजना के आकार के बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

(ख)	कृषि कार्यक्रम	81 लाख रुपये।
	सहकार और सामुदायिक विकास	83 लाख रुपये।
	सिंचाई और बिजली	108 लाख रुपये।
	उद्योग और खनिज	34 लाख रुपये।
	परिवहन और संचार	83 लाख रुपये।
	समाज सेवायें	190 लाख रुपये।
	विविध	11 लाख रुपये।

(ग) मुख्यतया, वित्तीय साधनों की बंदिश है।

(घ) अनुमान है कि राज्य सरकार ने आयोग की सलाह मान ली है।

श्री अदिचन : क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या उद्योगों के पिछड़ेपन से यह प्रमाणित नहीं होता है कि राज्य क्षेत्र में अधिक निवेश किया जाये और क्या खाद्य की कमी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश किया जाये ?

श्री ब० रा० भगत : इन सभी घटकों पर विचार किया जाता है और उन पर विचार करने के बाद ही केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

श्री अदिचन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के कार्य के लिये मछली उद्योग में अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है ?

श्री ब० रा० भगत : राज्य सरकार के कार्यक्रम की परियोजनाओं की सूची में गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के कार्य को भी शामिल किया गया है।

श्री नायनार : माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि राज्य द्वारा लगभग 90 लाख रुपये की कटौती पहले ही स्वीकार की जा चुकी है। परन्तु पिछली तीन योजनाओं की अवधि में सरकारी क्षेत्र में लगभग 2852 करोड़ रुपये लगाये गये हैं। इसमें से केवल 27.19 करोड़ रुपये केरल में लगाये गये हैं। जनसंख्या-आधार के अनुसार केरल को 101.07 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त करना चाहिये था। यदि केरल में कुट्टानन्द, त्रिचूर और मालावार क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये अधिक खर्च किये जाते हैं तो हम 2 लाख एकड़ जमीन में दो फसलें तैयार कर सकते हैं और अधिक खाद्य उत्पन्न कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि बाढ़ों के कारण केरल को लगभग 16 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। केरल में समुद्री कटाव भी हैं और खाद्य सहायता से भी इन्कार किया गया है। इन सभी मामलों में केन्द्र ने केरल के प्रति भेदभाव किया है। इसके औद्योगिक क्षेत्र में भी भेदभाव किया गया है। वहां प्रत्येक वर्ष समुद्री कटाव जैसे प्राकृतिक संकट आ जाते हैं। केरल सरकार के सिंचाई विभाग ने केन्द्रीय

सरकार से कल्लाडा, पम्बाशी, कुट्टीयादी और थानिरमुक्कम की सिंचाई योजनाओं का विकास करने के लिये 3 करोड़ रुपये की अपील की है, ताकि हम केरल में अधिक अन्न पैदा कर सकें। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इन सभी बातों पर विचार करेगी और केरल के प्रति भेदभाव समाप्त करेगी और भी.........

अध्यक्ष महोदय : शान्त ! शान्त ! यह सर्वत्र समाप्त किया जाना चाहिये । क्या सरकार भेदभाव समाप्त करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : केरल या किसी दूसरी सरकार के प्रति भेदभाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह किन्ही तथ्यों से प्रकट नही हुआ है। केन्द्रीय परियोजनायें राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता तथा खाद्य सप्लाई का प्रश्न आदि के सम्बन्ध में यदि आप निष्पक्ष रूप से जांच करें तो आपको मालूम होगा कि भेदभाव का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यह भेदभाव माननीय सदस्यों और उनके कुछ मित्रों ने अस्थायी राजनैतिक सुविधा के लिये पदा किया है ......(व्यवधान) ।

श्री नायनार आप संसद में झूठ बोल रहे हैं। तथ्यों से यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है।

श्री ब० रा० भगत : तथ्यों से यह स्पष्टरूप से मालूम होता है और मैं तथ्य देने जा रहा हूँ । केन्द्रीय परियोजनायें लीजिये । केरल में रेअर अर्थ फैक्टरी, एफ० ए० सी० टी० का तीसरे और चौथे चरण में विस्तार, मशीन टूल फैक्टरी, कोचीन रिफाइनरी, कोचीन शिपयार्ड, कोचीन फर्टीलाइजर्स आदि जैसी हमारी अनेक केन्द्रीय परियोजनायें हैं। जब कोचीन फर्टिलाइजर परियोजना पूर्ण रूप से तैयार हो जायेगी तब इससे निवेश में वृद्धि होगी।। केरल में जो भी परियोजना कायम की जा सकती है निःसन्देह वह कायम की जायेगी। किन्तु ये सभी केन्द्रीय परियोजनायें, चाहे यह इस्पात सम्बन्धी हों या अन्य भारी उद्योग सम्बन्धी हों, तकनीकी और आर्थिक पहलू के सिवाय कायम नहीं की जा सकती हैं। यदि माननीय सदस्य बिहार या उड़ीसा में स्थापित एक विशेष परियोजना से, जिसकी लागत 400 करोड़ रुपये या 500 करोड़ रुपये है, मुकाबला करना चाहते हैं और केरल को प्रतिकर दिये जाने के लिये कहते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज केरल में स्थापित नहीं की जा सकती है तो इस पर विचार नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने कहा कि परियोजनायें तकनीकी और आर्थिक आधार पर स्थापित की जाती हैं। जहां तक चौथी योजना का सम्बन्ध है, तो निःसन्देह मैं माननीय सदस्य के साथ हूँ कि परियोजनाओं की स्थापना के बारे में केरल का जो भी वैध दावा है उस पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिये/किया जायेगा ।

केन्द्रीय सहायता को लीजिये ।

केन्द्रीय सहायता एक वह उपकरण है जिससे केन्द्र उस असंतुलन को ठीक बनाने का प्रयत्न करता है जो किसी राज्य की खास दशाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यदि

आप इस पर विचार करें तो केरल में केन्द्रीय सहायता प्रति व्यक्ति 16 रुपये पड़ती है जो कि बहुत ही अधिक है। केवल नागालैंड या काश्मीर या आसाम के मामले में कुछ विशेष कारणों से यह अधिक है। यदि आप मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे किसी अन्य राज्य को देखें तो वहां प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता केरल की अपेक्षा कम है।

श्री नायनार : जी, नहीं।

श्री ब० रा० भगत : हां, यह सच है। यह शोर मचाना कि वहां भेदभाव किया गया है इससे कोई लाभ नहीं है। इन तथ्यों पर विचार किया जाना है। यही चीज खाद्य-सप्लाई पर भी लागू होती है। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। ऐसी कोई भी मदद नहीं है जिसके बारे में केरल के सदस्य तथ्यों और आंकड़ों से यह सिद्ध कर सकें कि वहां कोई भेदभाव किया गया ......(व्यवधान)।

श्री लोबो प्रभु : महोदय, इस देश का यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि इसके एक राज्य में साम्यवादी सरकार है और चूंकि साम्यवादी इस उक्ति में विश्वास करते हैं कि "प्रत्येक को उसकी जरूरतों के अनुसार तथा प्रत्येक से उसके साधनों के अनुसार", तो क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूँ कि क्या इस साम्यवादी सरकार ने अपनी योजना में लोगों की जरूरतें अच्छी तरह से पूरी की हैं और क्या यह अधिक आवश्यक है क्योंकि वे एक उदाहरण पेश कर सकते हैं—दूसरे राज्यों की दूसरी सरकारों की अपेक्षा उन्होंने लोगों के साधनों से अधिक प्राप्त किया है ......(व्यवधान) ?

अध्यक्ष महोदय : हमें दूसरा प्रश्न रखने दो—श्री रामावतार शास्त्री।

श्री लोबो प्रभु : महोदय, क्या मेरे प्रश्न का कोई जबाव नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनेक प्रश्न के लिये कहा है।

Action Against Newspapers by Government of Andhra

*482. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Andhra pradesh have taken action against the newspapers and journals instigating communal feelings;

(b) if so, their names;

(c) the names of newspapers to which the said Government have stopped giving advertisements;

(d) whether it is also a fact that Organiser, Mother India, Nav Bharat Times and Jagriti have not been included in the list of newspapers and journals instigating communal feelings; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

सूचना तथा प्रसार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कई कारणों के आधार पर 19 समाचार पत्रों को विज्ञापन देने बन्द

कर दिये हैं। उदाहरणार्थ :- स्वस्थ आदर्शों तथा नैतिक स्तरों से रहित मुक्त रूप से दूसरे के चरित्र पर कीचड़ उछालना, जनशान्ति भंग करने के लिये जानबूझ कर या किसी अन्य नियत से समाचार तथा विचारों का घटिया, बदनीयत, गलत रूप उपस्थित करना, साम्प्रदायिक शत्रुता का उकसाना, पक्षपाती भावना का प्रोत्साहित करना, कानून द्वारा स्थापित शासन के विरुद्ध अनादर की भावना पैदा करना तथा हिंसा को भड़काना तथा इस प्रकार साम्प्रदायिक मेल-मिलाप में फूट की भावना पैदा करना इत्यादि। इन समाचार-पत्रों के नामों का एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(घ) और (ङ) यह सच है कि 'आर्गनाइजर', 'मदर इण्डिया' तथा 'नव भारत टाइम्स' को सूची में शामिल नहीं किया गया है परन्तु 'जागृति' सूची में शामिल है। सरकारी विज्ञापनों के लिये उपयुक्त पत्र-पत्रिकाओं को चुनना राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1743/68]**

Shri Ramavatar Shastri : This is the most important question. National Integration Conference is just held in June in Kashmir. Then the people of India thought that action would be taken against them who indulge in and spread communalism in the country and efforts would be made to prevent it. But I am sorry to say that the Government are not going to take any action in this regard. He has given me a list submitted by the Andhera Government.

The list contains the names of 19 newspapers. There are 6 newspapers in Telugu, one in Kannda, seven in Urdu, one "Hindu Vijaya" a weekly in Hindi and four in English. It is understood that these newspapers are spreading communalism. But there are also a number of newspapers such as "organiser" and "Panch Janya" in the country which are spreading communalism even after the Kashmir Conference.

Shri Hukam Chand Kachwai : There is 'Blitz' also.

Shri Ramavatar Shastri : There is "Mother India", and "Pratap" in Urdu. Their names are not included in that list. This is the state of affairs of Andhra Government. But may I know from the Government of India whether a list of such newspapers has been prepared as are continuously spreading communalism ?

I would also like to know that in case you have prepared any list of newspapers, then state the names and addresses of the newspapers and the languages in which these newspapers are published ?

Shri Hukam Chand Kachwai : Include the antinational newspapers also therein.

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : This case is in regard to Andhra Pradesh. So far as Government of India are concerned, questions have been asked several times about it and I have given information also. I have stated that we do not give advertisements to these newspapers which are communal. But it is not in the interest of anyone that their names may be laid here.

The action was taken on 18th April. The Conference of Chief Ministers was held in May and there after the Kashmir Conference was also held.

Shri Ramavatar Shastri : It was held on the 13th, A news item is published in 'Patriot'. :

'साम्प्रदायिक घृणा को बढ़ावा—समाचार-पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही ।'

The informatioo is given under this head-line that the Government has taken some action against 'Organiser' "Pratap" "Mother India"&"Al-Jamiyat" If it is so, I would like to know the action taken or proposed to be taken by the Government against these papers.

Shri A. B. Vajpayee : What is the need ?

Shri Ramavatar Shastri : I am asking about the nature of action. The August issue of Mother India is in my hand. Shri Babu Rao Patel, who is its editor, is an M. P. here. In its Editorial part it has been stated that 12.7 per sent muslims, who live here, adopt the profession or vocation of rape, loot and violence. Secondly it has also been stated that there is no secularism in our Constitution. This is the word of Nehruji and the word secularism is used in the Constitution to please the Muslims. May I know whether it has come to the notice of the Government and if so, the reaction of the Government to the editorial and particularly in regard to these two facts ?

Shri K. K. Shah : The honourable Member should know that there are cases pending in courts also. Strong steps have been taken in regard to this. It is not proper for you also to say about any particular case. But you know that cases have been filed in the Courts.

Shri Ramavatar Shastri : You have said nothing the editorial about which I have mentioned.

Shri B. N. Kureel ; What were those articles, which were objectionable and published in the 'Link' and 'Patriot' and due to which action was taken against them ?

श्री के० के० शाह : आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने उस सूची से 'लिंक' और 'पैट्रियट' को अब हटा दिया है ।

Shri A. B. Vajpayee : The bill, which has been placed by the Government of Andhera Pradesh in order to control the Press, is being opposed. May I know whether the central information Minister would advise the Government of Andhra Pradesh that before finalising the Bill that Government should discuss with the Press of Andhera Pradesh so that there may not be difference of opinion to the question of eradication of communalism ? At the same time the wide form which has been given to the Bill, can be made limited and as uniform policy may be adopted to discuss with the Press.

Shri K. K. Shah : This Bill is now with the Select Committee. Different opinions are being expressed by all in the Select Committee and the press has also been asked. We have also drawn the attention that there is a little difference in the Punjab Special Powers Act and in the Bill of Andhra Pradesh and this should be inquired into. When it is given the shape of an Act here, it would not be applicable.

श्री को० सूर्यनारायण : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी अन्य राज्य सरकार ने दूसरे समाचार-पत्रों के विरुद्ध इस प्रकार की कोई कार्यवाही की है; यदि की है तो भारत सरकार ने इसके प्रति अभी तक क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

श्री के० के० शाह : यह एक व्यापक प्रश्न है । हमें समूचे देश के अनेक समाचार-पत्रों से शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ राज्यों ने कार्यवाही की है और उनको विज्ञापन देना बन्द कर दिया है । मुझे यह सब जानकारी इकट्ठी करने में बड़ी कठिनाई होगी ।

Shri George Fernandes : The Hon. Minister has stated that the Government of Andhra Pradesh has withdrawn the restriction imposed on 'Link', 'Patriot' and 'Andhra Jyoti'. It appears that the Government of Andhra Pradesh was wrong in imposing a ban on those papers. Andhra Government has brought special Powers Bill. According to this law the Government wants to take the right to confiscate. According to this they are going to provide that it should get the sanction of some useless officers before it goes for publishing in the Newspaper. It should be published only after it is censored. May I know from the honourable Minister whether two provisions of this new Bill are not against the Constitution and whether the Central Government would advise the Government of Andhra Pradesh that such objectionable things may be removed immediately from that Bill ?

श्री के० के० शाह : हमने पंजाब स्पेशल पावर्स अधिनियम, 1956, जिस पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था तथा जिसे एक नमूने के रूप में स्वतन्त्रता पूर्वक स्वीकार किया गया था, के अन्तर की ओर ध्यान खींचा है। इसलिये हमने यह बताया है कि पुलिस अधिकारी की परिसरों में प्रवेश करने और छानबीन करने की शक्ति, पकड़-धकड़ की तथा अन्य अनेक बातों की शक्ति ...(व्यवधान) पंजाब स्पेशल पावर्स अधिनियम में सेंसेर है।

Shri George Fernandes : That is also wrong. Would the hon. Minister support censorship ?

Shri K. K. Shah : The Hon. Member did not hear my contention and is making complaint. I have told that the Conference of Chief Ministers of all the States was held and they accepted that all should go on this basis and take action accordingly. Government of India are bringing forward a Bill to this effect here. Technically, which is called a pre-censorship. It may come or not but the Minister of Home Affairs met with the editors about this. I was also present there. The conclusions would be placed in the House. Then there would be no use of the Bill because this subject is in the Concurrent List.

श्री अनन्त राव पाटिल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस सभा में इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है कि विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न अधिनियमों के बजाय एक केन्द्रीय अधिनियम हो, यदि ऐसी बात है तो इसे कब तक किया जायेगा ? दूसरी बात यह है कि नरकेसरी प्रकाशन, नागपुर के विभिन्न समाचार-पत्रों में विज्ञापन देना जारी रखने के क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह नागपुर के बारे में पूछ रहे हैं। आप पहले भाग का उत्तर दे सकते हैं।

श्री के० के० शाह : प्रथम भाग के लागू होने की सम्भावना है।

श्री स० मो० बनर्जी : अब चूंकि आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने 'लिंक', 'पैट्रियट' और 'आन्ध्र ज्योति पर से प्रतिबन्ध हटा लिया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह प्रतिबन्ध केवल इस कारण था कि उनके द्वारा कुछ लेख छापे गये थे, जिसमें थिम्मा रेड्डी और उसके

साथियों द्वारा हरिजनों को सताये जाने के कुकृत्यों की निन्दा की गई थी; यदि ऐसी बात है तो क्या केन्द्र ने आन्ध्र प्रदेश की सरकार को कोई अनुदेश दिया है, क्योंकि यह यहां कांग्रेस सरकार के अनुकूल है--यदि वहां वामपक्षीय सरकार होती तो वह उन्हें दण्ड देती, परन्तु वहां कांग्रेस सरकार है इसलिये वह समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता में बाधा पहुँचाने में अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करके उन्हें दण्ड नहीं दे रही है ।

श्री के० के० शाह : यह आरोप सर्वथा गलत है कि चूंकि वहां कांग्रेस सरकार है, इसलिये वहां कांग्रेस सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इस मामले में राज्यों की स्वयं अपनी शक्ति है । जब कभी केन्द्रीय सरकार थोड़ा भी प्रभाव डाल सकती है तो वह प्रभाव डालती रही है परन्तु इसे जो शक्तियां दी गई है उनके बाहर केन्द्र सरकार नहीं जा सकती है ।

श्री स० मो० बनर्जी : 19 पत्रों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । उनमें से 3 पत्रों पर से प्रतिबन्ध वापस लिया गया है । मुझे नहीं मालूम कि क्या यह प्रतिबन्ध माननीय मंत्री महोदय के दबाव डालने, समझाने या सहयोग के कारण वापस लिया गया है । क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या वह समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता को रोकने में सामान्य बुद्धि का प्रयोग करेगी ?

श्री के० के० शाह : मुझे आशा है कि माननीय मित्र ही केवल इस विश्व में सामान्य बुद्धि के अभिरक्षक नहीं हैं । मुझे यह भी आशा है कि वह दूसरों को भी सामान्य बुद्धि का अभिरक्षक बनने देंगे । आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने सदन में कहा है कि 3 महीने के अन्दर उनका ध्यान जिन मामलों की ओर दिलाया जायगा उन पर पुनर्विचार, किया जायेगा । यह इस संशोधन के आधार पर है कि यह कार्यवाही की गई है । इससे यह पता चलता है कि उनका दिमाग खुला है और वे सब कुछ सुनने को तैयार हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के हेतु सामान्य बुद्धि के एकाधिकार पर मेरा दावा कभी नहीं रहा । परन्तु जब सामान्य बुद्धि वितरित की जा रही थी तब मन्त्री महोदय सबसे पीछे खड़े हुए थे ।

श्री विक्रम चन्द्र महाजन : राज्यों द्वारा शक्ति को स्वेच्छा पूर्वक प्रयोग किये जाने को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मन्त्री महोदय एक संसदीय समिति नियुक्त करना चाहते हैं, जो विभिन्न समाचार पत्रों की परेशानियों सम्बन्धी शिकायतों का मसौदा तैयार कर सकें या जो उनकी छानबीन कर सके और दूसरी बात यह है कि क्या मन्त्री महोदय यह विचार करेंगे कि क्या अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की एक उच्चाधिकारी प्राप्त समिति नियुक्त की जायेगी जो यह निर्णय दे सके कि क्या पत्रों पर प्रतिबन्ध आदि लगाया जाना चाहिये ?

श्री के० के० शाह : यह समवर्ती सूची में है । ज्योंही संसद में यह विधेयक पास हो जाता है, जैसा कि मैंने कहा यह लागू किया जायेगा ।

Shri Jagannath Rao Joshi : This question was brought in the National Integration Council that the advertisements and the newsprint quota of such newspapers as spread communal tensions and hatred should be stopped. At the same time it was suggested that the newspapers which are found guilty after a legal action, action should be taken

against them only. Among the names which are given in this list there is one "Prajavani" also which is a famous paper of Karnatak and which gets reward every year for its fine printing and editing etc. Similarly I know myself about another paper "Jagriti" also included in the list that it is a good weekly From 'Patriot' and 'Link' dogs and even rain gods have been included in the list. If this right went into the hands of the Government then the right to stop the advertisements and newsprint quotas to such newspapers as would write against the Government will be taken by the Govt. May I know whether the Govt. of Andhra Pradesh has not acted against the suggestion which was given in the National Integration Council and whether the Central Govt. has drawn their attention to this matter ?

Shri K. K. Shah : This action was taken on the 18th April, 1968, before the meeting of National Integration Council was held in Kashmir. It is true that it was decided that after filing a suit in the Court, if offence is proved against some newspaper, the action should be taken against them. The action would be taken in accordance with whatever we accept together under the new act that would be enforced.

Shri Sheo Narayan : Why those papers which published the atrocities committed against the Harijans in Andhra Pradesh were banned ? Is that also a communalism?

Shri K. K. Shah : The Chief Minister has not only given the basis of communalism in his statement. He has given some more reasons also.

Shri S.M. Joshi : The information, which has been received by the honourable Minister, from the Govt. of Andhra Pradesh, has been given to this House. May I know from him whether he has also enquired from the Govt. of Andhra Pradesh as to why the names of the newpapers which are given here, have been black-listed. Later on the Govt. of Andhra Pradesh has acquitted three papers. May I know whether the Govt. are making any efforts in regard to the rest of the newspapers and whether they have told the Govt. of Andhra Pradesh that we do not like this thing, and they should also be acquitted ?

Thus it is asked in the question-

"यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?"

I do not want to go into detail bacause you would say that it was not proper to give this information. But I would certainly like to know as to wny they had been banned and black listed . May I know whether you are discussing further with them ?

Shri K. K. Shah : I have stated that not only one reason but ten or twelve reasons have been given. It has been said "some of them". But it has been told that the representation, which would be received within three months would be considered after its reexamination as to whether the action taken by us is right or wrong and such action is being taken.

श्री दिनकर देसाई : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आंध्रप्रदेश में कोई प्रेस सलाहकार परिषद है और क्या दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही परिषदें हैं ? यदि वहां ऐसी सलाहकार परिषदें नहीं हैं, तो क्या माननीय मन्त्री महोदय एक केन्द्रीय विधान पेश करेंगे जिसमें यह व्यवस्था होगी कि प्रत्येक राज्य में एंव केन्द्र में ऐसी प्रेस सलाहकार परिषद् होनी चाहिये और किसी समाचार-पत्र के विरुद्ध तब तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये जब तक कि मामला प्रेस सलाहकार परिषद के समक्ष उसकी राय जानने के लिये न लाया जाये ?

श्री के० के० शाह : इस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है किन्तु इस पर कुछ विचार किया जा रहा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : न होने से थोड़ा होना अच्छा होता है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मन्त्री महोदय ने यह कहा कि आंध्र सरकार प्रत्येक दो महीने या तीन महीने में पुनर्रक्षण करती है । इस समय लगभग पांच पत्र अलग किये गये हैं ... (व्यवधान) पांच से अधिक पत्र अलग किये गये हैं । उत्तर पूरा नहीं है । जो कुछ मैं जानना चाहता हूँ वह यह है कि क्या इस जांच के परिणामस्वरूप इन्हें अलग किया गया है, या यह कहना कि कार्य कुछ अधिक विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिये, क्या एक आक्षेप है ?

श्री के० के० शाह : 15 जुलाई, 1968 को मुख्य मन्त्री ने सदन में एक वक्तव्य दिया था और कहा था कि अभ्यावेदन करने पर जांच की जा रही है और उस जांच के फलस्वरुप ये पत्र अलग कर दिये गये हैं ।

चौथी योजना में उड़ीसा के लिये नियत राशि

*483. **श्री चिन्तामरिण पारिणग्रही** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में उड़ीसा के लिये नियत की जाने वाली राशि पर राज्य सरकार से विचार विमर्श हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार द्वारा योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार को भेजे गये चौथी योजना के कार्यक्रमों का व्यौरा क्या है ;

(ग) उसमें कितना योजना परिव्यय दिखाया गया है ;

(घ) राज्य से कितने संसाधन जुटाने का प्रस्ताव किया गया है ; और

(ङ) क्या उड़ीसा के लिये अस्थायी योजना परिव्यय के बारे में निर्णय कर लिया गया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य सरकार से चौथी पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों की इन्तजारी की जा रही है ।

(ग) से (ङ) : फिलहाल यें प्रश्न नही उठते ।

श्री चिन्तामरिण पारिणग्रही : 1964 से तलधर उद्योग समूह का प्रश्न भारत सरकार के पास अनिर्णीत पड़ा है, जबकि आयोजना आयोग तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों से भी मंजूरी दे दी है । तलधर का अधिक मात्रा में और सबसे बढ़िया कोयले के निक्षेपों पर अधिकार है जिससे इस उद्योग समूह के विकास में मदद मिलेगी और जो बदले में समूचे क्षेत्र की मदद करेगा । मैं जानना चाहता हूँ कि 1964 से इस परियोजना को, जिसे आयोजना आयोग तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों से मंजूरी मिल चुकी है, इतनी छानबीन करने के बाद, अब भी टाला जा रहा है और क्या इसे उच्चतम प्राथमिकता मिल रही है, जबकि चौथी योजना की परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ?

दूसरी बात यह है कि इस कटक-पारादीप रेल सम्पर्क के बाद यदि तलघर–बिमलगढ़ रेल सम्पर्क हो जाता है तो 20,000 लाख टन इस लौह निक्षेप को प्रतिवर्ष 110 लाख टन की दर से पारादीप से निर्यात करने का मार्ग मिल जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न की ओर ध्यान दीजिये। उड़ीसा के सभी संसाधनों का निरीक्षण किया जा रहा है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मुझे अधिक समय नहीं लेना है······(**व्यवधान**)। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जब सरकार की यह एक स्वीकृत नीति है कि क्षेत्रीय असंतुलन हटाया जाये तो क्या तलघर–बिमलगढ़ रेल सम्पर्क और तलघर उद्योग समूह को उस समय प्राथमिकता मिलेगी जबकि उड़ीसा की चौथी योजना से सम्बन्धित परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य ने इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जिससे उड़ीसा के संसाधनों में निःसन्देह वृद्धि होगी जो चिन्ता व्यक्त की है मैं उसकी सराहना करता हूँ। परन्तु यथार्थ रूप से ये चीजें उन मामलों से सम्बन्धित हैं जिन पर उस समय निर्णय किया जायेगा जबकि चौथी योजना तैयार की जायेगी और हम राज्य सरकार से प्रस्तावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कार्यक्रम के अनुसार उचित समय पर ये शुरू किये जायेंगे। इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि क्या होगा क्योंकि प्रस्ताव अभी आने हैं और इसके बाद उड़ीसा सरकार से परामर्श करने के बाद उनकी जांच की जानी है और तब कोई निर्णय किया जायेगा और तभी आयोजना आयोग को यह निर्णय करना है तथा राष्ट्रीय विकास परिषद को सहमत होना है। इसे इन सभी अवस्थाओं से गुजरना है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जहां तक तलघर उद्योग समूह का सम्बन्ध है वहां इसकी व्यावहारिकता आदि जैसी सभी अवस्थायें पूरी हो चुकी हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है कि भारत सरकार और उड़ीसा सरकार के बीच एक शर्त यह रक्खी गई थी कि जब पारादीप पत्तन भारत सरकार को सौंपा जायेगा तब भारत सरकार जैसे ही इसे अपने हाथ में ले लेगी वैसे ही वह पारादीप पत्तन की सभी अवस्थाओं को पूरा करने के लिये राजी होगी और यदि ऐसी बात है तो क्या पारादीप में एक सामान्य माल-शायिका का निर्माण अवश्य होना था जबकि हस्तान्तरण शुरू हुआ और यदि हां तो सरकार सभी जांच कर लेने के बाद भी इस मामले को क्यों टाल रही है?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सरकार चौथी योजना पर विचार करते समय उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी। क्योंकि उड़ीसा में केवल 10 प्रतिशत भूमि की सिंचाई होती है, जबकि अखिल भारत औसत 22 प्रतिशत है? क्या मनिभद्र परियोजना जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को, जिनकी श्रीखोसला के समय 1954 में स्वीकृति मिली थी, अब प्राथमिकता मिलेगी?

श्री ब० रा० भगत : यह सही है कि पारादीप पत्तन को अपने अधिकार में लेते समय भारत सरकार ने कुछ वचन दिये थे और उन वचनों को अवश्य पूरा किया जायेगा। माननीय सदस्य ने एक सिंचाई परियोजना का उल्लेख किया है और पूछा है कि क्या इसे शुरू किया जायेगा। यदि उस परियोजना को चौथी योजना में शामिल नहीं किया गया है तो चौथी योजना तैयार करते समय इस पर अवश्य विचार किया जायेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने तलघर औद्योगिक संश्लिष्ट के बारे में सही तथ्य नहीं दिये हैं। वास्तमें इस परियोजना को अन्तिम रूप दिया गया था तथा वित्त मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा संभाव्यता तथा अन्य पहलुओं की जांच की गई थी। इसे चौथी योजना से पहले शुरू न किया जा सका और इसमें विलम्ब किया गया है क्योंकि भारत सरकार इस विशेष परियोजना के लिए धनराशि देने के लिए तैयार नहीं है। क्या इस परियोजना को चौथी योजना में शामिल किया जायेगा और क्या चौथी योजना में उड़ीसा में कोई केन्द्रीय परियोजना शुरू करने का विचार है? उदाहरण के तौर पर पारादीप परियोजना अब एक केन्द्रीय परियोजना है। वहां पर रेग जमी हुई है लेकिन ड्रेंजर सप्लाई नहीं किया जा रहा। वहां पर पहले 40 फुट प्रवाह था लेकिन अब केवल 25 फुट है और इस दर पर पत्तन बिल्कुल खत्म हो जायेगा। भारत सरकार सौतीली मां जैसा व्यवहार क्यों कर रही है, इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये?

श्री ब० रा० भगत : तलघर उद्योग समूह तथा अन्य केन्द्रीय परियोजनाओं पर अवश्य विचार किया जायेगा। पारादीप के मामले को परिवहन मंत्रालय के पास भेजा गया है जो इसका भारसाधक है। इस समय मेरे पास तथ्य नहीं है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या जुलाई के अन्तिम सप्ताह में उड़ीसा के मुख्य मंत्री तथा उप-मुख्य-मंत्री की नई दिल्ली की यात्रा के दौरान उड़ीसा की चौथी योजना के मसौदे पर कोई विचार-विमर्श हुआ था और यदि हां तो क्या उन्होंने प्रधान मंत्री तथा योजना आयोग के साथ तलघर उद्योग समूह तथा पारादीप परियोजना के इन सभी पहलुओं पर विचार किया था?

श्री ब० रा० भगत : नहीं, उड़ीसा तथा अन्य राज्यों से प्रारूप रूपरेखा पहली सितम्बर तक आनी है। उड़ीसा तथा अन्य राज्यों से प्रारूप रूपरेखा नहीं आई। इसलिए इस पर विचार करने या किसी परियोजना को शामिल करने का प्रश्न अभी पैदा नहीं होता।

श्री क० प्र० सिंह देव : मंत्री महोदय ने कहा है कि उड़ीसा के लिए योजना अभी तक भारत सरकार के पास नहीं भेजी गई है लेकिन चौथी योजना केन्द्रीय सरकार ने स्वतः तैयार नहीं की है। इसलिए उनके सामने राज्य योजना के प्रश्न के आने का प्रश्न नहीं उठता।

लेकिन उड़ीसा के पिछड़ेपन को देखते हुए, जहां तक विकास कार्य का सम्बन्ध है और चूंकि वहां पर लगातार सूखा तथा बाढ़ आती रही है और केवल पिछले वर्ष वर्षा हुई, क्या मैं जान सकता हूं कि राजनीतिक सम्बन्धों की ओर ध्यान दिये बिना चौथी योजना तैयार करते समय विषमताओं तथा प्रादेशिक असंतुलनों को तेजी से दूर करने की ओर उचित ध्यान दिया जायेगा और दूसरे, क्या सरकार कृषि के विकास के लिए सिंचाई सुविधाओं जैसी मुख्य चीजों

की व्यवस्था करेगी ? पिछले वर्ष बजट अधिवेशन के बाद उड़ीसा के सभी संसद्-सदस्य प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्होंने 16 अगस्त को आश्वासन दिया था कि यदि अच्छी फसल हुई तो भारत सरकार चौथी योजना में शामिल की गई ग्यारह सिंचाई योजनाओं पर विचार करेगी जिन पर ग्यारह करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे। लेकिन अभी तक उस पर विचार नहीं किया गया है। कल लिखित उत्तर में इस्पात, खान तथा धातु मंत्री ने तलघर उद्योग समूह को शुरू करने के बारे में मुझे बताया था कि कोरवा में कोयला पर आधारित खाद संयंत्र की स्थापना के लिए सस्ती बिजली, पानी की सप्लाई तथा ऊंचे दर्जे का नान-कोकिङ्ग कोयला जैसी आपेक्षित शर्तें तलघर में भी उपलब्ध हैं लेकिन इसके बावजूद इसमें मार्च, 1967 से विलम्ब किया जा रहा है। क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि क्या सरकार तलघर-बिमलागढ़ रेलवे लाइन को शुरू करके, जो रांची से लेकर जमशेदपुर तक भीतरी प्रदेश को पारादीप पत्तन से मिलायेगी और जिससे हमारा कृषि उत्पादन तथा कच्चे लोहे का निर्यात बढ़ेगा, शीघ्र औद्योगीकरण तथा खानों के उपयोग के लिए सूक्ष्म ढांचे की व्यवस्था करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : तलघर उद्योग समूह एक समाकलित परियोजना है जिसमें परिवहन भी शामिल है। चौथी योजना तैयार करते समय इस पर अवश्य विचार किया जायेगा।

जहां तक उड़ीसा के पिछड़ेपन तथा प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने का सम्बन्ध है। इस पर योजना आयोग में बड़ी सावधानी से विचार किया गया और यह नीति तय हुई थी कि कुछ मापदण्डों के आधार पर एक विशेष क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन तय करना होगा और उन मापदण्डों का उल्लेख करना होगा। केन्द्र तथा राज्यों द्वारा इन मापदण्डों की व्याख्या के बाद उन पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू करने होंगे और उन्हें योजना में शामिल करना होगा। यद्यपि चौथी योजना की प्रारूप रूपरेखा तैयार नहीं है, तथापि पिछली तीन योजनाओं में इस नीति का अनुसरण किया गया है और मुझे प्रसन्नता है कि उड़ीसा पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने और उन क्षेत्रों के शीघ्र विकास के लिए कुछ कार्यक्रम बनाने में अग्रसर हुआ है। इस बात पर भी विचार किया गया था कि वार्षिक योजना में कितनी सहायता दी जा सकती है और उड़ीसा की चौथी योजना तैयार करते समय इस पर अवश्य विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 424 माननीय सदस्य अनुपस्थित है।

श्री नम्बियार : संसद्-सदस्यों के लिए टेलीविजन सैटों का महत्व है। इसलिए यद्यपि सम्बन्धित सदस्य अनुपस्थित हैं, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाये ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह धारणा गलत है कि संसद्-सदस्यों को मुफ्त टेलीविजन सेट दिये जा रहे हैं।

श्री एस० कन्डप्पन : सरकार को इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिये।

श्री नाथ पाई : एक अफवाह फैलाई गई है कि संसद्-सदस्यों को मुफ्त टेलीविजन सैट दिये जा रहे हैं। यह अफवाह गलत है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सही स्थिति बताये। हमें एक परिपत्र मिला है जिसमें प्रतिवर्ष 650 रुपये की मांग की गई है।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए एक प्रश्न सभा-पटल पर रखा जाये ।

श्री नम्बियार : आप इस प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसके साथ प्रश्न संख्या 485, 489 तथा 504 का उत्तर भी दिया जाये ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : वे प्रश्न नागालैंड के बारे में हैं लेकिन उनके विषय बिल्कुल भिन्न है । यदि आपका यही आदेश है तो मैं सभी प्रश्नों का एक-साथ उत्तर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

चीन द्वारा नागाओं की सहायता

***485. श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपे नागाओं ने सरकार को वचन दिया है कि वे भविष्य में चीन के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक उन्होंने कोई चीनी हथियार लौटाये हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि ऐसा वचन देने पर भी छिपे नागा वस्तुतः चीन से सम्पर्क बनाये हुए हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) कार्रवाई स्थगित रखने के करार में यह वचन दिया गया था कि बाहर से हथियार नहीं मंगाए जाएंगे ।

(ख) जी नहीं । लेकिन कुछ हथियार, जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वे चीन से आयात किए गए थे, 7 जून, 1968 को जोतसोमा के धावे में पकड़े गए थे ।

(ग) जी हां ।

श्री वेदव्रत बरुआ : मेरे प्रश्न का सम्बन्ध नागालैंड शान्ति प्रेक्षक दल के सदस्य डा० अराम के हाल ही के उस वक्तव्य से है जिसमें उन्होंने कहा था कि अप्रैल में हुए दीमापुर सम्मेलन के बाद छिपे नागाओं ने चीन से हथियार मंगाने बन्द कर दिये हैं । क्या उन्होंने वास्तव में चीन से हथियार मंगाने बन्द कर देने का कोई प्रमाण दिया है ? यदि हां, तो उन्हें हथियार सौंपने में क्या कठिनाई हो रही है और क्या उन्होंने इस तरह के कुछ हथियार सौंप दिये हैं ? छिपे नागाओं से रॉकेट छोड़ने वाले तथा अन्य आधुनिक शस्त्रास्त्र पकड़े गये हैं और इस प्रकार गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है । मैंने कई बार यह प्रश्न उठाया है कि क्या सरकार ने इस क्षेत्र में शान्ति और सुरक्षा की स्थिति पर विचार किया है ? हाल ही में श्री कैटो की, जो चीन से हथियार मंगाने के विरुद्ध थे, हत्या करदी गई है । यह देखते हुए युद्ध विराम समझौते के प्रति उनके रवैये के बारे में श्री रोमियो ने डा० अराम को जो कुछ बताया है वह सब झूठ मालूम होता है । ऐसी स्थिति में क्या सरकार समुचित कार्यवाही करेगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : शान्ति दल के तत्वावधान में दीमापुर में हुए सम्मेलन में छिपे नागा नेताओं ने यह आश्वासन दिया था कि वे समझौते की शर्तों का पालन करेंगे। छिपे नागा नेताओं ने हमें अपने सस्त्रास्त्र नहीं सौंपे।

श्री वेदव्रत बरुआ : क्या सेना, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल और सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस को हथियारों का पता लगाने की छूट दी गई है और क्या वे हथियारों का पता भी लगा रहे हैं या नहीं अथवा अन्य किसी कारण से यह कार्य बन्द कर दिया गया है ? हमारे पास बहुत कम विकल्प रह गये हैं। हमें इस बात पर विचार करना है कि हम अपनी सीमा को और अच्छी तरह से किस प्रकार बन्द कर सकते हैं। क्या सरकार नागालैंड–बर्मा सीमा पर 10 मील तक साफ किया हुआ क्षेत्र (डिफोलिटेड रीजन) बनाने पर विचार कर रही है ? इस पर आने वाली लागत की ओर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि हम पहले ही वहां पर बहुत धन खर्च कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : चीन या पाकिस्तान अथवा और कहीं से भी हथियार मंगाना समझौते की शर्तों के विरुद्ध है और हम कई बार कह चुके हैं कि हम उन शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध हर सम्भव कार्यवाही करेंगे। हमारी सुरक्षा सेना को अधिकार दिया गया है कि समझौते की शर्तों का उल्लंघन होने पर वह छिपे नागाओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री स्वेल : उप मंत्री महोदय ने बताया है कि जोतसोमा में हुई मुठभेड़ में नागा विद्रोहियों से कुछ शस्त्रास्त्र बरामद हुए हैं। सरकार सभा में कई बार कह चुकी है कि जोतसोमा की मुठभेड़ और नागा विद्रोहियों पर हमारी सुरक्षा सेनाओं के दबाव के कारण उन्होंने (नागाओं ने) अपने कैम्प जंगलों में हटा लिये हैं। नागालैंड से प्राप्त समाचारों के अनुसार उन्होंने अपने कैंम्प जोतसोमा की मुठभेड़ होने से चार महीने पहले ही जंगलों में हटा लिये थे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या नागा विद्रोहियों ने अपने कैम्प सुनियोजित ढंग से हटाये या उन्हें हमारी सुरक्षा सेना की कार्यवाही के दबाव में आकर ऐसा करना पड़ा ?

यह भी समाचार मिला है कि जनरल कैंटो की हत्या के बाद सेमा आदिवासियों ने मांग की है कि जनरल कैंटो के हत्यारे उन्हें सौंप दिये जाये अन्यथा नागालैंड में जातीय दंगा शुरू हो जायेगा। क्या सरकार छिपे नागाओं में इस तरह के दंगों को प्रोत्साहन देगी या राजनीतिक हस्तक्षेप के द्वारा नागालैंड में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखेगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : भारत सरकार आदिवासियों के बीच किसी प्रकार के अन्तर्जातीय दंगों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती है। हमें बड़ा दु:ख है कि श्री कैंटो की हत्या करदी गई है। नागालैंड सरकार हत्यारों का पता लगाने का हर सम्भव प्रयत्न कर रही है और पता लगने पर हत्यारों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सेमा जाति ने कोई अल्टिमेटम दिया है। हम ऐसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं।

श्री स्वेल : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं समझती हूँ यह कुछ हद तक सुनियोजित प्रयत्न था लेकिन संभवत: जोतसोमा की घटना के कारण भी वे इस दिशा में और आगे बढ़े ।

श्री कार्तिक ओरांओं : नागा समस्या और उसे बातचीत द्वारा हल करने की बात किसी नदी के ऐसे दो किनारों के समान हैं जो उत्तरोत्तर एक दूसरे से दूर हटते चले जाते हैं । क्या यह सच है कि लगभग 3,000 छिपे नागा विद्रोही नागालैंड की उत्तरी सीमा से लगभग 300 मील दूर दक्षिण चीन में तेनचुंग तथा लुंग लिंग में गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण ले रहे हैं और इन्हीं नागाओं का एक दल वियतकांग की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिये उत्तरी वियतनाम गया है और वे नवम्बर, 1968 के अन्त तक वापस आने की योजना बना रहे हैं और यदि हां, तो इस प्रकार की विदेशी सांठगांठ को समाप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1968 का उल्लंघन करने वाले नागाओं की संख्या कितनी है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमारे पास प्रशिक्षण के सम्बन्ध में भारत से चीन जाने वाले नागाओं की संख्या के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है । किन्तु हमारा अनुमान है कि लगभग 2000–3000 नागा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में चीन गये हैं । नागाओं के वियतनाम जाने के सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : अप्रैल में दीमापुर में हुआ सम्मेलन, जिसमें नागाओं के बहुत से वर्गों के प्रतिनिधियों तथा असम और नागालैंड के राज्यपाल ने भी भाग लिया था, कुछ निष्कर्षों पर पहुँचा और शान्ति प्रेक्षक दल के सदस्य डा० अराम ने इस आशय का वक्तव्य जारी किया कि सम्मेलन में भाग लेने वाले नागा विद्रोहियों ने कहा है कि वे चीन से हथियार या सहायता नहीं लेंगे । उसके बाद नागा प्रतिनिधि मंडल के नेता श्री जे० सी० हुरे ने, जिन्होंने उक्त सम्मेलन में भाग लिया था, उक्त वक्तव्य का प्रतिवाद किया और कहा कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई और नागा विद्रोहियों को चीन से हथियार मंगाने का अधिकार है । अतः इस सम्बन्ध में दो प्रकार की राय व्यक्त की गई है । तथाकथित युद्ध-विराम समझौते के खंड 9 में यह व्यवस्था है कि नागा विद्रोहियों की सेना और नहीं बढ़ेगी और विदेशों से हथियार भी नहीं मंगाये जायेंगे । लेकिन वे समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं । नागा विद्रोहियों का एक वर्ग चीन से हथियार ला रहे हैं और उन्होंने अपने सैनिकों की संख्या 20,000 तक बढ़ा दी है और इस प्रकार वे समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं । पीकिंग रेडियो नागा विद्रोहियों को प्रोत्साहन दे रहा है और यह कहा गया है कि वे नागालैंड में वियतनाम के ढंग का मुक्ति आन्दोलन शुरू करने जा रहे हैं । प्रधान मंत्री यह स्पष्ट बतायें कि क्या उनके विचार में नागालैंड में हुई ये घटनायें तथाकथित युद्धविराम समझौते का उल्लंघन है या नहीं ? यदि वह समझती हैं कि उक्त घटनाओं से समझौते का उल्लंघन हुआ है तो क्या वह नागालैंड की तथाकथित संघीय सरकार को, जो राष्ट्रपति मोइसू के अधीन एक राष्ट्रपतिस्वरूप की सरकार है, यह बता देने को तैयार है कि भारत सरकार और नागालैंड की तथाकथित संघीय सरकार के बीच हुए समझौते का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है तथा भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, अपितु उक्त समझौते के कार्यान्वियन की दिशा में हर सम्भव कदम उठायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम सभा में पहले भी बता चुके हैं कि कार्यवाही निलम्बित करने सम्बन्धी समझौते का उल्लंघन किया गया है और हमने नागालैंड की सरकार तथा राज्यपाल से कह दिया है कि इस सम्बन्ध में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिये ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार ने छिपे नागाओं की तथाकथित संघीय सरकार को बता दिया है कि वह उक्त समझौते का उल्लंघन कर रही है और यदि समझौते का उल्लंघन जारी रहा तो भारत सरकार इस बात को सहन नहीं करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारा उनसे प्रत्यक्ष रूप से तो सम्पर्क नहीं है लेकिन हमने यह बात उन तक पहुँचा दी है ।

श्री चेंगलराया नायडू : युद्ध विराम समझौते के प्रतिकूल नागालोग किले बना रहे हैं । क्या सरकार यह सब जानती है और उन्हें जानबूझ कर किले बनाने दे रही है ताकि वे हम पर आक्रमण कर सके ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : नागा विद्रोहियों के किले तो नहीं हैं लेकिन उनके नागालैंड में में बहुत से स्थानों पर सैनिक शिविर हैं । ये शिविर उक्त समझौते लागू होने के पहले ही कायम किये गये थे और छिपे नागाओं ने कोई नया शिविर नहीं कायम किया है ।

Shri Ram Gopal Shalwale : Are Government aware that our Military Officer who tried to protect the niece of rebel leader Phizo, was ultimately killed by Naga hostiles and if so, what steps have been taken by the Government to check such incidents and cases of love affairs in that region in future ?

Shri Surendra Pal Singh : At persent I have no information regarding the incident referred to by the hon. Member but I shall try to collect information in this regard.

Transistors Manufactured by Bharat Electronics Ltd., Bangalore

\+

*486. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Sharda Nand :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the procedure for certifying the quality of transistors manufactured by the Bharat Electronics Limited, Bangalore and the number of transistors passed in 1966-67;

(b) whether it is a fact that transistors worth about 25 lakhs of rupees, which had been duly passed were declared sub-standard by the Defence Academy ;

(c) whether it is also a fact that these transistors worth lakhs of rupees were mixed with gravel and concrete and were used in constructing a road inside the factory ; and

(d) if so, the names of the employees found guilty therefor and the action taken against them so far ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में, (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में निर्मित ट्रांजिस्टरों का निरीक्षण इसी कारखाने के निरीक्षण

विभाग द्वारा किया जाता है। कारखाने में निर्मित वस्तुओं की किस्म को उत्पादन के सभी स्तरों पर ठीक रूप से नियंत्रित करने की व्यवस्था है। 1966-67 में 63.68 लाख ट्रांजिस्टर और डायोड बनाये गये तथा निरीक्षण विभाग द्वारा उनका निरीक्षण किया गया और उन्हें स्टोरों में रखा गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

Shri Bharat Singh Chauhan : It was reported in a newspaper that transistors worth 25 lakhs of rupees were declared sub-standard and were rejected by the Defence Academy and the crystal part of the transistors was mixed with gravel and concrete and was used in constructing a road inside the factory. If the newspaper report is correct, what has the hon. Minister to say in this regard ?

Shri L. N. Mishra : I can not tell about the number of sub-standard transistors but sub-standard transistors are there and they have to be destroyed and used for constructing roads so that they may not be used for sale, black-marketing etc.

Shri Bharat Singh Chauhan : I would like to know whether Government have conducted an inquiry against the officers who used waste-transistors for constructing roads ?

Shri L. N. Mishra : There is no need to conduct such an inquiry because the sub-standard things have to destroyed.

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुःख है कि मैंने प्रश्न काल को पांच मिनट के लिये बढ़ा दिया है।

श्री नम्बियार : मैं समझता था कि आप जान बूझकर प्रश्न काल को बढ़ा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय का सुझाव है कि मन्त्री महोदय नागालैंड सम्बन्धी अन्य दो प्रश्नों अर्थात प्रश्न संख्या 489 तथा 504 का उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : यह अध्यक्ष का सुझाव नहीं है। यहां 'समान' लिखा हुआ है। लेकिन मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा वह मैंने मान लिया है। अब अल्प सूचना प्रश्न लिया जाये।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

बरौनी तेल शोधक कारखाने से तेल का तालाब में बहना

+

अ०सू०प्र०सं० 5. श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्री धीरेश्वर कालिता :
श्री रवि राय :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र 'इण्डियन नेशन' में दिनांक 26 जुलाई, 1968 को "बरौनी आयल फ्लोज इंटू पाण्ड" (बरौनी तेल शोधक कारखाने से तेल का तालाब में बहना। शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रकार फालतू तेल के बह जाने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रामैया) : (क) और (ख) जी, हां। 24 जुलाई, 1968 को यह देखा गया कि बरौनी तेल शोधक कारखाने के टैंक फार्म से बाहर की एक ओर तालाब में कुछ तेल निकल गया है। प्राथमिक जांच से पता चला है कि एक मध्यवर्ती कोकिंक गैस तेल के टंकी का ड्रेन वाल्व 23/24 जुलाई, 1968 की रात को खुला छोड़ दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 10 मीट्रिक टन कोकिंग गैस तेल बाहर बह गया। सामान्य रूप से यह तेल मल-व्यवस्था द्वारा तेल वसूली व्यवस्था में बह जाना चाहिये था। लेकिन टैंक-फार्म दीवार के बाहर छिद्र के निकट मोम के ढेरों से तेल वसूली प्रणाली बन्द हो गई थी। छिद्र का ढक्कन कुछ खुला था और छिद्र को भरने के बाद तेल बाहर निकटवर्ती गड्ढे में बह गया।

2. तीन संचालकों को आरोप-पत्र दिये गये हैं और कर्तव्य की उपेक्षा करने के कारण उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। महा-प्रबन्धक ने एक विभागीय जांच का आदेश भी दिया है। उनसे अगली रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

3. निम्नलिखित सुरक्षा उपाय भी किये गये हैं :

(एक) सभी खुली नालियों पर तुम फाटकों की व्यवस्था जो तेल शोधक कारखाने से बाहर जाने वाले पानी में तेल को रोकेगा। रोका हुआ तेल, यदि कुछ हुआ, प्रतिदिन निकाला जायेगा ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

(दो) शिफ्टों के प्रभाग प्रमुखों को तेल शोधन कारखाने में विभिन्न एककों तथा क्षेत्रों की निगरानी करने के आदेश दिये गये हैं तथा उन्हें अनुदेश दिया गया है कि कोई असाधारण बात हो जाये तो उसकी सूचना दी जाये और तत्काल कार्यवाही की जाये।

(तीन) सुरक्षा अधिकारी दिन में दो बार सभी निर्गमों को देखेगा और एक रिपोर्ट देगा।

(चार) सम्बन्धित क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था तथा सफाई में सुधार।

Shri Mrityunjay Prasad : I would like to know the time taken to detect this fault because 20 tonnes of oil had overflowed after filling the manhole.

(b) Some thing like this had happened in Gauhati also last year. The recurrence of such incidents lead us to the conclusion that tendency of sabotage is involved in it The newspaper "Searchlight" contains item that the matter has been reported to the police and it is under investigation. Therefore I want to know whether some activities of sabotage have come to light and if so, the action being taken in regard there to ?

श्री रघुरामैया : मात्रा से अनुमान लगाया गया है कि तेल 8.30 बजे सायंकाल से 10.30 बजे सायंकाल तक बहता रहा था। वास्तव में उन्हें इसका पता अगले दिन 1 बजे दोपहर बाद चला। निस्संदेह विभागीय जांच समिति द्वारा इन सभी मामलों की जांच की जायेगी। मंत्रालय माननीय मित्र की आशंका से सहमत है। विभागीय जांच समिति तोड़ फोड़ के पहलू पर भी विचार करेगी।

श्री धीरेश्वर कालिता : बरौनी तेल शोधक कारखाने में ऐसी चीज पहली बार नहीं हुई है। पिछले अधिवेशन में भी हमने ऐसी घटना पर विचार किया था जबकि गंगा में आग लग गई थी और अन्ततः यह सिद्ध हो गया था कि बरौनी तेल शोधन कारखाने में छिद्र है और गंगा का पानी दूषित हो गया है। मन्त्री महोदय ने इस सभा में विरोध किया और बरौनी तेल शोधक कारखाने को 2 या 3 दिनों के लिए बन्द करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ। ऐसी घटना अब फिर हुई है। मैं अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करने के लिए मन्त्री महोदय का आभारी हूँ। 7 जुलाई को ऐसी घटना गोहाटी में हुई थी, भंडार टंकी से तेल निकल रहा था और यह एक मील तक नाली के साथ बह रहा था जिसमें कारखाने का मल बहता है। 6 बजे का समय था और मैं सोया हुआ था। पूरा आसमान धुंधला हो रहा था और लोग चिल्ला रहे थे। कुछ समय बाद पता चला कि तेल गोहाटी तेल शोधक कारखाने से बह रहा है। अब यह घटना दूसरी बार बरौनी तेल शोधक कारखाने में हुई है। क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये गये है कि जब टंकियाँ भर जाती हैं तो तेल का आना बन्द हो जायेगा।

भूतपूर्व जनरलों तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के भूतपूर्व अधिकारियों को प्रबन्धक नियुक्त किया जाता रहा है। उन्होंने क्या करना होता है? वे कुछ नहीं जानते। क्या इन गलतियों के लिए गोहाटी तेल शोधक कारखाने तथा बरौनी तेल शोधक कारखाने के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई जांच समिति नियुक्त करेगी?

श्री रघुरामैया : तेल को निकालने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि हर टंकी में एक विसर्जन वाल्व होना चाहिये क्योंकि जब टंकी को साफ करना होता है तो पानी को बाहर छोड़ना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति उपेक्षा से या किसी अवांछनीय बात के कारण इसे हटाता है और कोई शरारत करता है तो उचित यह है कि उसे दण्ड दिया जाये। ऐसे मामले में यह किया जाना चाहिये कि जो तेल वाल्व से बाहर बहता है उसे वापस तेल शोधक व्यवस्था में डाला जाये।

जहां तक प्रबन्ध का सम्बन्ध है, जब किसी भूतपूर्व जनरल या अन्य किसी व्यक्ति को प्रबन्धक नियुक्त किया जाता है तो हम यह सुनिश्चित करने में पूरी सावधानी बर्तते है कि उसे आवश्यक अनुभव है। जांच पूरी होने पर सभी प्रशासनिक या व्यवस्थापक त्रुटियों का पता चल जायेगा। हम किसी व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे। यह गलत बात है कि तेल न बह जाये और ऐसा पुनः नहीं होना चाहिये। पहले जो टपकन हुई थी उसके बारे में न्यायिक जांच हो

रही है । इस मामले में विभागीय जांच व्यापक है और इसमें तोड़-फोड़ के पहलू पर भी विचार किया जायेगा ।

Shri Kameshwar Singh : Mismangement of public sector refineries is well-known. The Minister has said that only a small quantity of oil has overflown but according to press reports oil went on flowing continuously for 5 hours. One the one hand, oil has gone waste by flowing like this, on the other hand Kerosene oil is searce in Khagria Division. I would like to know the steps taken by Government to improve the situation ? Will the Minister assure the House that things would not be mismanaged like this ?

श्री रघुरामैया : इस से मिट्टी के तेल की कमी का कोई सम्बन्ध नहीं है । हम मिट्टी के तेल का आयात करने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन कभी-कभी परिवहन की कठिनाइयों के कारण देश के कुछ भागों में कमी हुई, लेकिन इसका इस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री वासु मंत्रेयी : क्या मैं जान सकता हूँ कि प्रबन्धकों के पदों को भरने के लिए तकनीकी व्यक्तियों के बजाय सेवा निवृत जनरलों का चयन क्यों किया जाता है ?

श्री रघुरामैया : बरौनी तेल शोधक कारखाने की व्यवस्था करने के लिए नियुक्त किये गये अधिकारियों को वास्तव में गोहाटी तेल शोधक कारखाने को चलाने का दो या तीन वर्ष का अनुभव था ।

Shri Ram Charan : As far as I know, the authorities concerned take out the oil and sell it and when the metre shows shortage oil is leaked out by shortage with a view to make up the deficit. Have Government enquired into it ?

श्री रघुरामैया : मैं अनुरोध करता हूँ कि सभा न्यायिक जांच समिति तथा इस समिति के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करे । उसके बाद हम अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं और औपचारिक उपाय कर सकते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले दो वर्षों में इन तेल शोधक कारखानों के उत्पादन में कमी हुई है तथा इन तेल शोधक कारखानों में समाज विरोधी तत्वों में वृद्धि हुई है तथा चाहे जो भी प्रबन्धक हो यह तत्व तोड़-फोड़ करने का प्रयास करते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने इन वित्तीय समितियों को पर्याप्त शक्तियां दी हैं ताकि वे काम करने के लिए सक्षम प्रबन्धकों की नियुक्ति, समाज-विरोधी तत्वों के उन्मूलन तथा इन व्यक्तियों की तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों को रोकने की बातों पर विचार कर सकें क्योंकि कुछ तेल शोधक कारखाने एक सामरिक महत्व के क्षेत्र में स्थित हैं ।

श्री रघुरामैया : महा प्रबन्धक सरकार द्वारा पृष्ठभूमि की पूरी जांच करने के बाद नियुक्त किये जाते हैं । जहां तक उनकी शक्तियों का सम्बन्ध है । आवश्यक शक्तियां दी जाती हैं और दी जायेंगी । जहां तक तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों का सम्बन्ध हैं सरकार हमेशा सतर्क रहती है और जब कभी उन्हें कोई सूचना मिलती है, जांच के बाद या अन्यथा इसे रोकने के लिए हर सम्भव चीज की जाती है ।

Shri O. P. Tyagi ; Many days earlier it had been reported about Barauni and Gauhati and petrol has flown into Ganga. I want to know from hon. Minister as to why the Government did not take any precaution even after this warning to avert this incident ? What are the terms of reference of the enquiry committee and has the manager been suspended or not ?

श्री रघुरामैया : वाल्व की देखभाल के लिए जिम्मेदार प्रचालकों को निलम्बित कर दिया गया है। यदि जांच से उच्च अधिकारियों की ओर से किसी त्रुटि का पता चला तो हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे।

Shri D. N. Tiwari : This is not a new happinig in Barauni. Surprising incidents have been taking place there. Earlier Ganga had blazen due to flowing of oil in it. The water is so much polluted that animals die after drinking it, Oil has overflown into pond. Government should conduct an enqaury and try to take steps to check such things. Will Government appoint a committee to enquire into all the aspects of Barauni and find out the reasons responsible for such incidents and suggest measures to check them ? Suitable action should be taken on the report of the committee to avert recurrence of such event .

पेट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : जो जांच आयोग नियुक्त किया गया है वह एक तकनीकी समिति भी है। इसमें तकनीकी लोग शामिल हैं। यह कुछ मामलों की जांच करेगा। हाल ही में रूस से एक उच्चस्तरीय दल आया है और रूसी तकनीकी तथा हमारे तकनीकी लोग बरौनी तेल शोधक कारखाने के काम काज की सावधानी पूर्वक जांच कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : बरौनी तथा गोहाटी, सरकारी क्षेत्र के दो कारखानों के अधिकारियों की निराशा तथा उपेक्षा के कारण वे आतंकपूर्ण ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। यह पहला अवसर नहीं है जब कि तेल शोधक कारखानों से तेल बह गया है। उदाहरण के तौर पर बरौनी कारखाने से गंगा में तेल बहा और गंगा में आग लग गई। 7 तारीख को गोहाटी कारखाने में क्या हुआ ? गोहाटी कारखाने से तेल इसलिए बह गया कि तेल टंकी से बाहर प्रवाहित हो रहा था। पुलिस ने समय पर कार्यवाही की और गोहाटी आग लगने से बच गया। अब मन्त्री महोदय ने कहा कि बरौनी में तेल टंकी से प्रवाहित हुआ और तालाब में बहने लगा क्योंकि इसे ठहरने के लिए स्थान चाहिये। अतः चाहे जो कुछ भी हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि,

(क) क्या तेल के इस प्रवाह के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को पकड़ा गया है और यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, और

(ख) क्या कारखानों के महाप्रबन्धकों की नियुक्ति करते समय राज्य सरकारों की सलाह ली जाती है और यदि हां, तो क्या उनकी राय पर ध्यान दिया जाता है या नहीं ?

श्री रघुरामैया : मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम सभा की आकांक्षा और चिन्ता से सहमत हूँ कि ऐसी घटनाएं बार-बार नहीं होनी चाहिये। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वास्तव में आज सबेरे मैंने भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष से अपनी चिन्ता व्यक्त की। हमने इसके लिए जिम्मेदार प्रचालकों को निलम्बित कर दिया है आगे कोई कदम उठाने से पहले हमें

विभागीय जांच समिति तथा न्यायिक जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये। इस के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में हम आनाकानी नहीं करेंगे।

श्री हेम बरुग्रा : भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष को निलम्बित किया जाना चाहिये।

श्री पं० वेन्कटासुब्बय्या : इन तेल शोधक कारखानों तथा अन्य समूहों में कुछ सैनिक अधिकारियों को नियुक्त करने के सरकार के निर्णय के संदर्भ में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि इन लोगों को न केवल मुख्य कार्यकारी के अनुशासन सम्बन्धी व्यवहार के बारे में बल्कि अन्य बातों के बारे में उचित ढंग का प्रशिक्षण दिया जायें ? क्या सरकार ने नियुक्ति से पहले इन सैनिक अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देने के प्रश्न पर गम्भीर रूप से विचार किया है ताकि वे न केवल प्रशासनिक पहलू बल्कि कारखानों को ठीक ढंग से चलाने की बात पर भी ध्यान दे सकें ?

श्री अशोक मेहता : भारतीय तेल निगम में सेना के केवल दो अधिकारी हैं और उन्होंने अपने उत्तरदायित्व बड़ी योग्यता से निभाये हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : It has stated that operators have been suspended and they have been awarded punishment. It always happens that big officers get prizes for good performance and the subordinate officers are punished for bad performance. I want to know whether Government would change this attitude ? Have Government estimated the amount of loss as a result of leakage ? What are the names of the persons appointed in the departmental enquiry committee ?

श्री रघुरामैया : लगभग 20 टन तेल बह गया है। यह कोकिंग गैस तेल है जो एक मध्यवर्ती तेल है तथा इसका उपयोग लाइट डीजल तेल के उत्पादन के लिए किया जाता है। अनुमान लगाया गया है कि इसका मूल्य 2,000 या 3,000 रुपये के बीच होगा। जहां तक जांच समिति के सदस्यों के नाम का सम्बन्ध है, इसे मैं सभा पटल पर रखूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

TV Sets for M.Ps.

***484. Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to give free foreign television sets to the Members of Parliament;

(b) whether it is also a fact that difficulty is being experienced in implementing this scheme due to lack of foreign exchange; and

(c) if so, the basis on which Government felt the necessity of taking such a decision particularly when there is financial paucity in the country ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) Government is working on a proposal to give television sets to Members of Parliament either on monthly rent or on hire purchase basis. Details of the scheme are being worked out. As far as possible, the sets supplied will be of indigenous manufacture.

(c) The idea is that Members of Parliament should be enabled to form their opinions about the usefulness of this medium as a vehicle of national development and education and about the necessity of its extension to other parts of the country.

प्रतिरक्षा मंत्रालय में कर्मचारियों के बारे में सर्वेक्षण

***487. श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों के बारे में 1967-68 में कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में कितने कर्मचारी फालतू पाये गये तथा उनके बारे में क्या नीति अपनाई गई है तथा क्या उन कर्मचारियों की छंटनी करने अथवा उन्हें कहीं ओर नियुक्त करने का विचार है;

(ग) 1 अप्रैल से 31 जून, 1968 तक उनके मंत्रालय में श्रेणीवार कितने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये तथा उसी अवधि में राजपत्रित अधिकारियों के कितने नये पद बनाये गये; और

(घ) मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उपमंत्रियों के साथ काम करने वाले ऐसे फालतू कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनके लिये उचित रूप से मंजूरी नहीं ली गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) में नियुक्त कर्मचारियों के बारे में 1967-68 में एक सर्वेक्षण किया गया था और उसमें कोई भी कर्मचारी फालतू नहीं पाया गया।

(ग) पहली अप्रैल, 1968 से 30 जून, 1968 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत पदों पर 21 अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए गये। ये स्थान निम्नलिखित श्रेणीयों में खाली पड़े हुए थे :-

तृतीय श्रेणी	17
चतुर्थ श्रेणी	4

इस अवधि के दौरान निम्नलिखित राजपत्रित अफसरों के नये पद बनाए गए।

विशेष सचिव	1
निजी सचिव	1

(घ) बिना स्वीकृति के कोई भी कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है।

जासूसी विमानों की उड़ानों का पता लगाने के लिए राडार व्यवस्था

***488. श्री रामगोपाल शालवाले :**
श्री टी० पी० शाह।
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी राडार व्यवस्था ऐसे विमानों का पता लगाती रही है, जो पाकिस्तान की ओर से भारत पर उड़ानें भरते रहे हैं तथा जिन्हें पहचाना नहीं जा सका है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये विमान इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि जिन्हें हम गोली मार कर नहीं गिरा सकते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये विमान आर० बी० 57 जैसे जासूसी विमान हैं, जो अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दिये गये है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि इनमें से एक विमान सरगोधा के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था; और

(ङ) इन जासूसी विमानों की उड़ानों की रोकथाम के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इस उद्देश्य के लिए रेंजरों का उपयोग किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) मुझे खेद है कि इस प्रश्न का उत्तर जनहित में नहीं होगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) हवाई रक्षा सम्बन्धी सामान्य उपाय किये जाते हैं। पाकिस्तान सरकार को इस प्रकार के अतिक्रमण के विरुद्ध विरोधपत्र भी भेजे जाते हैं।

Casualties in Encounters with Rebel Nagas

***489. Shri Shrigopal Saboo** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian soldiers and rebel Nagas killed, separately, in encounters during the last three months;

(b) the number of rebel Nagas from whome weapons were seized during the above period on the details of these weapons;

(c) whether it is a fact that rebel Nagas have prepared a scheme, in collusion with rebel Burmese, to form an Independent Christian State;

(d) whether it is also a fact that certain elements are helping them from U.K.; and

(e) if so, whether talks have been held with the Government of U. K. in this regard and if so, the details of talks held ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The House has already been informed on 24th July, 1968, in reply to Unstarred Question No. 605 that it will not be in the public interest to give information about casualties suffered by the Security forces in any particular incident or during a particular period in a particular area. The hon'ble Member's attention is invited to the information furnished by the Defence Minister on 24th July, 1968, in reply to Unstarred Question No. 749 about the total casualties suffered by our Security forces since the beginning of action against the Underground Nagas.

(b) A statement showing the weapons seized from the Underground Nagas is placed on the Table of the House. **[Placed in the Library. See No. LT. 1744-68]**

(c) Government have no authentic information about such a specific scheme but they are aware of collusion between hostile and subversive elements on either side of the border.

(d) and (e) : Does not arise as the U. K. Government are not concerned. The activities of the hostile elements on either side of the border are the domestic concern of the Government of India and Burma respectively.

खाद्य निरीक्षण संगठन

*490. **श्री चक्रपाणि :**
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री प० गोपालन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में कितने कमीशन-प्राप्त अधिकारी खाद्य निरीक्षण संगठन में रसायनज्ञों के रूप में भर्ती किये गये;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पदों के लिये कोई योग्यता निर्धारित होती हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें किस आधार पर नियुक्त किया गया है;

(घ) क्या खाद्य निरीक्षण संगठन में कोई प्रशिक्षण संस्थान है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) ग्यारह ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) फूड इन्स्पेक्शन आर्गेनाईजेशन संस्था कोई अलग प्रशिक्षण आवश्यक नहीं समझा गया ।

संयुक्त अरब गणराज्य-इसराइल युद्ध के दौरान जब्त किया गया माइलो

*491. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष संयुक्त अरब गणराज्य-इसरायल युद्ध के समय जब्त किये गये माइलो के मूल्य के संबंध में संयुक्त अरब गणराज्य से अंतिम रूप से बातचीत कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रति टन कितना मूल्य तय हुआ है; और

(ग) उस समय अमरीका से खरीदे गये माइलो का मूल्य डालरों में कितना था और रुपयों में कितना था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) यह मिलो संयुक्त अरब गणराज्य और इजराइल की पिछली वर्ष की लड़ाई में किसी सरकार द्वारा पकड़ा नहीं गया था । जिस जहाज में यह मिलो आ रहा था वह स्वेज नहर के बन्द हो जाने से रुका पड़ा है। इस मिलो को संयुक्त अरब गणराज्य को बेचने की बातचीत चल रही है ।

(ग) यह मिलो मार्च, 1966 में अमरीका में जहाज पर लदा लदाया 2.48-1/2 डालर (18.66 रू०) प्रति सो पौंड यानी 411 रूपये 71 पैसे प्रति टन के हिसाब से खरीदा गया था ।

Spotlight Programme

***492. Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Onkar Singh :
Shri Yajna Datt Sharma :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in 'Spot-light' programme of A. I. R. at 9-15 p. m. on the 10th July, 1968, some arguments were given indirectly in favour of supply of lethal weapons by Russia to Pakistan; and

(b) if so, the reasons for permitting such broadcasts which run counter to Government's policy in the matter ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K Shah) : (a) No 2 This programme incidentally briefly mentioned the possible argument Russia might advance. The commentary was devoted to an analysis of the situation arising out of the reported Soviet decision to supply arms to Pakistan in the larger context of Indo-Soviet relations.

(b) This broadcasts cannot be said to have gone counter to Government policy. It expressed a point of view. Under the Spotlight programme, various points of view on current topics are allowed to be expressed.

हिन्दू नाम वाले व्यक्तियों का कराची में प्रवेश निषेध

***493. श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय या गैर भारतीय पार-पत्र धारी हिन्दू नाम वाले व्यक्ति को कराची बन्दरगाह में आकर रुके जहाजों से उतरने नहीं दिया जाता है या कराची नगर में प्रवेश करने के लिये अस्थायी वीसा नहीं दिया जाता है; और

(ख) क्या एक जहाज में, जो गत 27-29 मई को कराची बन्दरगाह में आ कर रुका था, यात्रा कर रहे ऐसे व्यक्तियों को कुछ समय के लिये भी किनारे पर जाने के लिये जहाज छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) भारत सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, किसी भी भारतीय राष्ट्रिक को, चाहे उसका धर्म या नाम कुछ भी क्यों न हो, पाकिस्तानी बन्दरगाहों पर ठहरने वाले जहाजों में से उतरकर समुद्रतट पर अथवा शहर में जाने की अनुमति नहीं दी जाती ।

Permission given to Chinese Embass Offical to visit Calcutta

***494. Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of External Affairs be pleased to stated :

(a) whether it is a fact that Government recently permitted two officials of the Chinese Embassy to visit Calcutta;

(b) whether it is also a fact that such a permission has been granted for the first time after our relations with China became strained; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) Three Chinese Embassy officials were permitted to visit Calcutta recently.

(b) Yes, Sir.

(c) This is the first time that the Chinese Embassy has conformed to the prescribed procedure in obtaining our permission. Reciprocal facilities have been provided to Indian Embassy personnel in China visiting places outside Peking.

खाद्य निरीक्षण संगठन

*495. **श्री नम्बियार :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री अनिरुद्धन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य निरीक्षण संगठन द्वारा पिछले दस वर्षों में विदेशों से कुल कितने सूक्ष्म उपकरणों का आयात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि खरीदने के बाद बहुत सारे उपकरणों को प्रयोग में नहीं लाया गया है और अब वे प्रयोग में लाने योग्य नहीं रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उनको प्रयोग में न लाने के क्या कारण थे;

(घ) क्या यह सच है कि तैयार किये गये खाद्य पदार्थों में विषाक्तता की विद्यमानता का पता लगाने के लिये उनमें से कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में उन उपकरणों द्वारा कुल कितने खाद्य पदार्थों के नमूनों का परीक्षण किया गया; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) खाद्य निरीक्षण संगठन के लिए 1958 के बाद से 86 सूक्ष्म यंत्रों का आयात किया गया ।

(ख) जी, नहीं । अभी तक 5,318 रुपये की कीमत के केवल 2 यंत्रों को उपयोग में लाया गया और उनमें से कोई भी खराब नहीं हुआ ।

(ग) ये दो यंत्रों को काम करने के लिये क्रमश: गैस और बिजली की आवश्यकता होती है तथा ये दोनों थल सेना हेडक्वार्टर की प्रयोगशाला के लिए हैं । इन्हें पहले यहां इसलिये नहीं लगाया गया था कि इस प्रयोगशाला को अधिक उचित स्थान में ले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था । इन यंत्रों को यहां लगाने के निरर्थक व्यय से बचने के लिए इन यंत्रों को यहां लगाने की योजना को स्थगित किया गया । अब यह निर्णय किया गया है कि इन यंत्रों को वर्तमान अस्थाई स्थान पर ही लगा दिया जाय, क्योंकि स्थाई स्थान के तैयार होने में अभी काफी समय लगेगा । इनमें से एक यंत्र को चलाने के लिए एक गैस संयंत्र लगाया जा रहा है और यह यंत्र बहुत शीघ्र ही काम करना आरम्भ कर देगा । दूसरे यंत्र के लिए बिजली की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है जैसे ही आवश्यक मात्रा में बिजली प्राप्त हो जाएगी यह यंत्र भी काम करना आरम्भ कर देगा ।

(घ) जी, हां । कुछ आयात किए गए यंत्र विषाक्त तत्वों को ढूंढ निकालने में काफी उपयोगी हैं ।

(ङ) खाद्य निरीक्षण संगठन प्रतिवर्ष लगभग 40,000 सेम्पुलों का परीक्षण करता है। प्रत्येक परीक्षण में जो यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं वे परीक्षण विशेष की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। गत 10 वर्षों के दौरान आयात किए गए यंत्रों की सहायता से जितने सेम्पुलों के परीक्षण किए गए उनके आंकड़े अलग अलग नहीं रखे गए हैं।

प्राइवेट अमरीकी नागरिक द्वारा शिमला में हैलीकाप्टरों का बनाया जाना

*496. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत उस परियोजना पर अभी भी अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है कि एक प्राइवेट अमरीकी नागरिक श्री ए० ब्राग अपनी वर्कशाप में सैनिक प्रयोग के लिये हैलीकाप्टर बनाये;

(ख) यदि हां, तो वह परियोजना किस स्थिति में है;

(ग) श्री ब्राग को सरकार ने अनुदान के रूप में कितनी राशि अब तक दी है; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो परियोजना को किन कारणों से समाप्त कर दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख) : एक प्रायोगिक दो सीटों वाला गेरोप्लेन के डिजाइन और निर्माण के लिए मैसर्स हिमालयान हेलीकोप्टर (पी) लिमिटेड के साथ किया गया एक समझौता 23 मार्च, 1968 को समाप्त कर दिया गया था ।

(ग) सरकार ने कम्पनी को कुल 3,99,850 रुपये की धनराशि दी है ।

(घ) जनवरी, 1968 में परियोजना की स्टियरिंग कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मई, 1967 में अपनी पिछली बैठक के समय से लेकर समझौता करने वाली पार्टी ने अपने काम में कोई प्रगति नहीं की और परियोजना के लिए आवश्यक मदों के विकास के लिए उसमें क्षमता भी नहीं है । स्टियरिंग कमेटी ने सिफारिश की है कि इस परियोजना को और आगे जारी न रखा जाय ।

News About U. P. High School Fxamination Results

*497. **Shri Ram Sharup Vidyarthi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7365 on the 31st July, 1967 and state:

(a) the name of the news agency which gave the news about the result of High School Examination of U. P.

(b) the action taken against this agency for giving incorrect news;

(c) whether Government have taken any steps to ensure that such broadcasts are made only after ascertaining their truth; and

(d) if not, the reasons therefor

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The United News of India.

(b) The attention of the News Agency was drawn to the wrong news item filed by it.

(c) and (d) Every attempt is made to put out correct news. The news put out by recognised news agencies are accepted as factually correct, unless there are reasons to feel that it is not so. In such cases, proper verification is made before using the news item.

आकाशवाणी के अग्लीय उच्चारण वाले वाचक (एनाउन्सर्स)

***498. श्री बाबूराव पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रसारणों के लिये अंग्रेजी का अप्राकृतिक तथा बनावटी उच्चारण करने वाले अंग्रेजी के इतने अधिक वाचकों को नियुक्त करने का क्या कारण है जिनके द्वारा भारतीय नामों का उच्चारण श्रोताओं को बड़ा अखरता है;

(ख) निकट भविष्य में इस कार्य स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) से (ग) माननीय सदस्य की धारणा सही नहीं है। घरेलू और वैदेशिक सेवाओं में अंग्रेजी के 19 बुलेटिन पढ़ने और समाचार विभाग के अन्य अंग्रेजी कार्यक्रम करने के लिए अंग्रेजी न्यूज रीडर के 8 पद हैं। नियमित न्यूज रीडर अखिल भारतीय आधार पर उपयुक्त स्वर परीक्षा के बाद चुने जाते हैं ताकि सर्वोत्तम उपलब्ध योग्य व्यक्ति लिए जा सकें। सेवा के दौरान प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के द्वारा पढ़ने और उच्चारण में सुधार करने के लिए बराबर प्रयत्न किया जाता है।

Suez Canal

***499. Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ramavtar Sharma :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the further progress made in regard to the re-opening of the Suez Canal for the passage of ships of countries using the Suez Canal.

(b) when the Suez Canal would be opened for navigational purposes; and

(c) whether any talks were held with the U. A. R. Government in order to make available the Suez Canal for free international traffic ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No progress has been made.

(b) The opening of Suez Canal for normal navigation depends on a settlement of the West Asian crisis. So far, efforts to bring about a settlement have not yielded any results.

(c) No. Sir

कृषि आर्थिक क्षेत्रीय अध्ययन

***500. श्री अ० बचेजियान :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने नमूने के रूप में अनेक कृषि-आर्थिक क्षेत्रीय अध्ययन आरम्भ किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अध्ययनों का उद्देश्य क्या है;

(ग) यह अध्ययन योजना आयोग को देश में कृषि कार्यक्रम तैयार करने में कहां तक सहायक होंगे; और

(घ) ये अध्ययन कब तक पूरे होने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इसका उद्देश्य कृषि विकास से सम्बन्धित कतिपय पहलुओं जैसे छोटे काश्तकारों की समस्याओं, बारानी खेती इत्यादि का अध्ययन करना है । इन अध्ययनों का तात्पर्य कृषि कार्यक्रमों के अपेक्षित नवीनीकरण में सुविधायें उपलब्ध करना है ।

(घ) लगभग नवम्बर, 1968 के अन्त तक ।

चौथी योजना बनाने के बारे में जनता के विचार जानना

***501. डा० रानेन सेन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने कोई तरीका निकाला है जिससे चौथी योजना बनाने में आम जनता के विचार मालूम किये जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की तैयारी में, योजना आयोग निम्न प्रकार से जनता के विचार प्राप्त कर रही है:–

(1) चौथी पंचवर्षीय योजना के मार्ग-निर्धारण सम्बन्धी दस्तावेज का विस्तृत प्रचार करना;

(2) उप-कुलपतियों तथा अन्य विद्वानों एवं अनुसंधान संस्थानों से निवेदन करना कि वे मार्गनिर्धारण दस्तावेज के प्रचार तथा उस पर वाद-विवाद गठित करने की व्यवस्था करें ;

(3) समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में सम्पादकों, विशेष सम्वाद दाताओं, लेखकों और सामान्य जनता द्वारा व्यक्त विचारों का विश्लेषण;

(4) विशिष्ट पत्रकारों से पत्रकार सम्मेलनों और बैठकों की व्यवस्था करना;

(5) योजना के स्तम्भों के माध्यम से विद्वानों, दक्ष व्यक्तियों और विशेषज्ञों के विचार आमंत्रित करना;

(6) निम्न से विचार विनिमय करना:–

(1) संसद सदस्यों;

(2) राजनीतिक संस्थाओं के नेताओं;

(3) कृषि अर्थ-शास्त्रियों;

(4) प्रमुख व्यापारियों और उद्योगपतियों;

(5) प्रगतिशील किसानों; और

(6) श्रम, पशुपालन, सहकारी समितियों, वन विकास इत्यादि के क्षेत्रों के दक्ष-व्यक्तियों से;

(7) विभिन्न क्षेत्रों के दक्ष–व्यक्तियों के पैनल नियुक्त करना; और

(8) व्यापार, निर्माताओं, श्रम और अन्य अभिकरणों तथा विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रधान मंत्री तथा योजना आयोग को प्रस्तुत ज्ञापनों का अध्ययन ।

Resettlement of Ex-Servicemen in Rajasthan

*502. **Shri P. L. Barupal**: Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether there is any scheme regarding the resettlement of ex-servicemen in Rajasthan by allotting them agricultural land, and if so, the progress made in this regard;

(a) the number of applications received so far by the State Government from ex-service- men for the allotment of land;

(c) the number of those applicants out of them who retired from service during the British regime before Independence;

(d) the number of applications out of them received from military personnel injured during Chinese and Pak aggressions and the dependents of those killed in action;

(e) the number of applicants to whom land has since been allotted and the number of r. .aining applications and the time by which land would be allotted to them; and

(f) the category-wise priority allotted in these cases and the proportion in which land would be distributed to them?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) to (f) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House when received.

मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों का विकास

***503. श्री गं० च० दीक्षित :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बस्तर, सरगुजा और मांडला जिलों के आदिवासी क्षेत्र पिछड़े हुए हैं और अभी भी अविकसित हैं;

(ख) क्या उन्होंने या अन्य किसी मंत्री ने उन क्षेत्रों का दौरा किया है या करने का प्रस्ताव है जिससे वहां की ठीक-ठीक स्थिति का ज्ञान हो सके; और

(ग) उन क्षेत्रों और वहां के लोगों के विकास के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

प्रधान मंत्री. अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यद्यपि राज्य के अन्दर पिछड़े क्षेत्रों का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, फिर भी योजना आयोग उन्हें इस सम्बन्ध में सहायता प्रदान करता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा में, निर्दिष्ट उद्देश्यों के अनुसार, देश के उल्लेखनीय कम विकसित क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में तेजी लाने के लिये योजना आयोग ने राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि क्षेत्रीय विकास के कतिपय सूचकों के आधार पर वे पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करें। मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना की इन्तजारी की जा रही है।

प्रधान मंत्री जून, 1967 में सरगूजा गई। अन्य मंत्रियों के बारे में सूचना की इन्तजारी की जा रही है।

Aid to Christians in Nagaland

***504. Shri J. B. Singh :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that U. K., Pakistan and U. S. A. are giving aid on large scale to the Christians in Nagaland;

(b) whether it is also a fact that the hostile Nagas are in possession of hand-grenades, 303 rifles of U. K. and U. S. A. make; and

(c) if so, the sources from where these Nagas get the said arms and the steps being taken by Government to stop the supply thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Presumably, the reference is to hostile Nagas.

It is known that they are receiving help from Pakistan as well as China.

Government have no reason to believe that they are receiving any help from U.S.A. or U.K.

(b) and (c) The main sources of these weapons are (i) China, (ii) Pakistan and (iii) left-over arms and ammunition dumps from world War II. The weapons available to the Underground include Hand Grenades, machine guns, Rifles and Mortars.

Suitable steps have been taken to further strengthen the security measures along the international border with Burma and Pakistan. Besides, the State Government of Nagaland which has now additional police battalions under its charge is taking increasingly effective measures to counteract the hostile activities and to maintain law and order.

नागालैंड के राज्यपाल की लन्दन यात्रा

*505. श्री चेंगलराया नायडू : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड के राज्यपाल ने जुलाई, 1968 में लन्दन की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनकी लन्दन में श्री फिजो और पादरी स्काट से भेंट हुई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या बातचीत हुई थी; और

(घ) क्या नागालैंड के राज्यपाल ने उनसे मिलने के लिये भारत सरकार से अनुमति ली थी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) श्री नेहरू संयुक्त राष्ट्र पूंजीनिदेश समिति के सदस्य की हैसियत से लंदन गए थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

People of Indian Origin in Gibraltar

*506. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Shiva Chandra Jha :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that people of Indian origin living in Gibraltar for the last many generations have not been granted citizenship of that country and they are living there on the basis of the temporary residential permits, which are renewable every three months;

(b) if so, the number of Indians residing there and whether Government have considered the possibility of their returning to India in case their temporary residential permits are not renewed; and

(c) the action taken by Government to obtain citizenship rights for them keeping in view its probable effects on the economy of our country ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The number of persons of Indian origin is estimated at about 250. With a few exceptions they all hold British Passports. It is unlikely that many of them contemplate returning to India.

(c) Does not arise at this stage.

भारत में 'केयर" संगठन के कार्य

*507. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में "केयर" संगठन के क्या कार्य-कलाप हैं;

(ख) कितने अमरीकी नागरिक इस समय भारत में "केयर" संगठन में काम कर रहे हैं;

(ग) 1966 में ऐसे अमरीकी नागरिकों की संख्या कितनी थी;

(घ) ऐसे अमरीकी कर्मचारियों के व्यय को कौन वहन करता है; और

(ङ) क्या ऐसे लेखों की लेखापरीक्षा सरकारी लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) खाद्य पदार्थ का आयात और मुफ्त वितरण सहायता-कार्य के लिए है।

(ख) 27

(ग) 17

(घ) केन्द्र और राज्य सरकारें।

(ङ) केन्द्र और राज्य सरकारों के व्यय की जांच पड़ताल करना महालेखा परीक्षक का कार्य है।

परमाणु आक्रमण से बचाव

*508. श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :
श्री दामानी :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन के प्रधान मंत्री से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है जिससे परमाणु आक्रमण से बचाव की व्यवस्था करने की पेश-कश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नागालैंड के राज्यपाल के साथ श्री फिजो तथा पादरी स्काट की मुलाकात

*509. श्री बलराज मधोक :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि श्री मिजो तथा पादरी स्काट नागालैंड के राज्यपाल से नागालैंड समस्या पर विचार विमर्श के लिए मुलाकात करने वाले हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्री फिजो को इस प्रयोजन के लिए भारत आने हेतु विशेष प्रवेश-पत्र दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Supply of Defence Material by Kalinga Airlines during Sino-Indian Conflict

*510. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at the time of Sino-Indian conflict of 1962, some planes of the Kalinga Airlines carried defence material to the fronts;

(b) whether the details of the defence material are noted down before loading them in the planes of this type;

(c) whether it is a fact that some portion of the defence material sent through the said planes did not reach the fronts but disappeared on the way; and

(d) if so, whether Government have enquired into the matter ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) No. Sir.

(b) to (d) : Do not arise.

मिग विमानों के एककों पर व्यय

4002. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मिग विमानों के लिए स्थापित किये गये विभिन्न एककों पर अब तक पूंजीगत तथा गैर-पूंजीगत कुल कितना व्यय किया गया है;

(ख) एक विमान की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इसके कितने प्रतिशत हिस्से तथा पुर्जे आयात किये जाते हैं, कितने प्रतिशत देश के सरकारी कारखानों में बनाये जाते हैं, तथा कितने प्रतिशत गैर सरकारी क्षेत्र के कारखानों में ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) इस सूचना को देना जनहित में उचित नहीं है।

वर्मा सरकार द्वारा जब्त की गई भारतीयों की आस्तियां

4003. श्री बाबूराव पटेल :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्मा में व्यापार के राष्ट्रीयकरण के पश्चात वर्मा सरकार द्वारा भारतीयों की कुल कितने मूल्य की तथा क्या-क्या आस्तियां जब्त की गई;

(ख) वर्मा सरकार द्वारा अब तक कितने मूल्य की आस्तियां वापस की गई हैं, उनके लिये प्रतिकर दिया गया है अथवा वापस भारत भेजी गई हैं;

(ग) वर्मा में हमारे दूतावास ने इस सम्बन्ध में वस्तुतः क्या कार्य किया है और उन भारतीयों को, जिनकी आस्तियां जब्त करली गई थीं, क्या लाभ पहुंचा है; और

(घ) इस वर्ष वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) वर्मा सरकार द्वारा भारतीयों की आस्तियों के राष्ट्रीकरण के प्रश्न का सम्बन्ध चूंकि बहुत से लोगों से है, इसलिए वर्मा सरकार के साथ इसके ब्यौरे पर विचार किया जा रहा है। इसी कारण अभी तक न तो कोई आस्तियां अभी वापस मिली हैं, न किसी को मुआवजा दिया गया है और न कोई देश वापस आई हैं।

(ग) और (घ) वर्मा में हमारे राजदूत ने वर्मा के कार्यालय से बारम्बार यह प्रार्थना की है कि वह इन आस्तियों के संग्रह करने और व्यक्तियों के अनुसार उन्हें अलग-अलग वर्गों में डालने के कार्य को अन्तिम रूप दें। वर्मा सरकार ने हाल में इस मामले पर गौर करने के लिए और इसका जल्दी-जल्दी निपटारा करने के लिए एक समिति बनाई है।

पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों के परिवारों के साथ बर्ताव

4004. श्री बाबूराव पटेल : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों की पत्नियों तथा पुत्रियों का, जब वे बाजार में खरीदारी करने के लिये जाती है तो मजाक उड़ाया जाता है तथा कुछ के साथ पाकिस्तानी गुंडों ने छेड़छाड़ भी की है।

(ख) क्या यह अभद्र तथा अपमानजनक व्यवहार वियाना अभिसमय के उपबन्धों का उलंघन नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो हमारी सरकार ने सामान्य विरोध-पत्र भेजने की कागजी कार्यवाही के अतिरिक्त अपने नागरिकों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बागडोगरा हवाई अड्डे के लिए भूमि का अर्जन

4005. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या प्रति रक्षा मंत्री 20 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1085 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागडोगरा हवाई अड्डे और उस हवाई अड्डे से बोमडम तक नवनिर्मित सड़क के विस्तार के लिये सैनिक अधिकारियों द्वारा कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों की भूमि ली गई थी;

(ख) क्या ये भूखण्ड दार्जिलिंग जिले में फांसी देवा पुलिस स्टेशन के अधीन तुरीविटा मौजे में स्थित है;

(ग) क्या यह सच है कि सम्बन्धित व्यक्तियों को भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक और कानूनी नोटिस नहीं दिया गया था; और

(घ) क्या इन भूखण्डों को ठीक प्रकार से नापा गया था तथा उनका उचित मूल्य लगाया गया था और उसका जमीन के मालिकों को भुगतान किया गया था ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रति रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ) 1964 के अन्तर्गत भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बागडोगरा हवाई अड्डा, के प्रसार के लिए तथा सड़क और बोम्ब डम्प के लिए 362.52 एकड़ निजी रूप से ली हुई भूमि को अधिगृहीत किया गया। इस क्षेत्र में मौजा तुरीविटा, पुलिस स्टेशन फांसिदेवा, जिला दार्जिलिंग का 169.45 एकड़ भूमि भी शामिल है। इस भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अन्तर्गत अधिगृहीत न किए जाने से इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई नोटिस आदि जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस अधिगृहीत भूमि को राजस्व रिकार्ड के अनुसार ठीक ही नापा गया है। इसका किराया सक्षम प्रधिकारी ने निर्धारित किया है। स्थानीय राजस्व अधिकारियों की यह जिम्मेवारी है कि वे प्राप्य धन राशि को वितरित करे। यह मालूम हुआ है कि बहुत से मामलों में प्राप्य धन राशि का वितरण किया जा चुका है और शेष मामलों में वितरण का काम हाथ में है।

इसके अतिरिक्त स्थानीय रक्षा प्राधिकारियों ने फरवरी, 1965 से मौजा तुरीविटा से 25.50 एकड़ भूमि पर बिना नियमित रूप से अधिग्रहण करने या किराये पर लिए जाने के बिना कब्जे में किया हुआ है, इस कब्जे को नियमित करने और उसका किराया देने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

पाकिस्तान का गिलगित क्षेत्र पर अधिकार

4006. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1968 के कलकत्ता के एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुए यू० एन० आई० के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसके अनुसार रावलपिंडी के एक वकील ने काश्मीर में गिलगित क्षेत्र में पाकिस्तान के प्राधिकार को चुनौती दी है;

(ख) क्या यह सच है कि उस वकील के अनुसार गिलगित को पाकिस्तान में कभी भी औपचारिक रूप से शामिल नहीं किया गया था और न ही उसे अधिकृत काश्मीर का भाग बनने दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं।

(ख) गिलगित पर पाकिस्तान सरकार का सीधा नियंत्रण है, मुजफ्फराबाद की कठपुतली सरकार के एक अंग रूप में नही।

(ग) विलयन के परिणाम-स्वरूप समूचा जम्मू और काश्मीर राज्य भारत का अंग बन गया। इसमें गिलगित भी शामिल है। सरकार कई बार सदन में बता चुकी है कि जम्मू और काश्मीर के कुछ भागों पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा समूचे राज्य पर भारत की प्रभुसत्ता को नहीं बदल सकता।

1968–69 की केरल की योजना

4007. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के मुख्य मंत्री योजना आयोग के उपाध्यक्ष से हाल में मिले थे तथा उन्होंने केरल की 1968–69 की वार्षिक योजना के बारे में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत की थी तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जून, 1968 में त्रिवेंड्रम में उपाध्यक्ष योजना आयोग तथा मुख्य मंत्री के मध्य बैठक हुई थी। इसमें मुख्यतः चौथी पंचवर्षीय योजना के मार्ग–निर्धारण पर विचार विनिमय किया गया और चालू वर्ष की योजना के बारे में बातचीत नहीं हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अफसर

4008. **श्री कृ० दे० त्रिपाठी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन के आक्रमण के बाद कितने एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी सेना में भर्ती किये गये;

(ख) इनमें से कितने अधिकारीयों को सेवा से हटा दिया गया है या हटाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) एमरजेंसी कमीशन प्राप्त ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें वीरता पुरस्कार अथवा प्रशस्ति प्राप्त हुई है, किन्तु जिन्हें नौकरी से हटा दिया गया है या हटाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सेवा से हटाये गये कितने एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को (1) सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में (2) गैर-सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में (3) केन्द्रीय सरकार की विभिन्न सेवाओं में (4) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की विभिन्न सेवाओं में और (5) पुनर्वास के लिये बनी विभिन्न योजनाओं में, पुनः रोजगार दिलाया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 9088 (मेडिकल अफसरों को छोड़ कर)।

(ख) अब तक विमुक्त अफसर		2667
31-10-68 तक विमुक्त होने वाले अफसर		387
	कुल	3054

1969 और 1970 में कितने अफसर सेना से विमुक्त होंगे इसका अभी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सर्विस सलेक्शन बोर्ड द्वारा स्थायी कमीशन के लिए किये जाने वाले इन्टरव्यू में कौन अफसर कैसा काम कर दिखाता है यह सब उस पर निर्भर होता है।

अब तक स्थायी कमीशन दिए गए अफसर		1307
ऐसे अफसर जो सर्विस सलेक्शन बोर्ड की परीक्षा में पास तो हो गये हैं लेकिन जिनके स्थायी कमीशन दिए जाने के मामले अभी तय नहीं हो पाए हैं		662
अभी जिन अफसरों की छानबीन सर्विस सलेक्शन बोर्ड द्वारा की जानी है	लगभग	4000
(ग) अब तक सेवा से विमुक्त किये गये अफसर		18
31-10-68 तक सेवा से विमुक्त किये जाने वाले अफसर		2

(घ) अब तक पुनः नौकरी पर लगाये गए अफसरों का विवरण इस प्रकार है :—

(1) सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं में	47
(2) गैर-सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं में	50
(3) केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में (आई ए एस आदि सहित)	107
(4) राज्य सरकारों की सेवाओं में	27
(5) अन्य	
(क) एन सी सी	398
(ख) पी एस एफ। सी आर पी। आई टी बी पी –	452

(ग) वापस सिविल पदों पर गए हुए अफसर		105
(घ) व्यापार । कृषि में स्वयं गए हुए अफसर		18
	योग	1204

एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसर

4009, श्री कृ० दे० त्रिपाठी : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 के भारत–पाकिस्तान युद्ध में भारत की सेना के कितने कमीशन प्राप्त सेना अधिकारियों ने भाग लिया;

(ख) उनमें से कितने अधिकारी आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी थे; और

(ग) (1) युद्ध में मारे जाने वाले (2) घायल होने वाले (3) घायल होने के फलस्वरूप सेना की सेवा के आयोग्य हो जाने वाले (4) पाकिस्तान द्वारा बन्दी बनाये जाने वाले और (5) अभी भी लापता स्थायी और एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की अलग अलग संख्या कितनी है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख) सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

(ग) सूचना इस प्रकार है :–

	पी० सी० ओज० (1)	ई० सी० ओज (2)	एस० एस० सी० ओज (3)	कुल संख्या (4)
मारे गये	92	71	2	165
घायल	233	195	9	437
घायल और तब से निर्योग्यता के कारण सेवा निवृत	7	1	–	8
बन्दी बनाए गए और देश को वापस लाए गए	31	18	2	51
गुम, परन्तु मारे गए माने गये	4	7	--	11
गुम परन्तु मारे गए न माने गये क्योंकि निकट कुटुम्बी को उनका मारा जाना मान्य नहीं है ।	2	1	–	3

एमरजेंन्सी कमीशन प्राप्त अफसरों का सेवा मुक्त किया जाना

4010. श्री कृ० दे० त्रिपाठी : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय छात्र सेना दल के अधिकारियों की छंटनी करनी ही पड़ेगी क्योंकि राष्ट्रीय छात्रसेना दल प्रशिक्षण को चालू शिक्षा वर्ष से वैकल्पिक कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह छंटनी किस आधार पर करने का विचार है, तथा किस श्रेणी के अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; और

(ग) सेवामुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों में से नियुक्त राष्ट्रीय छात्रसेना दल के अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा यदि और अधिकारियों की छंटनी की गई तो क्या उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : 1968–69 के अन्तर्गत किसी भी पूर्णकालिक एन० सी० सी० अफसर की छंटनी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसी कुछ यूनिटों के केवल सबसे अधिक जूनियर अंशालिक अफसरों पर, इसका प्रभाव पड़ेगा जिन्हें या तो समाप्त कर दिया जाएगा या उनकी संख्या शक्ति घटा दी जाएगी। ऐसे अफसर वापस अपने नियमित अध्यापकीय पदों पर चले जाएंगे।

(ग) 15 जुलाई, 1968 तक आपात कमीशन प्राप्त 340 भूतपूर्व अफसरों को एन सी सी संगठन में नियुक्त किया गया था। एन सी सी की पुनर्गठन योजना के फलस्वरूप ऐसे अफसरों की छंटनी नहीं होने वाली है।

पाकिस्तान में अणु बिजली संयंत्र

4011. श्री समर गुह : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों की सहायता से पाकिस्तान दो अणु बिजली संयंत्र, एक पूर्वी पाकिस्तान में तथा दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान में, स्थापित कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है और प्रस्तावित अणु बिजली संयंत्रों की कितनी क्षमता होगी और वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कब पूरे हो जायेंगे; और

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार खण्डनीय सामग्री (फिसाइल मटीरियल) का स्टाक बनाने की स्थिति में हो जायेगी जिसके कारण भारत के लिए एक नई विकट प्रतिरक्षा समस्या बन जायेगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) करांची संयंत्र की सहायता से स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता 137 मेगावाट की होगी और 1970 तक यह तैयार हो जाएगा। 400 मेगावट के रूपुर संयत्र की प्रारम्भिक रिपोर्ट रूस के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जा रही है।

(ग) पहली मई, 1968 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 9239 के उत्तर को देखिए, सम्भवतया खन्डनीय सामग्री (फिसाइल मटीरियल) बचाव के लिए इस्तेमाल में आए।

उत्तर प्रदेश की भूमि के आंकड़ों में अन्तर

4012. श्री मोलहू प्रसाद : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के वर्ष 1962 के वार्षिक प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 744 लाख एकड़ बताया गया है;

(ख) क्या सूचना विभाग की वर्ष 1966 की डायरी में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 729 लाख एकड़ बताया गया है;

(ग) क्या 1967 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित "इण्डिया 1967" में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 723 लाख एकड़ बताया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है कि आंकड़ों में अन्तर क्यों है तथा 1962 से 1967 की पांच वर्षों की अवधि में उत्तर प्रदेश की बीस लाख एकड़ भूमि कम क्यों हुई; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) संभवतः माननीय सदस्य "उत्तर प्रदेश वार्षिक प्रतिवेदन" के 1962 वाले अंक में दिये गये आंकड़े का हवाला दे रहे हैं। राज्य सरकार के अनुसार आंकड़े की त्रुटि का कारण दिल्ली और हरियाना के कुछ क्षेत्रों को असावधानी से सम्मिलित कर लेना है।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोको द्वीप

4013 श्री मधु लिमये : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री 31 जुलाई, 1968 के आंतारांकित प्रश्न संख्या 1921 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोको द्वीप का कब्जा एक कार्यकारी आदेश अथवा मौखिक रूप से अथवा एक करार द्वारा वर्मा को दिया गया था; और

(ख) क्या इसके संसद् की स्वीकृति ली गई थी ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमति इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) : 1937 में वर्मा के ब्रिटिश अधीन भारत से अलग होने से पहले और उसके बाद भी कोको द्वीप समूह वर्मा का अंग रहा है। इस तरह किसी कार्यकारी आदेश अथवा मौखिक या किसी करार द्वारा इन द्वीपों को उनके कब्जे में देने का, संसद की अनुमति लेकर या लिए बिना, प्रश्न नहीं उठता।

एशिया फाउंडेशन प्रतिष्ठान

4014 श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया फाउंडेशन ने प्रधान मन्त्री को अपने इस निर्णय की सूचना दी है कि वह भविष्य में सी० आई० ए० द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थित किसी भी संस्था से कोई राशि नहीं लेगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस संस्था के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है और इसके द्वारा सी० आई० ए० सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा धन स्वीकार करने पर सरकार की अप्रसन्नता केवल मौखिक रूप से व्यक्त की गई थी; और

(ग) क्या उपरोक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार प्रतिष्ठान के कार्य को भारत में पहले की तरह चलने देने का है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

इसकी कोई गारन्टी नहीं हो सकती कि एशिया फाउन्डेशन भविष्य में संदिग्ध स्रोतों से धन नहीं लेगा ।

Grants fcr Educational Institutions in Sikkim and Bhutan

4015 Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have given grants for the establishment and development of some educational institutions in Sikkim and Bhutan;

(b) if so, the amount given for this purpose during the last five years; and

(c) the number of Indian students who got education in these educational institutions during the above pericd ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gaadhi) : (a) Yes, Sir. The House has been informed on many previous occasions about India's Economic Cooperation Programmes with Bhutan and sikkin. Under these programmes, assistance is provided for many projects including those connected with the development of education in the two States.

(b) During the financial years 1963-64 to 1967-68 the amounts given are as under :

Bhutan – approximately Rs. 170.8 lakhs

Sikkim – approximately Rs. 78.7 lakhs.

(c) Administration and control over educational institutions in Bhutan and sikkim a·e in the hands of the Governments of the two countries. Such Indian students as are normally resident in these countries have access to the local educational institutions.

Government of India are not in a position to furnish statistics in this regard as they are not primarily concerned.

राज्यों की प्रति व्यक्ति आय और व्यय

4016. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के आरम्भ में और 1966-67 और 1967-68 में राज्यवार प्रतिव्यक्ति आय और व्यय कितना था ?

प्रधान मंत्री, अणु-**शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)**: 1950-51, 1955-56, 1960-61, 1966-67 के लिए स्थिर कीमतों के आधार पर अलग-अलग राज्यों के आंकड़ा कार्यालयों द्वारा तैयार किये गये राज्यों के प्रति व्यक्ति आन्तरिक उत्पाद (अर्थात प्रत्येक राज्य के भौगोलिक सीमा के भीतर प्राप्त होने वाली आय) के उपलब्ध अनुमानों को सूचित करने वाला एक विवरण संलग्न है। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर 1967–68 के लिए उस प्रकार के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। इन वर्षों के लिए विभिन्न राज्यों में होने वाले प्रति व्यक्ति व्यय के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1745/68]**

प्रतिनिधिमंडलों, मंत्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों का विदेश का दौरा

4017. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के कितने प्रतिनिधिमण्डल, मंत्री, सरकारी कर्मचारी अथवा अन्य विशेषज्ञ 1967–68 में सरकारी खर्च पर विदेशों में गये;

(ख) प्रत्येक मामले में किन–किन देशों का दौरा किया गया तथा कितनी-कितनी अवधि के लिए;

(ग) प्रत्येक दौरे में कितना धन व्यय किया गया तथा उसमें कितनी विदेशी मुद्रा शामिल थी; और

(घ) प्रत्येक दौरे से सरकार को क्या-क्या लाभ हुआ तथा यदि उसमें कोई करार हुए तो उनका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

Nagas's request for Acquisition of Arms from Foreign Countries

4018. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Naga rebels have requested the Central Government to permit them to get the supply of arms from foreign countries; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister fo Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) (a) No, Sir, such a request, if made, would certainly be rejected as absurd and treasonable.

(b) Does not arise.

अमरीकी नौ सैनिक अड्डे बनाने के लिए हिंद महासागर का सर्वेक्षण

4019. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका का 'ओ आहारा' विध्वंसक जहाज हाल ही में बंबई आया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी नोसैनिक अड्डे स्थापित करने के लिए उस विध्वंसक जहाज ने हिंद महासागर का सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्रो, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। यह एक सामान्य यात्रा थी।

(ख) और (ग) हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

(घ) इस क्षेत्र के विदेशी अड्डे के संबंध में सरकार के विचार पहले ही एक से अधिक अवसरों पर व्यक्त किए जा चुके हैं।

वैमानिक (एयरोनाटिक्स) संबंधी समिति

4020. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री सी० सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में गठित की गई वैमानिकी संबंधी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रति रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Purchase of land by Nizam of Hyderabad

4021. Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Balraj Madhok:
Shri Atal Bihari Vajpayee:
Shri Sharda Nand:
Shri Narain Swarup Sharma:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Nizam of Hyderabad has recently purchased about five acres of Government land at the rate of twenty five paise per square yard near the Dolphin's nose of Visakhapatnam;

(b) whether it is also a fact that in case a building is constructed over this land most of the sections of the Indian Navy in that area would bo visible from there;

(c) whether that situation would be dangerous from the security point of view; and

(d) if so, the action taken by Government in that regard ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

ब्रिटेन का आप्रव्रजन अधिनियम

4022. श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बलराज मधोक :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शारदानन्द :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेता आयोग ने हाल में यह मत व्यक्त किया है कि ब्रिटेन का आप्रव्रजन अधिनियम जाति और रंगभेद की नीति पर आधारित है तथा 'अश्वेतों' को दूसरी श्रेणी के नागरिक समझा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विधि वेत्ता आयोग सं० 34 (जून,1968) के बुलेटिन में 'युनाइटिड किंगडम: दूसरी श्रेणी के नागरिक' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रमंडल आप्रवास अधिनियम. 1968 'दूसरी श्रेणी के नागरिकों के एक नए वर्ग की सृष्टि करता है, और "इस तथ्य से तो इस कानून में जातिभेद निश्चित रूप से झलकता है कि ये नागरिक अश्वेत हैं"

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग द्वारा अभिव्यक्त इन विचारों से भारत सरकार सामान्यतः सहमत है कि राष्ट्रमंडल आप्रवास अधिनियम 1968 का आशय भेदभावपूर्ण है।

उड़ीसा में ठेके पर काम करने वाले कलाकार

4023. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तीन रेडियो-स्टशनों में ठेके पर काम करने वाले कितने कलाकार कार्य करते हैं, और

(ख) इन ठेके पर काम करने वाले कलाकारों के वेतन भत्ता आदि के बारे में नियम इसके पूर्व कब बनाये गये थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 1 जून, 1968 को 65।

(ख) 1-10-1964।

केप टाउन में हृदय के शल्प चिकित्सकों की गोष्ठी

4024. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केप टाउन में हाल में हुई हृदय के शल्प चिकित्सकों की गोष्ठी में डा० पी० के० सेन को भाग लेने की अनुमति दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण अफ्रीका में होने वाले समारोहों में भाग नहीं लेने की सरकार की निश्चित नीति का पालन न किये जाने के क्या कारण थे ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक–कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) डा० पी० के० सेन दक्षिणी अफ्रीका में हुए हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन सम्मेलन में अपनी निजी हैसियत में भाग लेने गए थे। इस सम्मेलन का आयोजन डा० क्रिश्चियन बर्नार्ड ने व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेज कर इस उद्देश्य से किया था कि "सभी सर्जनों के ज्ञान को संग्रहीत किया जा सके और अपनी-अपनी गलतियों के बारे में विचार-विनिमय हो सके। विज्ञान एवं मानवता के हित में यह अपवाद किया गया।

भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच सहयोग

4025. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दिल्ली में संयुक्त अरब गणराज्य के राजदूत ने 22 जुलाई, 1968 को संवाददाताओं के साथ हुई बातचीत में कहा था कि लड़ाकू विमान बनाने में भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच सहयोग बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि सरकार इस परियोजना की विद्यमानता को भी गोपनीय रख रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) माज़ी में ऐसी सूचना कई प्रश्नों के उत्तर में सदन में दी जा चुकी है कि उस देश में एच० एफ० 24 विमान ढांचे में लगाए गए यू० ए० आर० ई० 300 इंजन के विकास निरीक्षण प्रगतिशील हैं। इस विषय में अन्तिम बार, 31-7-1968 को एक प्रश्न अतारांकित प्रश्न संख्या 1908 का उत्तर दिया गया था।

रूस द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सामान देना

4026. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री वेदव्रत बरूआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सामान की सप्लाई की मात्रा अथवा किस्मों के बारे में अब सरकार को कोई और जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिये जाने वाले हथियार अनिवार्यतः प्रतिरक्षात्मक प्रकार के हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य निरीक्षण संगठन

4027. **श्री के० रमानी :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री उमानाथ :
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाद्य निरीक्षण संगठन के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मामले की जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ) जनवरी, 1968 में एक अभिवेदन प्राप्त हुआ था कि जिसमें अन्य बातों सहित ऐसा उल्लेख था कि ठेके द्वारा खरीदी गई दालें घटिया किस्म की थीं। जांच से पता चला कि कोई बेकायदगी नहीं हुई, और दालें जो निर्धारित ब्यौरे की न थीं या तो अस्वीकृत कर दी गई थीं, या सप्लाई करने वाली फर्म के खर्च पर प्रयोग और साफ करने आई लागत के अनुसार उन के गुणरूप के कारण रियायत पर स्वीकार की गई थी। अभिवेदन का उत्तर दिया गया था।

फूड इन्स्पेक्शन संस्था द्वारा द्रव्यों की अस्वीकृति के विरूद्ध ठेकेदारों/सप्लाई करने वालों से समय समय पर अभिवेदन/शिकायतें/अपीलें की जाती हैं, और इन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

खाद्य निरीक्षण संगठन

4028. **श्री के० रमानी :** **श्री एस्थोस :**
श्री सत्य नारायण सिंह : **श्री अनिरूद्धन :**

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य निरीक्षण संगठन में बड़ी संख्या में ऐसे वैज्ञानिक सहायक हैं जिनकी अर्हता प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की है और जिनको पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव भी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनको राजपत्रित पदों पर पदोन्नत करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में(प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) रक्षा निरीक्षण में वैज्ञानिक सहायकों की संख्या 43 हैं। तकनीकी अफसर संवर्ग के लिए इस समय निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं इनमें से किसी के भी पास नहीं है । रसायन/जीव रसायन/सूक्ष्म जीव विज्ञान में एम० एस० सी० की डिग्री के साथ साथ दो वर्ष का खाद्यान जीव रसायन या टेक्नोलोजी में अनुसंधान कार्य का अनुभव रखना इसके लिए न्यूनतम तकनीकी योग्यताएं निर्धारित की हुई हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Training to Indian Forces in Offensive Strategy

4029. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian forces are not imparted training in offensive strategy;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to impart such training as is given in the other countries like U. K.; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri **Swaran Singh**) : (a) No, Sir, It is not a fact.

(b) to (d) Do not arise.

Hill Development Board for U. P.

4030. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have set up a Hill Development Board for the development of backward areas of Uttar Pradesh;

(b) the work done by this Board so far for the progress of the hilly areas and the special circumstances examined by it;

(c) the amount spent and the names of the items on which it was spent since the establishment of this Board; and

(d) the names of the undertakings proposed to be set up during the Fourth Plan period and the proposed investment in each of those undertakings ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir, the Uttar Pradesh Government have set up a Hill Development Board for the State.

(b) The U. P. Hill Development Board has so far held three meetings and has appointed eleven sub-committees to assist it in the task of examining special problems of the hill areas and in formulating schemes based on their needs. The Sub-Committees on tourism, transport and horticulture have submitted their reports which have also been considered by the Board and the recommendations of the Board are being examined by the U. P. Government.

(c) The Board is an advisory body and no funds have been placed at the Board's disposal for direct execution of development schemes.

(d) The work relating to the preparation of the Fourth Five Year Plan of the State is in progress and the proposals for the hill areas will be worked out in due course.

चलचित्रों सम्बन्धी सेन जांच समिति

4033. डा० रानेन सेन : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त की गई चलचित्रों सम्बन्धी सेन जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

पश्चिमी बंगाल सरकार से निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :–

पश्चिम बंगाल राज्य फिल्म जांच समिति ने सिफारिश की है कि राज्य सरकार एक फिल्म विकास बोर्ड स्थापित करे जो राज्य में फिल्म उद्योग को सहायता देने, इस उद्योग को वित्तीय सहायता देने तथा उत्पादन, वितरण और प्रदर्शन के कारोबार तथा इसके सहायक कारोबारों के लिये अन्य सहायता देने के लिये उपबन्धों का विनियमन करेगा और उद्योग की बुराइयों को दूर करेगा तथा एक आचार संहिता बनायेगा।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सिनेमा घरों के लिये स्थानों के बारे में वर्तमान प्रतिबन्धों को कम कर दिया जाये और यह सुझाव दिया है कि बोर्ड, जिसे राज्य सरकार से अनुदान मिले, कुछ परिस्थितियों में फिल्में तैयार करने, फिल्म निर्माणशालाओं और सिनेमा घरों का निर्माण करने तथा प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिये ऋण दे। समिति ने उद्योग मे स्वतः विनियमन करने मनोरंजन कर की वर्तमान दरों में अदला बदली करने तथा सिनेमा उद्योग में कर्मचारियों की दशा की जांच कराने के लिए कुछ कार्यवाही करने की सिफारिश की है। राज्य सरकार ने ये कदम उठाये हैं।

(1) राज्य सरकार ने सिनेमा लाइसेंस देने की नीति को उदार बनाने के लिये कार्यवाही की है और उसने जिला लाइसेंस अधिकारियों को उन स्थानों के नामों के बारे में एक परिपत्र भेजा है जहां सिनेमा घर बनाये जा सकते हैं;

(2) राज्य सरकार राज्य में बनाई गई फिल्मों के लिये वितरण घरों की एक अनन्य शृंखला बनाने के हेतु कलकत्ता में कम से कम तीन सिनेमा घरों का पट्टे पर अथवा अन्यथा अर्जन करने के लिये कार्यवाही कर रही है;

(3) राज्य सरकार का विचार प्रत्येक सिनेमा घर में राज्य में बनाई गई फिल्मों के अनिवार्य प्रदर्शन के लिये कुछ प्रतिशत समय आरक्षित करने का आदेश जारी करने का है जिससे विश्वास किया जाता है कि ऐसी फिल्मों की उपयोगिता बढ़ेगी;

(4) फिल्म उद्योग से सम्बन्धित मामलों पर राज्य सरकार को सामान्य परामर्श देने के लिये राज्य सरकार ने एक फिल्म (उत्पादन तथा विकास) समिति नियुक्त की है; और

(5) सेन समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य फिल्म वित्त तथा विकास बोर्ड स्थापित करने के लिये एक योजना बनाने का काम भी इसी समिति को सौंपा गया है।

Maps in Chinese Book Showing Indian Territory as Chinese Territory

4034. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news published in the newspapers to the effect the Soviet paper New Times has published a news that the students of the Chinese University are taught the text book "Brief History of Modern China" by Lieu Pedu and in the maps included in this book Bhutan, Sikkim, Assam and Andaman Islands have been shown as Chinese territory; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) (a) Yes, Sir.

(b) The article in the New Times referred to a map included in a Chinese history text book entitled "Brief History of Modern China" by Liu Pei Hua, Apart from the map included in this book which related to the area mentioned in part (a) of the question, the map also claimed areas of USSR and certain South East Asian neighbouring countries. The map has attracted Government's attention. It is absurd in its claims and is totally rejected.

Findings of Press Correspondent of U. S. News and World Report

4035. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Goverement's attention has been drawn to a news-item published in the various newspapers in which it has been stated that the press correspondent of an American newspaper named United States News and World Report toured various parts of Eastern India and found that China, after a long and continuous struggle, has succeedd in getting the support and loyalty of hill tribes of Calcutta and Assam; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Eenrgy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) The press report in question is biased, exaggerates the situation and is clearly speculative in nature. We do not agree with this assessment.

Land For Ex-Servicemen in Madhya Pradesh

4036. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to allot land to some ex-servicemen in Madhya Pradesh;

(b) if so, the number of ex-servicemen who have been allotted land during the last 12 months and the acreage of land allotted;

(c) the acreage of land allotted in Hoshangabad and East Nimad Districts of Madhya Pradesh and the names of the places where land has been allotted; and

(d) in case no decision has been taken about allotting land to ex-servicemen the reasons for not allotting land to ex-servicemen of this State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) (a) to (d) : The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House in due course.

तटस्थ नागाओं द्वारा नये राजनैतिक दल की स्थापना

4037. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तटस्थ नागाओं ने एक नया राजनैतिक दल बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी नीति तथा कार्यक्रम क्या है; और

(ग) भारत के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) नागालैंड में आगामी (1969) चुनाव लड़ने के लिए 17 जुलाई, 1968 को एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई गई है । इस पार्टी का नाम है 'यूनाइटेड फ्रंट आफ नागालैंड' । इस पार्टी के घोषणा-पत्र में निम्नलिखित बातें हैं :

(1) यह पार्टी भारत सरकार और छिपे नागाओं के बीच सीधी बातचीत के जरिए नागालैंड की समस्या का शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान खोजने के लिए कार्य करेगी। यह पार्टी इस तरह की बातचीत में शामिल होने के लिए नहीं कहेगी जब तक कि दोनों पक्ष इसके लिए खास तौर से नहीं कहेंगे।

(2) यह पार्टी स्वस्थ और सक्षम प्रशासन के उद्देश्य से सुधार करने की जी-तोड़ कोशिश करेगी।

(3) यह पार्टी लोगों में आर्थिक अंतर को दूर करने का यत्न करेगी और कुछ लोगों का जो अनुचित पक्ष लिया जाता है वह खत्म करेगी।

(4) यह पार्टी विदेशी तत्वों की घुसपैंठ को और विदेशी प्रभाव को रोकने के लिए कदम उठाएगी जिसका नागाओं के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर बुरा असर पड़ता हो।

(5) यह पार्टी कृषि और विकास की कार्यवाहियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

पश्चिम जर्मनी द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

4038. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 के प्रथम तीन महीनों में पाकिस्तान को पश्चिम जर्मनी से भारी मात्रा में हथियार प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या रूस ने इस अवधि में सबसे अधिक हथियार पाकिस्तान को दिए हैं;

(ग) क्या उनका ध्यान पाकिस्तानी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हथियारों की सूची की ओर दिलाया गया है, जिसमें बताया गया है कि 500 कोबरा टैंक-भेदी प्रक्षेपणास्त्र, सेबर-जेट एफ० 86, डगलास 3 सी तथा 47 लाकहीड तथा बड़ी मात्रा में अन्य हथियार दिये गये है; और

(घ) क्या इस समाचार की सत्यता के बारे में कोई जांच की गई है और इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) यद्यपि सरकार को पाकिस्तान द्वारा पश्चिम जर्मनी से मिसाइल विमानों के पुर्जे और इलेक्ट्रानिक उपस्कर आदि की प्राप्ति के संबंध में जानकारी है फिर भी 1968 के पहले तीन महीनों में काफी बड़ी मात्रा में इनकी सप्लाई सरकार के ध्यान में नहीं आई है। तथापि सरकार पाकिस्तान द्वारा विभिन्न देशों से हथियारों की उपलब्धि पर बराबर ध्यान रख रही है जिससे कि अपनी ओर से भी समुचित उपाय किए जा सकें। मुझे खेद है कि विभिन्न हथियारों के विवरण देना सम्भव नहीं है।

New Seeds by Bhabha Atomic Research Centre

4039. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the names of new seeds produced along with their properties as a result of the experiments carried out in regard to foodgrains and vegetable seeds in Bhabha Atomic Research Centre; and

(b) the number of seeds out of them adopted by the Food Department and those which are at the experimental stage ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Three rice mutants Trombay-1, Trombay-2 and Trombay-5 (TR-1, TR-2 and TR-5) and seven groundnut mutants (TG-1 to TG-7) with promising characteristics were evolved at the Bhabha Atomic Research Centre. TR-1 is an early and high yielding mutant evolved from GEB-24. TR-5 is a stiff-strawed, non-lodging and dwarf mutant from a salt-resistant variety SR 26-B. Among the groundnut mutants TG-1 is a large pod mutant which may serve as a good table variety.

(b) All the above mutants are being tested under All India Coordinated Rice and Groundnut Projects and are at the experimental stage.

Conversion of Soft Wood into Hard Wood by Radiation

4040. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the project initiated to convert ordinary soft wood into hard wood like teak through the process of radiation by the Radiation Chemical Section of Bhabha Atomic Research Centre; and

(b) the types of wood found suitable in experiments and cost thereof per cubic foot ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Several soft woods have been treated with indigenous plastic monomers like styrene and radiation polymerized using gamma rays from cobalt-60. The treated woods show considerable improvement in hardness, compressibility, dimensional stability, etc.

(b) woods treated are the soft woods available in abundance such as a vellapine, silver oak and other box woods like chir, mango and deodhar. Since the investigations are at an experimental stage, it is premature to make a realistic estimate of costs.

Construction of Reactors

4041. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the research work in regard to reducing the capital investment of constructing the reactors in Bhabha Atomic Research Centre;

(b) whether an attempt was also made to convert the ' Candu type" horizontal reactor into verticular one; and

(c) if so, the extent of success achieved in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Development work towards reducing capital cost of constructing reactors is a continuous process and is carried out in various areas of work. The major effort is towards simplification of design of the various reactor components.

(b) and (c) The question of converting the design of the candu type horizontal reactor into a vertical one has been studied in detail. However, it is not considered advantageous to change the design at this stage.

भारत की सहायता से बना बराटनगर (नेपाल) में हवाई अड्डा

4042. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विराटनगर (नेपाल) में भारत की सहायता से बने हवाई अड्डे का उद्घाटन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च आया है;

(ग) हवाई अड्डे की विशेष बातें क्या हैं; और

(घ) हवाई अड्डे में कितने नेपाली और कितने भारतीय कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। हवाई अड्डे का उद्घाटन नेपाल के प्रधान मंत्री ने 22 जून, 1968 को किया था।

(ख) रु० 21,43,000।

(ग) इस हवाई अड्डे पर टर्मिनल इमारत, माल गोदामों, स्टाफ क्वार्टरों, आन्तरिक सड़कों, धावन-पथ और विद्युत प्रतिष्ठानों की व्यवस्था की गई है।

(घ) यह हवाई अड्डा नेपाल के प्रदेश में बनाया गया है और उसके प्रशासन एवं संगठन से नेपाल सरकार को ही पूरा सरोकार है।

राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों को पुनः बसाना

4043. श्री बलराज मधोक : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान नहर क्षेत्र में भारत पाकिस्तान सीमा पर भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिये 5 मील चौड़ी तथा 65 मील लम्बी भूमि देने का वचन दिया था;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार अब उस वचन से मुकर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) राजस्थान सरकार ने पाकिस्तानी सीमा से 5 मील की एक पट्टी में भूतपूर्व सैनिकों को लगभग 50000 एकड़ भूमि अलाट करने का वचन दिया है।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

सैनिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम

4044 श्री वासुदेवन नायर :
श्री जि० मो० विस्वास :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का सैनिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम, जो कि इस समय अंग्रेजी तथा हिन्दी है, बदलने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार एक ही भाषा रखने का है; और

(ग) यदि हां, तो सैनिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम क्या होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) सैनिक स्कूलों को सरकार नहीं चलाती है अपितु सैनिक स्कूल सोसाइटी नामक एक स्वायत्त पंजीकृत सोसाइटी चलाती है। इस समय सैनिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। इस माध्यम को बदलने का सैनिक स्कूल सोसायटी के बोर्ड आफ गवर्नर्स के सम्मुख कोई प्रस्ताव नहीं है। सैनिक स्कूलों में हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य है। प्रादेशिक भाषाएं और संस्कृत भी वहां पढ़ाई जाती है।

Shooting Range in a Village in Bangalore

4045. Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 3 persons were killed, 2 others were disabled and 7 others received minor injuries during the shooting practice by the Army in Heggnur village in District Bangalore on the 18th April, 1968;

(b) whether it is also a fact that the dependants of the dead persons were paid a compensation of only Rs. 250 and no compensation was paid to the disabled persons;

(c) whether it is also a fact that no compensation has been paid for the land acquired from the villagers for the shooting range and no alternative arrangement of drinking water has been made for the villagers in view of the fact that the well, the only source of drinking water, forms part of the acquired land;

(d) whether it is also a fact that because of close proximity to the shooting range, the villagers are not able to till several hundred acres of land properly; and

(e) if so, the action taken by Government in this connection so far and the action proposed to be taken in future ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (e) The relevant information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Financial Assistance to Rani Guidallo

4046. Shri Bansh Narain Singh : Will the Minister of **External-Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have given any financial assistance to Rani Guidallo as in the case of other political sufferers in India; and

(b) if so, the nature thereof and if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) The State Government of Nagaland is providing free accomodation and transport to Rani Guidallo and also meeting expenses of a miscellaneous nature. The Government of India are not primarily concerned.

भारत की विदेश नीति के बारे में गलत धारणायें

4047. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा उसकी नीति के बारे में विदेशों में कई गलत धारणायें फैली हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों से सम्बद्ध जन सम्पर्क व्यवस्था को अधिक सक्रिय बनाने के लिये भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का बिचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जिन विदेशी सरकारों के साथ हमारे सम्बन्ध हैं, वे हमारी नीतियों से परिचित हैं, यह कार्य हम उनके नई दिल्ली स्थित राजदूतावासों एवं उन देशों में स्थित अपने मिशनों के माध्यम से करते हैं।

(ख) विदेशों में स्थित हमारे मिशनों से सम्बद्ध 60 प्रचार केन्द्र हैं और वे हमारी प्रचार सामग्री को सुलभ स्थानीय साधनों के माध्यम से वितरित करते रहते हैं। अपनी विदेश प्रचार व्यवस्था पर पुनर्विचार करने और उसे सुधारने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

पाकिस्तान को रूस द्वारा परमाणु उपकरणों की सप्लाई

4048. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि हैदराबाद (सिंध) के निकट पाकिस्तान के प्रस्तावित अणु शक्ति केन्द्र में उपयोग के लिये रूस का पाकिस्तान को परमाणु उपकरणों की सप्लाई करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि पाकिस्तान हैदराबाद (सिन्ध) के पास आणविक शक्ति-स्टेशन का निर्माण कर रहा है।

रेडियो मास्को से भारतीय भाषाओं में तथा आकाशवाणी से रूसी भाषाओं में प्रसारण

4049. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भारतीय श्रोताओं के लिये रेडियो मास्को से कितनी भारतीय भाषाओं में प्रसारण किये जाते हैं; और

(ख) आकाशवाणी से सोवियत रूस में श्रोताओं के लिये कितनी रूसी भाषाओं में प्रसारण किये जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) आठ अर्थात बंगला, हिन्दी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तैलुगु और उर्दू ।

(ख) कोई नहीं जी । तथापि, रूसी भाषा में भी एक सेवा चालू करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

अमरीका में भारत के लिये काम करने वाले जन-सम्पर्क निकाय

4050. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में भारत के लिये काम कर रहे विभिन्न जन-सम्पर्क निकायों के कार्य संचालन के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुमान का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) एक या दो मामलों का मूल्यांकन किया गया है, किन्तु अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । एक सामान्य मूल्यांकन किया जाएगा और यथासमय उसके परिणाम से सदन को अवगत कराया जाएगा ।

Chinese Propaganda about Manufacture of Atomic Weapons by India

4051. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China is making propaganda against India to the effect that India is manufacturing atomic weapons secretly;

(b) whether it is also a fact that China is purchasing atomic material from U.S.A. through her agents and getting the supply of same via Hong Kong; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Government of India have not seen any reports to this effect.

(b) The Government of India have no knowledge of this.

(c) Does not arise.

Sale of Unserviceable Vehicles to ex-Servicemen

4052. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any quota has been fixed for selling the unserviceable vehicles belonging to Defence Department to ex-servicemen on concessional rates;

(b) if so, the details thereto; and

(c) if not, whether Government propose to take steps in this respect ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) All ex-servicemen and Co-operative Societies of ex-servicemen are entitled to purchase, on payment, surplus Defence vehicles. No quota is fixed for this purpose. However, an ex-serviceman is normally entitled to release of only one vehicle during his life time, while an ex-servicemen Cooperative Society is not allowed to purchase more than 3 vehicles on the whole or more than one vehicle for every 20 members. The price charged is the average auction sale rate for the same category of vehicles realised in open auction conducted by the D.G.S & D. for disposal of surplus Defence vehicles.

(c) In view of the limited entitlement, it is not considered necessary to fix a quota.

Detention of Rani Guidallo

4053. **Shri T. P. Shah :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Rani Guidallo been kept under detention at Kohima by the Government of Nagaland;

(b) if so, whether Government propose to give directions to the Government of Nagaland to lift the restrictions imposed on Rani Guidallo; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

Facilities Given to Rani Guidallo under Detention

4054. **Shri T. P. Shah :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the nature of facilities being provided to Rani Guidallo under detention at present;

(b) whether it is a fact that proper arrangements for her board and lodging have not been made; and

(c) if so, the action being taken to provide her necessary facilities ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c) : Rani Guidello has not been placed under detention. The State Government have provided her with free accommodation and transport and are bearing expenses of a miscellaneous nature.

Detention of Rani Guidallo

4055. **Shri T. P. Shah :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is great discontentment among the Hindu Nagas of Nagaland on account of the detention of Rani Guidallo; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy. Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Rani Guidallo has not been placed under detention. Government of India are not aware whether there are any Hindu Nagas as such.

(b) Does not arise.

आयुध कारखाने द्वारा लुबे तेल के बैरलों का निर्माण

4056. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुसावल स्थित आयुध कारखाने ने भारतीय तेल निगम को सप्लाई करने के लिये लुबे तेल के बैरलों का निर्माण करना आरम्भ कर दिया है और यदि हां तो गत दो वर्षों की अवधि में इन बैरलों के निर्माण और सप्लाई का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें भारतीय तेल निगम को किन-किन मूल्यों पर बेचा गया है;

(ख) आयुध कारखाने को किन विशेष परिस्थितियों के कारण तेल के बैरल बनाने पड़े तथा इस कारखाने को बदलने से प्रतिरक्षा उत्पादन पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या बैरल बनाने के लिये अपेक्षित इस्पात की चादरों की पूरी सप्लाई नहीं की गई थी और यदि हां, तो क्या आयुध कारखाने ने प्रतिरक्षा को वरीयता देने से आलट की गई चादरों का उपयोग किया था; और

(घ) प्रतिरक्षा वरीयता अथवा अन्यथा नियत की गई चादरों का ब्यौरा क्या है तथा बैरलों के निर्माण के लिये किसी विशेष अवसर पर किये जाने वाले कोटे का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां। गत दो वर्षों के दौरान भारतीय तेल निगम ने आयुध कारखाना, भुसावल के पास क्रमश: 1,00,020, 1,00,000 और 2,00,000 बैरलों के लिये तीन खरीद- आदेश भेजे थे। प्रथम दो खरीद आदेश पूरे किये जा चुके हैं और तीसरा पूरा किया जा रहा है। खरीदार के व्यापारिक हितों में यह वांछनीय नहीं होगा कि कीमतों के बारे में सूचना घोषित की जाये।

(ख) साधारणतया आयुध कारखाना, भुसावल में बैरल प्रतिरक्षा सेवाओं और सीमा सड़क संगठन के लिये बनाये जाते हैं। यद्यपि इसके लिये भार परिमाण कारखाने के बैरल विभाग के कार्य-भार के अनुसार अपर्याप्त था फिर भी भारतीय तेल निगम के लिये बैरलों का निर्माण करना स्वीकार कर लिया गया। इन आदेशों के स्वीकार करने से प्रतिरक्षा उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) भारतीय तेल निगम को बैरलों की सप्लाई के लिये आयुध कारखाना, भुसावल द्वारा उपयोग की गई इस्पात की चद्दरें प्रतिरक्षा सेवाओं को बैरलों के लिये अपेक्षित चद्दरों से भिन्न प्रकार की हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उर्वरक उत्पादन के लिये परमाणु शक्ति

4057. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि-उद्योग समूह अध्ययन दल द्वारा किये जा रहे अध्ययन के अतिरिक्त क्या सरकार भी अलग से, मुख्य रूप से उर्वरकों के उत्पादन के लिये अणु-शक्ति का प्रयोग करने की संभावना के बारे में जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या एक पृथक स्रोत से भी इस प्रस्ताव की जांच कराने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं है।

(ग) इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वाणिज्यिक प्रसारण

4058. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री एस० आर० दामानी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों से वाणिज्यिक प्रसारण की दर विभिन्न घंटों के लिये समान हैं;

(ख) यदि नहीं, तो किस सिद्धान्त पर दरें निर्धारित की गयी हैं; और

(ग) आकाशवाणी पर जब से वाणिज्यिक विज्ञापन शुरू हुए हैं, तब से उसकी क्रियान्विति के बारे में क्या अनुभव हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) इस समय वाणिज्यिक प्रसारण केवल बम्बई, पूना तथा नागपुर से प्रसारित किये जाते हैं और इन तीनों ही केन्द्रों के लिये मिलीजुली दरें अपनाई गई है। तथापि, ये दरें सबसे अधिक सुने जाने के समय, अधिक सुने जाने के समय और कम सुने जाने के समय के अनुसार अलग अलग होती है। अन्य उन केन्द्रों की दरें, जहां से भविष्य में वाणिज्यिक प्रसारण किये जा सकते हैं, विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करती हुई अलग अलग हो सकती है। दरें कई बातों को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती हैं, जैसे सिनेमा तथा समाचार-पत्र जैसे प्रतियोगी माध्यमों की विज्ञापन दरें, उन कार्यक्रमों की लोकप्रियता जिनमें ये विज्ञापन दिये जाते हैं, क्षेत्र में लाइसेन्स प्राप्त रेडियो सैटों की संख्या आदि।

(ग) आकाशवाणी पर वाणिज्यिक प्रसारण का बम्बई प्रायोगिक प्रायोजना के कार्य का अनुभव अत्यन्त उत्साहवर्धक रहा है। समय से मांग अधिक है।

वियतनाम में शान्ति के लिये भारत द्वारा मध्यस्थता

4059. **श्री वेणीशंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने वियतनाम में शान्ति स्थापना के लिये मध्यस्थता करने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसका परिणाम क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) सरकार ने वियतनाम संघर्ष में बीच-बचाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है लेकिन वह राजनयिक सूत्रों के जरिए सम्बद्ध पक्षों से बराबर सम्पर्क बनाए रहती है । इन संघर्षों का ब्यौरा बताना उचित न होगा ।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा लगाये गये आरोप

4060. **श्री वेणीशंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि वह दोनों देशों के बीच विमान सेवाएं पुनः आरम्भ करने के प्रश्न के साथ अन्य विवादों को भी जोड़ रहा है और एक पैकेज समझौते का सुझाव दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) यह आरोप निराधार है । 3 जुलाई, 1968 के एक नोट में इसलामाबाद-स्थित भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान सरकार को बताया था कि हवाई सेवा पुनः शुरू करने का सवाल अक्तूबर, 1967 में ही उठाया गया था । तब से पाकिस्तान सरकार से बार-बार यह प्रस्ताव किया गया है और उसने हमें यह जवाब दिया है कि वह इस पर विचार कर रही है ।

आर्थिक और सामाजिक परिषद् का अधिवेशन

4061. **श्री वेणीशंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 जुलाई, 1968 से संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद् का एक अधिवेशन जेनेवा में हुआ था;

(ख) क्या भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया था और इसने विकासशील राष्ट्रों की समस्याओं को हल करने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के हेतु विश्व स्तर पर नीति निर्धारित करने के लिए प्रयत्नों को जारी रखने की दलील दी थी: और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता श्री बलिराम भगत ने जो विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, यह प्रस्ताव रखा कि अगली विकास दशाब्दी के लिए एक विश्व-व्यापी कूटनीति उपकल्पित करने के सम्बन्ध में एक अन्तर-सत्रीय तंत्र की स्थापना की जाए।

(ग) भारत तथा 14 अन्य देशों द्वारा सहअयोजित एक प्रस्ताव आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् में एकमत से पारित हो गया था जिसमें उक्त परिषद् की आर्थिक समिति को यह अनुदेश दिया गया था कि 1968 का अन्त होने से पूर्व वह अन्तर-सत्रीय रूप से और उसके बाद जब भी आवश्यक हो तब बैठक करती रहे, और अन्य बातों के साथ साथ, वह अगली दशाब्दी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास नीति की रूपरेखा तैयार करें।

रूस के विरुद्ध चीन का आरोप

4062. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने रूस पर यह आरोप लगाया है कि वह भारत में अपनी वस्तुएं बेचने के उद्देश्य से भारतीय श्रमिकों और किसानों का शोषण कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार इसे चीन के प्रचार तंत्रों द्वारा भारत सोवियत सम्बन्धों को विकृत करना समझती है जो कि भारत और सोवियत संघ के बीच चले आ रहे मित्रता के सम्बन्धों को कम करके दिखाने की कोशिश करते है।

अमरीका की प्रतिनिधि सभा में भारत की आलोचना

4063. श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अमरीकी सहायता और पाकिस्तान के साथ शक्ति-संतुलन को दृष्टि में रखकर रूसी गुट के देशों से हथियार खरीदने के लिये अमरीका की प्रतिनिधि सभा में 26 जून, 1968 को भारत की आलोचना की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

प्रधान मन्त्री अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां। यह आलोचना अमरीकी हाउस आफ रेप्रेजेन्टेटिव की विदेश कार्य समिति की अल्पमत रिपोर्ट में है जो सात सदस्यों की है, जबकि इस समिति के सदस्यों की कुल संख्या छत्तीस है। यह अल्पमत विदेशों को सहायता देने के जाने-माने विरोधी हैं।

(ख) किसी अन्य देश के विधान मण्डल की बहस और विचार-विमर्श पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की प्रथा सरकार में नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में सड़कें

4064. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश संघ-राज्य क्षेत्र में वन तथा विकास खण्ड अभिकरणों की सड़कों के अतिरिक्त ऐसी सड़कों की लम्बाई कितनी है, जिन पर मोटरें और जीपें चल सकती हैं तथा जो साधारण सड़कें हैं,

(ख) प्रतिरक्षा संबंधी योजनाओं की सहायतार्थ इस राज्य क्षेत्र में पिछली योजनावधियों के दौरान सीमा सड़क संगठन ने कितने मील लम्बी सड़कें बनाई; और

(ग) हमारे इंजीनियरों के सामने क्या-क्या कठिनाइयां पेश आईं तथा उन्होंने इंजीनियरी विषयक क्या-क्या कमाल दिखाये ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 31-3-1968 तक हिमाचल प्रदेश के संघीय क्षेत्र में मोटरों और जीपों के योग्य सड़कों की लम्बाई इस प्रकार है :--

मोटर योग्य	4116 कि० मी०
जीप योग्य	757 कि० मी०

(ख) मई 1960 से 31-3-1968 तक की अवधि में सीमा सड़क संगठन अर्थात जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ने 325 कि० मी० नई सड़कों का निर्माण किया है (जिनकी चौड़ाई 8 फुट से 20 फुट तक विभिन्न है) और वह वर्तमान 24 कि० मी० सड़कों में सुधार करती रही है।

उपरोक्त अवधि में राज्य पी० डब्ल्यू० डी० ने 229 कि० मी० नई सड़कों का निर्माण कया है (जिनकी चौड़ाई 8 से 20 फुट तक विभिन्न थी) और वह सीमा सड़क विकास बोर्ड की एक एजेंसी के तौर पर वर्तमान 622 कि० मी० सड़कों के सुधार में प्रवृत्त रहे हैं।

(ग) हिमालीय प्रदेशों में विशेष कर ऊंचे स्थलों में सड़कों के निर्माण के लिए कौशल, स्वतः प्रेरणा, आशुरचना, सहयोग और प्रायोजना की आवश्यकता रहती है। सड़कों के निर्माण

में लगाए गए लोगों को सभी संकटों और कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अनेक संसत्सदस्यों ने हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क समेत इन सड़कों का भ्रमण किया है, जिनका बोर्ड के कार्यक्रम के अंश के तौर पर निर्माण किया जा रहा, है और उन्होंने सीमा सड़क संगठन की निष्पत्ति को सराहा है।

पारपत्र जारी करना

4066. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारपत्र के लिए आवेदन प्राप्त होने और उसके जारी किये जाने में सामान्यतः कितना समय लगता है ;

(ख) दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष पार-पत्र जारी किये जाने के लिए तीन महीने से अधिक समय से कितने आवेदन विचाराधीन हैं; और

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) पासपोर्ट के लिए उन आवेदनों को निर्बाध माना जाता है जिनके साथ उप सचिव अथवा उससे ऊंचे ओहदे के किसी अधिकारी द्वारा अथवा किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया सत्यापन प्रमाण पत्र लगा होता है और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन के भीतर पासपोर्ट जारी कर दिए जाते हैं। जो आवेदन जिला अधिकारियों के द्वारा, जिनको आवेदन में दिए हुए ब्यौरों का सत्यापन करना होता है, प्रस्तुत किया जाता है, उनके मामले में पोसपोर्ट मिलने में 4 से 6 हफ्ते तक लग जाते हैं।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी दिल्ली के कार्यालय में कुल 865 आवेदन तीन महीने से अधिक समय से निम्नलिखित कारणों से रुके पड़े हैं;

(1) 522 तो आवेदकों से आवश्यक दस्तावेज न मिल पाने के कारण;

(2) 220 जिला अधिकारियों से सत्यापन रिपोर्टें न मिल पाने के कारण; और

(3) 123 प्रमाणित करने वाले अधिकारियों से विशेष प्रमाणपत्रों का पुष्टीकरण प्राप्त न हो सकने के कारण।

पत्रकारों द्वारा पन्तनगर का दौरा

4067. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1968 के तीसरे सप्ताह में प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो ने पत्रकारों के एक दल को पन्तनगर तथा अन्य स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था की थी;

(ख) यदि हां, तो इस दल में पत्रकारों तथा अधिकारियों की संख्या कितनी थी और उस पर कुल कितना खर्च किया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार के कारण कुछ पत्रकार दौरे के बीच में वापस आ गये थे; और

(घ) यदि हां, तो इस घटना की जांच करने के कोई आदेश दिये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां । अखबारों के प्रतिनिधियों के दौरे का संयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया था और उन्हीं के द्वारा इसका खर्चा वहन किया गया । इस दौरे से पत्र सूचना कार्यालय भी सम्बन्धित था ।

(ख) पन्द्रह पत्रकार और छः अधिकारी । कुल खर्चा 2,740.45 रुपये ।

(ग) जी, नहीं । परन्तु कुछ पत्रकारों ने 18 जुलाई के सायं काल को पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय को देखने के लिये जाना सुविधाजनक नहीं पाया । यह पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम था तथापि, पत्रकारों में से अधिक ने यह जोर दिया कि कार्यक्रम में परिवर्तन न किया जाए और उन्होंने पन्तनगर में उसी दिन कार्य समाप्त कर दिया : क्योंकि प्रेस प्रतिनिधियों के दल ने अगले दिन 19 जुलाई को 8 बजे सवेरे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मुक्तेश्वर के लिए रवाना होना था, अतः पहले ग्रुप ने 19 जुलाई को वहीं ठहरना पसन्द किया और पन्तनगर देखा । उनको सभी सुविधायें दी गई । बाकी पत्रकार कार्यक्रम के अनुसार मुक्तेश्वर के लिए चल पड़े ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सिक्यांग-गिलगित सड़क

4068. श्री कंवरलाल गुप्त : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री 24 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 604 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्यांग-गिलगित सड़क के निर्माण के बारे में भेजे गये विरोध-पत्रों का चीन और पाकिस्तान की सरकारों ने क्या उत्तर दिया है; और

(ख) इनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) चीन से अब तक कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है । पाकिस्तान से 2 अगस्त, 1968 को एक उत्तर प्राप्त हुआ था और यह सरकार के विचाराधीन है ।

Visit to Nagaland by Deputy Minister of External Affairs

4069. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Sitaram Kesri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Deputy Minister of External Affairs went to Nagaland on the 22nd May, 1968 to study the conditions prevailing there ;

(b) whether he has submitted any report to the Government in that regard: an

(c) if so, whether Government have taken any action thereon ?

The Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir. The visit of the Deputy Minister for External Affairs to Nagaland was in the normal process of maintaining contacts and to keep in touch with the prevailing conditions there.

(b) Yes, Sir.

(c) Personal knowledge gained and assessment made during such visits are naturally taken into account whenever decisions are taken with regard to Nagaland.

बर्मा में नजरबन्द भारतीय राष्ट्रजनों का स्वदेश प्रत्यावर्तन

4070. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तथाकथित आर्थिक अपराधों के कारण बर्मा सरकार द्वारा इस समय नजरबन्द भारतीय राष्ट्रजनों के भारत वापस लौटाये जाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन पर बर्मा सरकार ने हाल में मुकदमें चलाये हैं और उन पर क्या अभियोग लगाए गए हैं;

(ग) बर्मा सरकार से उन्हें रिहा करने अथवा भारत वापस लौटाने का अनुरोध करने के लिए सरकार ने क्या राजनयिक प्रयास किये हैं; और

(घ) वर्मा स्थित हमारा दूतावास इन लोगों को अपना बचाव करने के लिए अन्य क्या सुविधाएं दे रहा है ?

प्रधान मन्त्री अणु-शक्ति मन्त्री योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) आर्थिक कारणों से नजरबन्द 12 व्यक्ति अभी हाल ही में रिहा किए गए थे। इसके बाद 13 व्यक्ति और रह जाते हैं जिनमें 3 जमानत पर हैं ।

(ख) इस समय जिन 4 नजरबन्दों पर मुकद्दमा चल रहा है, वे हैं सर्व श्री गोविंद राव, पी० सी० कपूर, सीताराम कब्रा और किशन चन्द । वैसे तो प्रत्येक के प्रति खास-खास आरोप अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि उनका संबंध 'समाजवादी अर्थव्यवस्था के बनाने में अड़चन' से, विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन से, समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के उल्लंघन आदि से है (देश से निर्धारित से अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अथवा जवाहिरात ले जाने की कोशिश करके) ।

(ग) भारत सरकार ने और वर्मा स्थित हमारे राजदूतावास ने इस मामले पर बार-बार बर्मा सरकार से कहा है और उच्चत्तम स्तर पर भी बातचीत की है ।

(घ) इस समय जिनके खिलाफ मुकद्दमा चल रहा है उन्होंने अपनी पसन्द के वकील रखे हैं। जो भी मदद मांगी जाएगी हमारा राजदूतावास वह तो देगा ही लेकिन हमारा राजदूतावास अभी सहायता देने का प्रस्तव करना आवश्यक नहीं समझता और यह न तो मांगी ही गई है और न ही इसकी आवश्यकता है ।

देश से बाहर बनी नागा सरकार को चीन का समर्थन

4071. श्री सीताराम केसरी :
श्री नि० र० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन सरकार ने कहा है कि वह देश से बाहर बनी नागा सरकार का समर्थन करेगी ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या चीन की ऐसी कार्यवाही को शत्रुतापूर्ण कार्यवाही माना जायेगा और इस चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन लोक गणराज्य छिपे नागाओं का खुल्लमखुला समर्थन कर रही है और इस बात की भी कि छिपे नागाओं ने चीनियों के साथ सम्पर्क स्थापित किए हुए हैं; इन विद्रोही गतिविधियों का प्रतिकार करने के लिए सरकार अधिकाधिक जोरदार कारवाई कर रही है । नागालैंड भारत संघ का एक अंग राज्य है । भारत सरकार कृतसंकल्प है कि वह भारत के घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप नहीं होने देगी ।

Loan Given by Yugoslavia to Pakistan

4072. **Shri Sitaram Kesri :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have collected the information regarding the manner in which the loan of 5 crores dollars would be paid to Pakistan by Yugoslavia and also regarding the purposes for which Pakistan would utilise that amount;

(b) whether any military aid is also included in this loan; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c) The Government have seen reports to the effect that Yugoslavia will provide Pakistan with 50 million dollar credit for promo ting closer economic relations and covering purchase of ships, projects, plants etc. The Government are awaiting the details following enquiries.

नाइजीरिया से बिआफ्रा का पृथक होना

4073. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सच है कि बिआफ्रा को नाइजीरिया की संघीय सरकार से पृथक कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि विआफ्रा क्षेत्र अकाल और भुखमरी से पीड़ित है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बिआफ्रा के लोगों की सहायता के लिए कोई सामान भेजने जा रही है और यदि हां, तो कितना और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) 30 मई, 1967 को नाइजीरिया संघ गणराज्य के पूर्वी क्षेत्र ने घोषणा की कि वह संघ सरकार से अलग हो गया है और अब उसका नाम वियाफरा गणराज्य होगा ।

(ख) भारत सरकार इसे नाइजीरिया का आंतरिक मामला समझती है ;

(ग) और (घ) बताया जाता है कि गृह-युद्ध के परिणाम स्वरूप वियाफरा में अकाल की स्थिति है । भारतीय रेडक्रास ने अन्तर्राष्ट्रीय रेड-क्रास के जरिए दोनों ओर विटामिन की गोलियों, दवाइयों आदि के रूप में कुछ सहायता भेजी है ।

आंध्र प्रदेश में समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध

4074. श्री शिवचन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय समाचार पत्रों के केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों से प्रतिवर्ष कितने रुपयों के विज्ञापन प्राप्त होते हैं और यदि समाचार पत्रों के सरकारी नीति के साथ मतभेद हो के कारण कोई विज्ञापन देने बन्द कर दिये गये हैं, तो उनका राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) साम्प्रदायिक मेल, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता और उससे सम्बन्धित मामलों के बारे में प्रेस और प्रकाशन पर नियन्त्रण की व्यवस्था करने के लिए एक विधेयक 16 जुलाई, 1968 को आंध्र प्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था । यह 16 जुलाई, 1968 को आंध्र प्रदेश के असाधरण राज-पत्र में प्रकाशित हो चुका है ।

(ग) 1967-68 के दौरान भारतीय पत्र पत्रिकाओं को केन्द्रीय सरकार के जो विज्ञापन दिए गए उनके भाषा वार ब्यौरे का एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1746/68] ।**

केन्द्रीय सरकार ने पत्रों को राजनतिक कारणों से विज्ञापन देना बन्द नहीं किया है, परन्तु उन पत्रों को विज्ञापन नहीं दिये जाते जो पत्रकारिता के स्वक्रित स्तरों से नीचे हों या

साम्प्रदायिकता का विषेला प्रचार करते हैं या हिंसा को उकसाते हैं या सार्वजनिक शीलता और नैतिकता के सामाजिक तौर पर स्वीकृत सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हैं और इस प्रकार मूल राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाते हैं। राज्य सरकारें अपनी नीति और आवश्यकताओं के अनुसार विज्ञापन देने में स्वतन्त्र हैं। इस प्रकार के समाचार पत्रों के नाम बताना या राज्य सरकारों से ऐसा करने के लिए कहना सार्वजनिक हित में नहीं हैं।

Anti-Indian Feeling amoung Foreign Students Studying in Delhi

4075. **Shri Om Parkash Tyagi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news published in the Times of India of the 16th June, 1968 to the effect that after conducting psychiatric examination of foreign students studying in Delhi and Aligarh Universities, Dr. H. C. Ganguli, Head of Psychology Department, has come to a conclusion that most of the students coming from Thailand and African countries carry anti-Indian feelings with them; and

(b) if so, whether Government prepose to ascertain causes thereof and take steps to remove them ?

The Prime Minister, Minister of Atominc–Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir; Government does not accept that the conclusion arrived at is generally valid.

U. S. S. R. Suggestion Re. Solution of Kashmir Problem

4076. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any suggestion from the Government of U. S. S. R. to solve the Kashmir problem;

(b) if so, the nature of that suggestion; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External–Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Visit of Khan Abdul Gaffar Khan to India

4077. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether a request has been made to the Frontier Gandhi, Khan Abdul Gaffar Khan, to visit India on his birthday or on the occasion of the Gandhi Jayanti;

(b) if so, the reply given by him in this connection; and

(c) whether Government propose to extend some other type of help to the Frontier Gandhi to enable him to fulfil his aim in addition to the moral support ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) Khan Abdul Gaffar Khan has been invited to come to India during the Gandhi Centenary celebrations and he has accepted the invitation.

(c) Government has every sympathy for the just demands of the Pakhtoons and will do whatever is constitutionally possible to support the efforts of Khan Abdul Gaffar Khan.

श्री वी० के० कृष्ण मेनन द्वारा विदेशों के दौरे

4078. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व प्रतिरक्षा मन्त्री श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने गत एक वर्ष में कितनी बार विदेशों का दौरा किया ;

(ख) इन दौरों का उद्देश्य क्या था ;

(ग) प्रत्येक दौरे के लिए कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई ;

(घ) गैर सरकारी अभिकरणों तथा सरकार द्वारा प्रायोजित विदेशी दौरों की संख्या कितनी कितनी थी; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा प्रायोजित दौरों से राष्ट्र का कोई हित बढ़ा है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) विदेश मन्त्रालय के पास जो सूचना सुलभ हैं उसके अनुसार श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने गत एक वर्ष में विभिन्न देशों की यात्रा की है, जिनमें ये भी शामिल हैं। श्रीलंका, साइप्रस, लवनान, मारिशस, न्यूजीलैंड, सीरिया, स्वीडन, संयुक्त अरब गणराज्य, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका। व्यक्तिगत हैसियत से विभिन्न सम्मेलनों और समारोहों में हिस्सा लेने अथवा शामिल होने के लिए गए थे।

(ग) इस मन्त्रालय के पास सूचना सुलभ नहीं है।

(घ) इनमें से कोई भी यात्रा भारत सरकार की ओर से नहीं की गई थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मसानी समिति का प्रतिवेदन

4079. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसानी समिति के प्रतिवेदन पर इस बीच में विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गिल्ड के प्रतिनिधियों के साथ प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर चर्चा कब किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) रिपोर्ट विचाराधीन है।

(ख) से (घ) क्योंकि ब्राडकास्टर एण्ड टेलीकास्टर गिल्ड को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है; अतः रिपोर्ट पर उनके प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक रूप से बातचीत करने का प्रश्न नहीं उठता परन्तु हम इस पर उनसे अनोपचारिक रूप से बातचीत करना चाहते है यदि यह कानूनी दृष्टिकोण के विरूद्ध न हों।

सेना अधिनियम

4080 श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात-काल स्थिति समाप्त किये जाने के पश्चात सेना अधिनियम का लागू किया जाना समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन सभी मजदूर संघों को, जिन पर सेना अधिनियम के अन्तर्गत पाबन्दी लगाई गई थी, मजदूर संघों के अधिकार फिर से दे दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे राज्य तथा क्षेत्र कौन से हैं, जहां सेना अधिनियम अब भी लागू हैं; और इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) फौजी कार्मिक जो पहले संक्रिय सेवा में नहीं थे आपात स्थिति की घोषणा के बाद सरकार ने अधिसूचना दिनांक 28-11-1962 के अधीन उन्हें सक्रिय सेवा के अन्तर्गत रख दिया था। इस अधिसूचना के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप थल सेना में काम करने वाले रक्षा सिविलियन सेना अधिनियम के अन्तर्गत उसमें निहित सम्बन्धित व्यवस्थाओं के अधीन आ गये थे। 10-1-1968 को आपात स्थिति के समाप्त हो जाने पर सरकार ने इस सम्बन्ध में पुनः विचार किया और यह निर्णय किया कि उस अधिसूचना को रद्द न किया जाय, अपितु उसे सीमाओं पर संक्रिया त्मक कार्यों में लगी हुई यूनिटों, विरचनाओं और सिब्बन्दियों तक ही सीमित रखा जाय तदनुसार ऐसे सनिक जो इस प्रकार की यूनिटों, बिरचनाओं और सिब्बन्दियों के क्षेत्रों से इतर क्षेत्रों में काम करते हैं उन्हें 'संक्रिया सेवा' पर नहीं समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप सेना अधिनियम अब उन अन्य क्षेत्रों में थल सेना के साथ काम करने वाले रक्षा सिविलियनों पर लागू नहीं है।

सेना अधिनियम के कुछ निर्धारित क्षेत्रों पर ही लागू होने के परिणामस्वरूप ट्रेड यूनियनों के अधिकारों को कुछ ऐसी यूनियनों को वापस दिए जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

House Rent Allowance to Employees of Danapur Cantt

4081. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ministry of Finance have issued instructions to the Officers of Danapur Cantonment Board through a letter regarding payment of House Rent allowance to the employees of the Board;

(b) whether it is also a fact that bills were also being prepared therefor in the said Board;

(c) whether it is also a fact that the Army Officers of the said Board are causing hindrance in the matter and trying to deprive the employees of this allowance; and

(d) if so, the reasons therefor and the steps being taken by Government in the matter ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b) It has been ascertained that neither have any such instructions been received by the Cantonment Board nor have any such bills been prepared in the Board office.

(c) and (d) Do not arise,

Rechuitment to Indian Army

4082. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Abdul Ghani Dar :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government recruit people of all the Communities to the Indian Army; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L N. Mishra) : (a) Yes, Sir. The Government have broad based the recruitment and thrown it open to all Indian citizens regardless of their class, creed, community or region, provided they conform to the prescribed physical educational and medical standards and are within the prescribed age limits.

(b) Does not arise.

Danapur Cantonment

4083. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that general public has been using the Post Office play-ground in the Danapur Cantonment near Patna and also the other adjoining play-ground towards its west for the last many years;

(b) whether it is also a fact that the idol of 'Durga' used to be placed on the occasion of Durga Puja in the aforesaid play-ground and on the occasions of Id and Bakara-Id, Muslims used to offer Namaz there;

(c) whether it is further a fact that this practice has been discontinued for the last few years;

(d) if so, the justification therefor;

(e) whether Government propose to change this policy; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (f) The information is being collected and will be laid down on the Table of the Sabha.

नि: शस्त्रीकरण सम्मेलन

4084. श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनेवा में हाल में 18 देशों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन पुनः बुलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन की कार्य-सूची क्या होगी;

(ग) क्या रूस द्वारा हाल में घोषित निःशस्त्रीकरण प्रस्तावों के बारे में भी उस सम्मेलन में बातचीत होगी; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) इसकी कोई निश्चित कार्य सूची नहीं है । इसके सदस्यों या महा-सभा द्वारा प्रस्तावित निःशस्त्रीकरण के किसी उपाय पर विचार किया जा सकता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) उनकी जांच की जा रही है ।

विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग

4086. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन, अमरीका और रूस में इस समय रहने वाले भारत मूलक व्यक्तियों की संख्या अलग-अलग कितनी है; और

(ख) ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जिनको उन देशों ने, जहां वे रहते हैं, अब तक वहां की नागरिकता प्रदान की है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) इस समय यू० के०, यू० एस० ए० और सोवियत रूस में जो भारत मूलक व्यक्ति रह रहे हैं उनकी संख्या क्रमशः 2,00,000,421,900 और 756 के लगभग है।

(ख) जिन व्यक्तियों ने विदेशों की नागरिकता प्राप्त कर ली है उनकी सही सही संख्या बताना संभव नहीं है क्योंकि ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट हमारे पास नहीं भेजी जाती । तथापि उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लगभग 36,000 व्यक्तियों ने यू० के० में, 2,000 व्यक्तियों

ने यू० एस० ए० में और कुछ थोड़े से ही व्यक्तियों ने सोवियत रूस में वहां की नागरिकता प्राप्त की है ।

ईरान तथा तुर्की द्वारा पाकिस्तान को युद्ध सामग्री की सप्लाई

4087. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ईरान तथा तुर्की ने बहुत सी युद्ध सामग्री, जो उन्हें अमरीका से मिली थी, हाल में पाकिस्तान को भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे पाकिस्तान की युद्ध शक्ति नहीं बढ़ेगी;

(ग) क्या सरकार ने इस सप्लाई की ओर ईरान, तुर्की तथा अमरीका की सरकारों का ध्यान दिलाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इन सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

इसापुर जांगी में गोला बारूद के डिपो के लिए भूमि का अर्जन

4088. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटियाला जिले में ईशापुर जांगी नामक गांव में सरकार ने 1962 में लालरू गोला बारूद डिपो के लिए भूमि अर्जित की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस भूमि के मालिकों को पट्टे की राशि का भुगतान 1966 से अभी तक नहीं किया गया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस गांव के चारों ओर कांटेदार तार लगा दी गई है और ग्रामीणों के पशुओं को चरने नहीं दिया जाता ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1963 में पटियाला जिले में ईसापुर, जांगी आदि गांवों से लालरू अम्यूनीशन डिपो के लिए लगभग 1745 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई थी। लगभग 26.10 एकड़ भूमि 'आबादी' नामक भूमि पर अभी तक कब्जा नहीं किया गया है ।

(ख) इस भूमि के लगान प्रतिकर को वितरण करने की जिम्मेदारी स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों की है, तदापि यह मालूम किया गया है कि जून, 1967 तक के समय के लिए पटियाला के डिप्टी कमीश्नर ने संबंधित लोगों को 1,89,611.40 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से लगान प्रतिकर की अदायगी की है । अगले वर्ष का लगान प्रतिकर जून, 1968 में दिया जाना था । पटियाला के कलेक्टर से अनुरोध किया गया है कि रकम की अदायगी शीघ्र करें ।

(ग) अम्यूनीशन डिपो के लिये जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया है उसके सम्पूर्ण क्षेत्र की चारों ओर परिमिति पर सुरक्षा के लिये बाड़ लगा दी गई है । 'आबादी' क्षेत्र से

और उसमें बिना रोकटोक के आने जाने की इजाजत है। स्थानीय सैनिक प्राधिकारियों ने केवल उस क्षेत्र में जानवरों को चराने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है जिन पर कि कब्जा किया गया है।

नागाओं के बारे में पीकिंग रेडियो से प्रसारण

4090. श्री हिम्मतसिंह का : श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री श्रद्धाकर सूपकार : श्री यशपाल सिंह :
श्री कु० मा० कौशिक : श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 1968 को नई दिल्ली में सुने गये पीकिंग रेडियो के उस प्रसारण की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें नागाओं के पक्ष को उचित बता कर और यह कह कर कि विद्रोही नागा अपने संघर्ष में अन्त में अवश्य विजयी होंगे, चीन में प्रशिक्षित नागाओं का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया गया था, जिन्हें कोहिमा के निकट 7 जून, 1968 को सुरक्षा दल के साथ मुठभेड़ में भारी हानि उठानी पड़ी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) 19 जून, 1968 को चीन लोक गणराज्य की सरकार को एक विरोध पत्र भेजा था और 24 जुलाई, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 633 के उत्तर में इसकी सूचना सदन को दे दी गई। सरकार इस ओर से दृढ़ संकल्प है कि वह देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप नहीं होने देगी।

विद्रोही मिजो लोगों द्वारा वर्मा के सीमा सुरक्षा दल का रौंद डाला जाना

4091. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि 4 जून, 1968 को मिजो, कुकी तथा चित्रा विद्रोहियों के एक बड़े गिरोह ने, जो स्वचालित हथियारों से लैस थे, मनीपुर से 5 मील दूर सिखर पर बर्मा के सीमा सुरक्षा दल को रौंद डाला था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बर्मा सरकार ने इस छापे के बारे में विरोध पत्र भेजा है; और

(घ) क्या मिजो तथा नागा विद्रोहियों के भारत बर्मा सीमा के आर-पार तथा चीन से आने-जाने को रोकने के लिए तथा भारत-बर्मा सीमा पर ऐसे हमलों को रोकने के लिए बर्मा सरकार के सहयोग से अथवा उसके बिना इस बीच कोई कारगार उपाय किये गये हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सरकार ने 4 जून, 1968 की वारदातों की उन रिपोर्ट देखी हैं जिनमें मीजो, कुकी और चिन लोगों का हाथ बताया जाता है।

(ख) हमारे राजदूत ने बर्मा अधिकारियों से इस रिपोर्ट के बारे में साधारण तौर पर बातचीत की थी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) हमने अपनी तरफ गश्त बढ़ा दी है । भारत-बर्मा सीमा पर दोनों ओर 40-40 किलो मीटर के इलाके में आने-जाने पर 1-8-1968 से परमिट प्रथा शुरू कर दी है; अब तक इस इलाके में आने-जाने की छूट थी । चूंकि बर्मा एक पड़ौसी मित्र देश है, इसलिए जब कभी आवश्यकता होती है, इस तरह के मामलों पर समुचित रूप से विचार विमर्श कर लिया जाता है ।

आण्विक अस्त्र अप्रसार सन्धि

4092. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मई में संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य राजनैतिक समिति में आण्विक अस्त्र अप्रसार संधि के रूसी अमरीकी प्रारूप के अनुमोदन के प्रश्न पर विचार किया गया था ;

(ख) उस संधि के अनुमोदन के विरूद्ध उस समिति में भारतीय प्रतिनिधियों ने जो बातें कहीं थीं उनका मोटा ब्योरा क्या है तथा उक्त प्रतिनिधि द्वारा उस संधि के प्रारूप में क्या विशिष्ट संशोधन पेश किए गए थे ;

(ग) क्या उस समिति में आयरलैंड, तथा कनाडा के प्रतिनिधियों ने संधि के प्रारूप के बारे में भारतीय प्रतिनिधि की आलोचना का खण्डन किया था और यदि हां, तो किन आधारों पर; और

(घ) इस विषय पर समिति में किये गये विचार विमर्श का अन्तिम निष्कर्ष क्या निकला ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) हमारे प्रतिनिधि ने 14 मई, 1968 को जो बयान दिया था वह तथा आयरलैंड और कनाडा के प्रतिनिधियों द्वारा 23 मई, 1968 को दिये गये बयानों को सदन की मेज पर रख दिया जावेगा। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने कोई संशोधन पेश नहीं किया था ।

(घ) प्रथम समिति ने 4 के मुकाबिले 92 वोटों से (22 ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया) एक प्रस्ताव पास कर इस संधि का समर्थन किया ।

सैनिक स्कूल

4093. श्री समर गुह : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे भारत में कुल कितने सैनिक स्कूल हैं तथा किन-किन स्थानों में हैं और प्रत्येक स्कूल में कितने-कितने विद्यार्थी हैं तथा इन स्कूलों में विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों की संख्या अलग-अलग कितनी हैं;

(ख) इन स्कूलों में दाखिले की शर्तें क्या है;

(ग) क्या इन स्कूलों में दाखिला प्राप्त करने के लिये कुशल बुद्धि वाले बालकों को प्रोत्साहन देने के लिये समुचित विज्ञापन दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या और कितने क्षेत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1747/68]**।

(ख) प्रतिवर्ष होने वाली अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में निर्धारित योग्यता क्रम के आधार पर लड़कों को दाखिल किया जाता है। छात्रों को पांचवीं कक्षा में दाखिल होने के लिए 10 वर्ष से कम, और छटी कक्षा में दाखिल होने के लिए 11 वर्ष से कम की आयु का होना चाहिये। भूज्ञान, जम्मू तथा काश्मीर, नागालैंड, नेफा, अण्डमान तथा निकोबार टापुओं तथा लाकादिद, मिनिकोय और अमिनीदीव टापूओं के सैनिक स्कूलों में कुछ संख्या में अपने छात्रों को मनोनीत करने की इजाजत है।

(ग) और (घ) प्रवेश परीक्षा के संबंध में मुख्य स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है। राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों को भी इस सम्बन्ध में काफी प्रचार करने के लिये अनुरोध किया जाता है। आकाशवाणी से भी समय समय पर क्षेत्रीय, स्थानीय प्रसारणों और फौजी भाइयों के कार्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के सम्बन्ध में घोषणांए करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

सैनिक स्कूल, पुरूलिया

4094. श्री समर गुह : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पुरूलिया में सैनिक स्कूल है;

(ख) यदि हां, तो इस स्कूल को वहां खोलने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस स्कूल में भर्ती प्रादेशिक आधार पर की जाती है अथवा अखिल भारतीय आधार पर;

(घ) इस स्कूल में इस समय कुल कितने छात्र हैं और उसमें प्रतिवर्ष कितने छात्र भर्ती किये जाते हैं;

(ङ) इस स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में बंगाली छात्र कितने हैं और उनमें से कितने छात्र सैनिक परम्परा वाली नुमसूद जाति के हैं; और

(च) पुरूलिया स्थित इस सैनिक स्कूल में छात्रों की भर्ती के सम्बन्ध में क्या शर्तें हैं तथा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) रांज्य सरकार ने यह स्थान चुना है ।

(ग) अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सभी सैनिक स्कूलों में दाखिला किया जाता है ।

(घ) 30 जून, 1968 की स्थिति के अनुसार छात्रों की संख्या 265 थी । प्रत्येक वर्ष दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है जो उस स्कूल में उपलब्ध रिक्त स्थानों और आवास व्यवस्था पर निर्भर होता है । 1968 में केवल पांचवीं कक्षा में ही दाखिला दिया गया और 45 लड़के दाखिल किए गए ।

(ङ) पश्चिमी बंगाल से 188 छात्र हैं, प्रत्येक कक्षा में कितने-कितने बंगाली छात्र हैं इसका विवरण अभी मौजूद नहीं है । जातिवार आंकड़े न रखने के कारण यह भी ज्ञात नहीं है कि वहां नुमासूद जाति के कितने छात्र हैं ।

(च) सभी सैनिक स्कूलों में दाखिले की एक जैसी प्रक्रिया है । सामान्यतया अब दाखिला मुख्य रूप से पांचवीं कक्षा में किया जाता है । उसके लिए छात्रों की आयु 9 से 10 वर्ष के बीच होनी चाहिये, छात्रों को एक ऐसी अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में बैठना होता है जिसे कि रक्षा मन्त्रालय के मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निदेशालय द्वारा तैयार किया जाता है, उसमें निम्नलिखित परीक्षण शामिल होते हैं:—

(1) गणित ज्ञान परीक्षा ।
(2) संख्यात्मक रूझान परीक्षा ।
(3) मौखिक अर्थग्रहण परीक्षा ।
(4) तर्क परीक्षा ।

जो लड़के परीक्षा की प्रथम प्रावस्था को पास कर लेते हैं जिनमें उपर्युक्त (1) और (2) शामिल होते हैं, उन्हें परीक्षा की द्वितीय प्रावस्था के लिए बुलाया जाता है जिसमें आखरी दो परीक्षण शामिल होते हैं । जो उसमें भी सफल हो जाते हैं उन्हें डाक्टरी रूप से स्वस्थ पाए जाने पर उनकी योग्यता क्रम के अनुसार उन्हें दाखिला दिया जाता है ।

बर्मा और भारत के उत्तरी भागों में एक साम्यवादी राज्य स्थापित करने के चीन के इरादे

4095. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बर्मा के उत्तरी भाग में और भारत के पूर्वोत्तर भाग में चीन विद्रोहात्मक क्रान्ति कराने की एक विशाल योजना तैयार कर रहा है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि उन क्षेत्रों में एक स्वतन्त्र साम्यवादी राज्य स्थापित करने के लिये हालात को अनुकूल बनाने की दृष्टि से चीन नागा, मिजो और अन्य आदिम जातीय विद्रोहियों की कार्यवाहियों तथा बर्मा के आदिम जातीय लोगों की कार्यवाहियों में समन्वय पैदा कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस समस्या पर बर्मा सरकार से बातचीत की है और इसका मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्यवाही करने के लिये भी बर्मा से कहा है; और

(घ) यदि हां, तो बातचीत हुई है, उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) सरकार ने कुछ अखबारों में इस आशय की खबरें देखी हैं । भारतीय प्रदेश का संरक्षण एवं सुरक्षा करना हमारा मामला है और उसके वास्ते हम हर मुमकिन कार्रवाई कर रहे हैं । जहां तक बर्मा के उत्तरी प्रदेश का सम्बन्ध है, वह बर्मा की सरकार का मामला है ।

(ग) सामान्य हित के मामलों पर बर्मा जैसे मित्र देशों के साथ हमारा विचार विनिमय होना स्वाभाविक ही है । तथापि, इस सम्बन्ध में संयुक्त प्रयास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी

4096. **श्री समर गुह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी हैं, उनके नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) क्या यह सभी अकादमी सेना, नौसेना और वायुसेना के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतिवर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करती है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में इन सभी संस्थाओं के लिए यह परीक्षायें साथ-साथ आयोजित नहीं करने के क्या कारण हैं ताकि सफल प्रत्याशी किसी भी अकादमी में प्रवेश ले सकें ;

(घ) क्या खड़कवासला राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए इस वर्ष प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित की जायेंगी; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इन परीक्षाओं की भारत में सभी शिक्षा संस्थाओं को सूचना दे दी गई है और क्या देश के सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में इसके विज्ञापन दे दिये गये हैं तथा अन्य सभी विज्ञापन के साधनों का उपयोग किया गया है ताकि इस प्रयोजन के लिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित किया जा सके ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) केवल एक ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है कि जो खड़कवासला में स्थित है, और वह सेना, नौसेना तथा वायुसेना के लिए अलग अलग प्रशिक्षण संस्थानों का सरस करने वाला एक संस्थान है । इसमें प्रवेश प्रतिवर्ष दो बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा लिखित परीक्षा द्वारा होता है, कि जिसके पश्चात सर्विसिज़ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा एक इण्टरव्यू होता है । हर उम्मीदवार को तीन सेवाओं में से किसी के लिए अपनी तरजीह प्रकट करने की अनुमति दी

जाती है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से भर्ती के अतिरिक्त सेना, नोसेना, वायुसेना के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भी सीधे भर्ती की जाती है। यह सीधे भर्ती या तो यूनियन पब्लिक सर्विसिज कमीशन द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा द्वारा की जाती है कि जिसके पश्चात सर्विसिज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा एक इण्टव्यू होता है, या केवल सर्विसिज सिलेक्शन बोर्ड के इण्टरव्यू द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के प्रवेश के लिए तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के प्रवेश के लिए परीक्षाएं एक समय पर आयोजित नहीं की जा सकतीं, क्योंकि निर्धारित आयु सीमाएं तथा शिक्षा योग्यताएं विभिन्न हैं। इस मामले में पूरे विस्तार रक्षा मंत्रालय के 1967-68 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में पृष्ठ 123-126 (सेना) 151 (नोसेना) और 164-165 (वायु सेना) पर पहले से प्राप्त है, कि जिसकी प्रतियां संसत्सदस्यों को प्राप्य हैं।

(घ) जी हां। एक मई, 1968 में हो चुकी हैं, और दूसरी दिसम्बर, 1968 में होगी।

(ङ) दिसम्बर 1968 में होने वाली परीक्षा के लिए इश्तहार देश के मुख्य अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्रों में दिये जा चुके हैं, और प्रसारण के लिए अखिल भारतीय आकाशवाणी को भी भेजे जा चुके हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए परीक्षा का भर्ती कार्यालयों द्वारा भी शिक्षा संस्थानों और नेशनल केडिट कोर के नोटिस बोर्डों पर प्रचार साधनों द्वारा भारी प्रचार किया जाता है।

मास्को के लिये भारतीय भाषाओं के प्रसारण कर्ता

4097. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967 में ली गई परीक्षा के आधार पर आकाशवाणी के नई दिल्ली केन्द्र ने अपने कर्मचारियों में से कुछ उम्मीदवारों को तीन वर्षों के लिये रेडियो मास्को में भारतीय भाषाओं के प्रसारण-कर्त्ताओं के रूप में काम कराने के लिये चुना था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उम्मीदवारों के चयन के लिये आवेदन-पत्र मांगते समय जून, 1966 में आकाशवाणी द्वारा जारी किये गये प्रवज के अनुसार रूस जाने के लिये चुने गये व्यक्तियों को, रूस से वापिस लौटने पर, आकाशवाणी द्वारा उन्हें पुनः नियुक्त किया जाना था;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब चुनींदा व्यक्ति भारत छोड़कर मास्को जाने वाले ही थे तो उन्हें यह कहा गया कि वापस आने पर आपको आकाशवाणी से त्यागपत्र देना पड़ेगा तथा इस प्रकार उन्हें पुनः नियुक्त करने की गारन्टी को वापस ले लिया गया ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) इससे कितने लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(च) क्या आकाशवाणी के कर्मचारियों के हित को दृष्टि में रखते हुए इस प्रश्न पर पुर्नविचार करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) प्रशासनिक कारणों से।

(ङ) आठ।

(च) स्टाफ आर्टिस्टों के साथ लम्बी अवधि के करार किये जाने के कारण उत्पन्न बदली हुई परिस्थितियों में हाल का फैसला, जो 1960 के निर्णय के अनुसार है, ज्यादा उचित और न्याय संगत है। जैसा कि सुझाव दिया गया है, फिलहाल इस पर पुनर्विचार करने का प्रश्न पैदा नहीं होता, तथापि, उनके लौटने पर यदि जगह खाली हो तो उनके मामलों पर विचार किया जायेगा।

चीन को विरोध पत्र

4099. श्री एस० के० सम्बन्धन : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मई, 1968 से आज तक चीन को कितनी बार विरोध-पत्र भेजे गये;

(ख) ये विरोध पत्र किन-किन कारणों से भेजे गये;

(ग) क्या इन विरोध पत्रों के सम्बन्ध में चीन की ओर से कोई प्रतिक्रिया हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) एक। एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है जिसे देखने से कारण का पता चल जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1748/68**]।

(ग) चीनी सरकार ने अभी तक उक्त विरोध-पत्र का उत्तर नहीं दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान द्वारा हथियाया गया क्षेत्र

4100. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजन के समय भारत का जो हिस्सा था, उसमें से कितने पर बाद में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किये जाने के परिणाम स्वरूप कब्जा कर लिया गया; और

(ख) पाकिस्तान से इस क्षेत्र को वापस लेने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) । (क) और (ख) जैसा कि 13-3-68 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3893 के उत्तर में बताया गया है, विभाजन के समय भारतीय प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल था, उसका आकलन नहीं हुआ है। बाद में पाकिस्तान ने अग्रकर्षण के परिणाम स्वरूप, जम्मू और काश्मीर में भारतीय प्रदेश के लगभग 32,500 वर्ग मील क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। भारत ने इस प्रदेश के ऊपर अपनी प्रभुसत्ता को कभी भी नहीं छोड़ा है। जैसा कि वह अब तक

करता रहा है, वह इस प्रदेश को पुनः प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करता रहेगा।

Programmes in Bajjika Language From Patna Station of AIR

4101. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) the reasons for not broadcasting programmes in Bajjika language from the Patna Station of A. I. R. in Bihar when programmes in Bhojpuri, Maithili and Magdhi are broadcast from that station ;

(b) the area and population of Bajjika language speaking people in Bihar in proportion to those speaking other languages ;

(c) whether Government have ever considered the question of broadcasting programmes in Bajjika language also from Patna Station of A. I. R. ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Patna Station broadcasts programmes in Hindi and three main dialects of Bihar i. e. Bhojpuri, Maithili and Magadhi. Bajjika has not been listed as a mother tongue even in the Census of India which lists some 900 mother tongues and has not been officially recognised as a dialect.

(b) In the absence of any official recognition, we have no information about the number of people speaking this language.

(c) Yes, Sir.

(d) Does not arise.

A. I. R. Station, Motihari

4102. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) the action taken in regard to the assurance given by Government to the effect that a Radio Station would be opened in Motihari, District Champaran;

(b) whether the assurance about the opening of a Radio Station in Motihari would be implemented ; and

(c) the reasons for not taking any action to implement to Government assurance ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) to (c) No assurance about opening a radio station at Motihari has been given. All that was stated in reply to question No. 329 on 14th Feb., 1968, was the claim of Motihari as a desirable site for a studio in Champaran-Saran districts will be investigated. After investigation, it was found that Bettiah is a more suitable site in Champaran and in the draft Fourth Five Year Plan proposals, provision has been included for setting up an auxiliary studio centre at Bettiah in the Champaran District which is considered to be a better location than Motihari.

High Power Transmitters for Rajkot and Calcutta

4103. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) the dates when the work of setting up high-power transmitters in Rajkot and Calcutta was taken up and the further time likely to be taken in their completion ; and

(b) the extent to which broadcasting capacity would increase as a result thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The site for setting up high power transmitter at Calcutta was taken over in October, 1965 and the one for the transmitter at Rajkot in April, 1966. The installation of the transmitter at Calcutta is expected to be completed towards the end of 1968-69 and that of the transmitter at Rajkot by the middle of 1969-70.

(b) The transmitter at Culcutta is intended to provide a night time medium wave service to some of the countries in South East Asia in the East and for a limited period to the neighbouring countries in the North. The transmitter at Rajkot is expected to provide a night time service to the neighbouring countries in West Asia.

Hunger Strike in Defence Workshops

4104. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some civilian employees of Defence workshops in Lucknow had gone on hunger-strike before the office of the Central Command in June, 1968 ; and

(b) if so, the causes thereof, and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) As a result of the call given by the All India Defence Employees Federation, some workers in Defence Installations at Lucknow went on hunger strike in June, 1968. The demands of the workers and position in respect of these regarding the action taken by Government are given in para. 2 of the statement placed on the Table of the Lok Sabha in reply to parts (b) and (c) of Unstarred Question No. 659 answered in the Lok Sabha on 24-7-1968.

सैनिक भूमि तथा छावनी सेवा नियम, 1951

4105. श्री रामावतार शास्त्री : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 24 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8337 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सैनिक-भूमि तथा छावनी सेवा नियम 1951 के परिशिष्ट में लिखित पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र छः की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन कारणों से नियमावली की बिक्री बन्द कर दी है, जब कि इसे प्रकाशित किया जा चुका है तथा इसका मूल्य भी निर्धारित किया जा चुका है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मिलिटरी लैण्ड्ज तथा छावनियों की सेवा के अफसरों के लिए विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्यचर्या सरकार द्वारा, मिलिटरी लैण्ड्ज तथा छावनियों की सेवा (श्रेणी 1 और श्रेणी 2) रूल्ज, 1951 के अनुसार जारी किये आदेश दिनांक 1 अक्तूबर, 1963 के नियम संख्या 8 के अनुसार निर्धारित की गई है। उक्त पाठ्यचर्या के छटे पर्चे में मिलिटरी लैण्ड्ज मैनुअल शामिल है।

(ख) यह विभागीय परीक्षा केवल मिलिटरी लैण्ड्ज़ तथा छावनियों की सेवा के श्रेणी 1 और 2 के अधिकारियों के लिये है और मिलिटरी लैण्ड्ज़ मैनुअल उन्हें उपलब्ध किया जाता है। यह पुस्तक अनिवार्यतः सैनिक भूमि के प्रशासन से सम्बन्धित अधिकारियों के लिए है और इसीलिए यह पुस्तक आम जनता को नहीं बेची जाती है। तथापि विधियों, नियमों तथा संविहित नियमों को सरकारी सूचना-पत्र में प्रकाशित किया जाता है।

गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता

4106. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित गार्डन रीच वर्कशाप ने अपने विकास कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु और अधिक धन की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) गार्डन रीच वर्कशाप्स साधारण प्रक्रिया के अनुसार सरकार को प्रतिवर्ष अपने कैपिटल खर्च के लिए निधियों के लिये प्रार्थना करते हैं। 1968-69 के लिए कम्पनी ने मुख्यतः रांची में मैरीन डीज़ल इंजन के लिए उन द्वारा कैपीटल खर्च का सामना करने के लिये 300 लाख रुपये का सरमाया लगाने की प्रार्थना की थी। यार्ड की प्रार्थना पर विचार करने के पश्चात, सरकार ने 1968-69 के बजटीय अनुमानों में गार्डन रीच वर्कशाप्स के शेयर कैपीटल और ऋण के रूप में 250 लाख रुपयों का सरमाया लगाने का उपबन्ध किया है।

सिक्किम सीमा पर चीनी सेना का भारत विरोधी प्रचार

4107. श्री जे० एच० पटेल : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सीमा पर चीनी सेना ने भारत विरोधी-प्रचार और तेज कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि सिक्किम में चीन के लाल रक्षकों की तरह का युवक अध्ययन दल नाम का एक नया संगठन बन गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सिक्किम सीमा की रक्षा पर तैनात हमारे सैनिकों के विरुद्ध चीनियों ने अपना प्रचार कार्यक्रम जारी रखा।

(ख) जी नहीं, रेड गार्डों से थोड़ा सा भी मिलता जुलता कोई अन्य दल सिक्किम में नहीं बना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग

4108. श्री जे०एच० पटेल : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी है ;

(ख) क्या ब्रिटेन जाने वाले भारतीय छात्रों तथा अन्य नागरिकों के साथ उच्चायोग के पूर्णतया उपेक्षापूर्ण तथा अकुशल व्यवहार का पता सरकार को है ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि वर्तमान उच्चायुक्त अपने कर्तव्यों को निभाने में सर्वथा असमर्थ है, क्योंकि वह अधिकांश समय अस्पताल में ही रहता है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) जी नहीं। लन्दन-स्थित अपने हाई कमीशन का समय-समय पर निरीक्षण किया गया है और अमले की आवश्यकताओं का आकलन किया गया है और यथा-सम्भव उस मिशन के वास्तविक कार्य की आवश्यकता के अनुरुप नियमित किया गया है। पिछली बार अप्रेल, 1967 के निरीक्षण के बाद अमले में और किफ़ायत की जा रही है।

(ख) जी नहीं। हमारा हाई कमीशन भारतीय विद्यार्थियों तथा अन्य भारतीय नागरिकों के प्रति व्यवहार में न तो अक्षम है और न ही वह इनकी उपेक्षा ही करता है।

(ग) जी नहीं।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in External Affairs Ministry

4109. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons, category-wise belonging to the Scheduled Castes, Schedules Tribes and other castes respectively in his Ministry at persent ; and

(b) the number of persons, category-wise, who benefitted as a result of the Home Ministry Office Memorandum No. 9/45/60- Establishment (D), dated the 20th April, 1961 ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Scheduled Castes/Tribes Employees in Departments Under Prime Minister

4110. Shri Molahu Prasad : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of employees in the Ministries and Departments under her, belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other castes respectively, State-wise Department-wise and category-wise ; and

(b) the number of employees among them, who have been benefitted by the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 9/45/60- Establishment (D), dated the 20th April, 1961, State-wise, Department-wise and category-wise, as also their names and designations ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) The information is being collected.

Scheduled Castes/Tribes Employees in Information & Broadcasting Ministry

4111. **Shri Molahu Prased :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of employees in his Ministry, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other castes respectively, State-wise, Department-wise and category-wise ; and

(b) the number of employees, among them, who have been benefitted by the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 9/45/60–Establishment (D), dated the 20th April, 1961 State-wise, Department-wise and category-wise ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K .Shah) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Civilian Employees in Defence Ministry

4112. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of civilian employees in his Ministry category-wise and region-wise ;

(b) the number of those among them belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other castes respectively, category-wise and region-wise ; and

(c) the number of those among them who received the benefit till June, 1968 vide Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 9/45/60--Establishment (D), dated the 20th April, 1961 category-wise and region-wise ?

The Minister of state (Defence Prodution) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) (a) to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

I C. S. Officer Deputed to U. N. O.

4113. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no Ministry is prepared to accept the services of Shri Prem Kishan, an officer of Indian Civil Service and it is due to this that Government have deputed him to U. N. O. ;

(b) whether it is also a fact that when the said officer was in the service of Indian Embassy in Europe, he brought a silver dinner set unauthorisedly with him on his return and the dinner set in question was returned when the matter was brought to the notice of the then Prime Minister ;

(c) whether it is also a fact that Shri Prem Kishan, taking an advantage of his post of Secretary, Ministry of Housing and also violating the Municipal law got constructed two houses in Diplomatic Enclave on the land more than that allowed under the rules and is now getting Rs. 5,000 per month as rent of these houses ; and

(d) if so, the action taken by Government in regard to all these points ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indra Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir. At the time of the transfer of the officer from one Mission to another he was reported to have taken away with him a silver fruit set valued at about Rs. 350/-

The mistake was discovered within a few weeks and the fruit set was returned to the Mission concerned. An enquiry was also held and it was decided in consultation with UPSC that this may have been a BONAFIDE mistake on the part of the officer.

(c) No, Sir. Government are aware that the officer has constructed a house in Chanakyapuri and also an annexe to it. The rental is stated to be Rs. 5,000 p. m. The construction was within the rules and regulations.

(d) Does not arise.

भूटान और सिक्किम को सहायता

4114. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूटान और सिक्किम को 1968-69 में उनके विकास-कार्यों के लिए सहायता देने हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ख) इससे कौन-कौन से कार्य किये जायेंगे ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) भूटान और सिक्किम को वित्तीय वर्ष 1968-69 के लिए विकास सहायता के रूप में जो धनराशि निर्धारित की गई है वह इस प्रकार है :–

भूटान – रु० 4,26,50,000

सक्किम – रु० 1,46,00,000

* 1 लाख रुपये तांबा अन्वेषण के लिए

(ख) जो कार्य पूरे किये जाने हैं उनके अन्दर, अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में चली आने वाली अथवा नई योजनाएं आती है।

भूटान :

1. कृषि
2. पशु पालन
3. शिक्षा
4. वन
5. स्वास्थ्य सेवाएं
6. डाक सेवाएं
7. प्रचार
8. परिवहन

9. कर्मशाला
10. शक्ति (जल विद्युत)
11. सार्वजनिक निर्माण विभाग
12. कुटीर उद्योग
13. उद्योग एवं खनन
14. प्राचीन स्मारकों का परिरक्षण
15. भू-सर्वेक्षण
16. जल-विद्युत प्रायोजनाओं की सर्वेक्षण
17. मौसम-विज्ञान केन्द्र (अनुरक्षण)
18. मलेरिया उन्मूलन

सिक्कम :

1. कृषि
2. पशुपालन
3. डेरी विकास
4. सिंचाई
5. वन
6. कुटरी एवं अन्य उद्योग
7. सड़कें तथा सड़क परिवहन
8. शिक्षा
9. स्वास्थ्य
10. ग्राम-विकास
11. इमारतें

मूल्य सम्बन्धी बुलेटिन

4115. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री 27 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2041 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य सम्बन्धी बुलेटिनों के प्रसारण में सुधार करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) भाव-बुलेटिनों का प्रसारण अप्रैल, 1968 से बन्द कर दिया है।

कनिष्ठ सैनिक कमीशन-प्राप्त अधिकारियों तथा अन्य सैनिक कर्मचारियों की पेंशन

4116. श्री हेमराज : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन प्राप्त कनिष्ठ सैनिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अन्य सैनिक कर्मचारियों को त्रैमासिक आधार की बजाय मासिक आधार पर पेंशन देने के बारे में अब तक कोई निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) कई क्षेत्रों में पेन्शनों की अदायगिएं त्रिमासिक या अर्धवार्षिक की जाती हैं। मासिक अदायगियां करने के प्रश्न पर विचार करने से पहले, सरकार ने इस प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले पेन्शनों की राय जानने का फैसला किया था। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से लिखा पढ़ी की गई थी, और कुछ राज्यों के उत्तर प्रतीक्षित है। उनके विचार प्राप्त होने के पश्चात निर्णय लिया जायेगा।

Merger of Commerce and Industrial Development Ministries

4117. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken to bring Commerce and Industrial Development under one Ministry in the Central Government and if so, the time likely to be taken in this behalf ; and

(b) whether a decision has taken to reorganise other Ministries also with a view to have a smaller Cabinet in the interest of economy ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) Presumably, the Hon. ble Member has in mind the recommendation made by the Administrative Reforms Commission's Report on 'Economic Administration' that the Ministries of Commerce and Industrial Development be constituted into one Ministry.

No decision has been taken on this recommendation as Government are awaiting the more comprehensive report of the Commission on the 'Machinery of Government.'

Retirement Age of Artillery Officers

4118. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the retirement age of Artillery Officers has been fixed lower than that of other Army Officers ;

(b) if so, the reasons for discrimination in this regard ;

(c) whether it is also a fact that the Artillery Officers of the rank of Lt. Colonel are unable to draw full pensions after working on that rank for less than two years and, if so, the number of such officers ; and

(d) whether Government are taking any steps to remove this discrimination ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Under the rules, the retirement age of officers up to the rank of Lt. Col. is lower in the Arms than in the Services. There is no discrimination in this matter again. t Artillery Officers alone.

(b) The main reasons for the difference in the ages of retirement between the officers of the Arms such as Infantry, Armoured Corps & Artillery and the Services such as Army Supply Corps, Army Ordnance Corps and Corps of Electrical and Mechanical Engineers are the following :

(1) The officers of the Arms have an actual fighting role to perform under difficult and strenuous conditions, for which physical fitness and mental alertness have to be of the highest order.

(2) The promotion prospects in the Services, as compared with the Arms, are limited and, therefore, the officers of the Services are allowed to serve for a longer period in order to compensate them. Moreover, the nature of their duties is such that it can be performed by Officers of a higher age group without detriment to efficiency.

(c) According to the rules, an Army Officer who has not served for two years in the substantive rank of Lt. Col. does not qualify for pension of that rank This rule is applicable all officers and there is no discrimination against Artillery officers in this respect.

(d) Does not arise.

चीन द्वारा माउंट एवरेस्ट का नया सर्वेक्षण

4119. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने माउण्ट एवरेस्ट का एक नया सर्वेक्षण किया है और इस पहाड़ी क्षेत्र के नये नक्शे तैयार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय क्षेत्र का एक बड़ा भाग इन नक्शों में शामिल किया हुआ दिखाया गया हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) चीन के समाचारों के अनुसार 1966 और 1967 में माउण्ट एवरेस्ट के समीपवर्ती क्षेत्र में चीन की विज्ञान अकादमी ने बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक अभियानों का आयोजन करके विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसन्धान किये। यह क्षेत्र नेपाल तिब्बत सीमा का भाग है। सरकार ने चीन के इन वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के बाद बने उन नये चीनी नक्शों को नहीं देखा जिनमें पिछले चीनी नक्शों में भारतीय क्षेत्रों पर किये गये दावे के अतिरिक्त भारतीय राज्यक्षेत्र के कुछ और भागों पर भी दावा किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोरूकौंडा सैनिक स्कूल

4120. **श्री द० ब० राजू** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 8 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1013 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच में कोरुकौंडा सैनिक स्कूल के प्रतिवेदन की जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सैनिक स्कूल में अच्छे प्रबन्ध के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) प्रशासन के स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष की मार्फत कोरुकोंडा सैनिक स्कूल के प्रिन्सिपल से रिपोर्ट मांगने के पश्चात् मामले का निरीक्षण किया गया है। शिकायतों में कोई तथ्य नहीं पाया गया।

पश्चिम जर्मनी के साथ करार

4121. श्री चित्त बाबू : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दान में प्राप्त होने वाली वस्तुओं को निःशुल्क आने देने के बारे में भारत और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) इस करार की मुख्य व्यवस्थाएं निम्नलिखित है :

(क) जर्मन संगीय गणराज्य के सहायता अभिकरणों द्वारा दान किये गए सामान और वस्तुओं को, भारत सरकार भारत में निः शुल्क प्रवेश करने की अनुमति देगी ;

(ख) सहायता एवं पुनर्वास की प्रमुख वस्तुओं को खाद्यानों एवं अन्य खाद्य-पदार्थों, (जिनमें दूध का पाउडर, विधायित खाद्य-पदार्थ एवं बहूद्देश्यीय खाद्य शामिल हैं), दवाइयों एवं ओषधियों, मल्टी-विटामिन गोलियों, अस्पताली उपकरणों एवं पूर्तियों, कृषि-यन्त्रों इत्यादि तक सीमित रखा जाएगा।

(ग) इस करार के अन्तर्गत आयात किए हुए सामान और वस्तुओं को, गरीब और जरुरतमंद लोगों को, किसी भी आधार पर भेदभाव किये बिना मुफ्त बांटा जायेगा ;

(घ) बन्दरगाह/हवाई अड्डे तक का भाड़ा और बीमा-शुल्क जर्मन संघीय गण-राज्य के दानकर्त्ता अभिकरण अदा करेंगे।

(ङ) भारत में प्रवेश के बिन्दु से भारत में निर्दिष्ट रेलवे स्टेशन तक के परिवहन शुल्क का भुगतान, जिसमें सामान को उतारने, गोदाम में रखने, उठाई-धराई आदि का खर्चा भी शामिल है, भारत सरकार करेगी।

करार के मसौदे की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1749/68]

केरल में इल्मेनाइट के निक्षेपों का सर्वेक्षण

4122. श्री मंगलाथुमाडोम : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इल्मेनाइट के निक्षेपों का पता लगाने के लिये, क्विलोन के निकट मध्य केरल (त्रावनकोर क्षेत्र) में कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है ;

(ख) सर्वेक्षण का ठेका किस एजेंसी को दिया गया है ;

(ग) सर्वेक्षण करने वाले व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं ;

(घ) क्या इस कार्य को करने के लिये किन्हीं विदेशी कम्पनियों को कहा गया था ; और

(ङ) क्या इस बारे में केरल सरकार ने कोई सुझाव दिया था ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा भूतकाल में केरल की समुद्र तटीय रेत का सर्वेक्षण किया गया था ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ङ) जी, नहीं ।

स्थान विक्रय एकक

4123. श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 19'5 में उनके मन्त्रालय के स्थान विक्रय एकक का विकेन्द्रीकरण किया गया था ;

(ख) क्या एकक के विकेन्द्रीकरण के बाद ज्ञापनों की बकाया राशि के वसूल करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था ;

(ग) इस प्रकार नियुक्त किये गये उस अधिकारी की कुल उपलब्धियां कितनी थी ; और

(घ) उस अधिकारी की नियुक्ति के समय कितनी राशि बकाया थी और क्या उसे वसूल किया जा चुका है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां । अगस्त, 1964 में ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । विज्ञापनदाताओं से बाकी रकम को वसूल करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रकाशन यूनिट का था । तथापि, स्थान विक्रय एजेन्ट के

हिसाब, जो 24,280 रुपये था, को तय करने के बचे-खुचे काम को करने के लिए थोड़ा सा स्टाफ रखा गया ।

(घ) विकेन्द्रीकरण के समय, विज्ञापनों के कारण जो कुल राशि वसूल करनी बाकी थी वह लगभग 11,000 रुपये थी जिसमें से 1,792 रुपये अभी भी वसूल करने बाकी हैं ।

वैदेशिक प्रचार सम्बंधी प्रसारण

4124. श्री देवकीनंदन पाटोदिया :
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विरुद्ध चीनी तथा पाकिस्तानी प्रचार का प्रभावशाली तरीके से खण्डन करने के लिये, सरकार आकाशवाणी के वैदेशिक सेवाओं के कार्यक्रम के समय में वृद्धि करने की सम्भावना पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने विदेशी प्रचार प्रसारणों में कुछ और भाषायें जोड़ने की आवश्यकता पर भी विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसमें कौनसी भाषायें शामिल की जायेंगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, हां । जिन भाषाओं में नई सेवाएं शुरु करने का प्रस्ताव है वे वियतनामी, लाओसी कम्बोदी, सिक्किमी, भुटानी, रुसी, मलाय, सिन्धी और जापानी हैं ।

मैसूर राज्य की सेवाओं में सेवा मुक्त किये गये सैनिक कर्मचारियों को प्राथमिकता

4125. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसूर राज्य की सेवाओं के लिए सेवा मुक्त किये गये बहुत से सैनिक कर्मचारियों को प्राथमिकता नहीं की गई है; और

(ख) राज्य की सेवाओं में छंटनीकृत सैनिक कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरियां देने के निदेश को मैसूर राज्य में लागू कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) इस मामले में राज्य सरकार से वास्तविक स्थिति मालूम की जा रही है । उसके प्राप्त होने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

प्रादेशिक सैनिक छावनी, भुवनेश्वर

4127. श्री दे० प्रमात :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री गु० च० नायक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री वी० के० कृष्ण मेनन के भारत के प्रतिरक्षा मंत्री होते समय भुवनेश्वर (उड़ीसा) के निकट एक पूर्ण रूपेण प्रादेशिक सैनिक छावनी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था ;

(ख) क्या लैफ्टीनेंट जनरल कोचर के उड़ीसा के दौरे के बाद यह सुझाव दिया गया था कि उक्त प्रयोजन के लिये 6,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी और लैफ्टीनेंट जनरल कोचर का सुझाव प्रतिरक्षा मत्रालय ने स्वीकार कर लिया था;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा में छावनी स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार केन्द्रीय सरकार को 6,000 एकड़ भूमि मुफ्त देने के लिए सहमत हो गई थी ;

(घ, यदि हां. तो छावनी स्थापित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और यह कब तक स्थापित की जायेगी; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं करने का विचार है, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में(प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) से (ङ): यह सत्य है कि राज्य सरकार ने भुवनेश्वर में एक छावनी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था और इस उद्देश्य के लिए 6,000 एकड़ भूमि की पेशकश की थी। प्रस्ताव विचाराधीन रहा और एक पक्का निर्णय 1965 में लिया गया था, जब मुख्य मंत्री को सूचित कर दिया गया था। सैनिकों का स्थान प्राय: स्ट्रेटिजिक संक्रियात्मक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर आधारित रहता और निर्णय लेते समय सभी सम्बन्धित तथ्यों पर विचार किया गया था। इस समय भुवनेश्वर में कोई छावनी स्थापित करने का कोई विचार नहीं है । और विस्तार देना लोक-हित में न होगा ।

पूर्व चेतावनी व्यवस्था

4128. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय की तलहेटी में पूर्व चेतावनी व्यवस्था का काम पूरा करने के बारे में भारत और अमरीका के बीच कोई समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह काम कब आरम्भ हो जाने की संभावना है तथा कब तक इसके पूर्ण हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो अमरीका की सहायता के बिना भारत ऐसी राडार व्यवस्था स्थापित करने की स्थिति में है और यदि हां, तो क्या भारत इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य महोदय का ध्यान रक्षा मत्रालय की 1967-68 की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 33 में पैरा 3 पर आकृष्ट किया जाता है ।

मद्रास रेजिमेंटल संटर के असैनिक क्लर्कों की सेवामुक्ति

4129. श्री नंजा गोडर : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास रेजिमेंटल संटर वेलिंग्टन के अभिलेख कार्यालय के बहुत से असैनिक क्लर्कों (लड़ाकुओं के स्थान पर काम करने वाले) को इस कारण से सेवा-मुक्ति का नोटिस दिया गया है, कि वे भर्ती के समय अपेक्षित आयु सीमा, अर्थात 21 वर्ष, वाली शर्त पूरी नहीं करते थे; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें समकक्ष दर्जे तथा उपलब्धियों वाले वैकल्पिक रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० र० कृष्ण : (क) मद्रास रेजिमेंट वेलिंग्टन के रिकार्ड आफिस के 8 क्लर्कों को एक मास का डिस्चार्ज नोटिस दिया गया था कि जिन्हें आयु सीमा से संबंधित वर्तमान नियमों के विरुद्ध गलती से भर्ती किया गया था, और उन्हें 30-4-1968 को डिस्चार्ज कर दिया गया था ।

(ख) चूंकि उनकी नियुक्ति गलती से की गई थी और वह शुरू से ही नियुक्ति के लिए अर्ह न थे, उन्हें फालतू और कमियों के समंजन की योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक नियुक्तियों लिए नहीं विचारा जा सकता ।

मनीपुर के क्षेत्रों का नागालैंड के साथ विलय

4131. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागा नेताओं को पहले यह वचन दिया था कि मनीपुर क्षेत्र के उस इलाके का, जिसमें नागा उप-आदिम जातियां रहती है, नागालैंड के साथ विलय किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरुप क्या था;

(ग) क्या यह सच है कि 16 बिन्दु करार के तेहरवें बिन्दु में उस वचन का उल्लेख है; और

(घ) यदि हां, तो इस करार में उपबंधित वह वचन क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) से (घ) : इन आसन्नवर्ती क्षेत्रों का विलय, जहां नागा बसे हुए हैं, नागा पीपुल्स कन्वेंशन के 16-सूची करार के 13 वें सूत्र के रूप में उल्लिखित है, जो कि इस प्रकार है:-

"नागा नेताओं ने यह मत व्यक्त किया कि आसन्नवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले अन्य नागाओं को भी नए राज्य में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाना चाहिए । यह बात

कही गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 में किसी भी राज्य का क्षेत्र विस्तार करने की व्यवस्था है लेकिन भारत सरकार के लिए अभी इस बारे में कोई वचन देना सम्भव नहीं है। प्रतिनिधिमंडल ने इसे स्वीकार कर लिया था। नागा पीपुल्स कन्वेंशन की प्रार्थना पर यह 16 सूची क़रार में प्रलेखबद्ध कर लिया गया था जो 26 जुलाई, 1960 को सम्पन्न हुआ था। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस बारे में कोई वचन नहीं दिया गया है।

गवेषणा तथा विकास परिषद्

4132. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवेषणा तथा विकास परिषद सशस्त्र सेनाओं के लिये आवश्यक हथियारों और सामान में सुधार और भारत की रक्षा से सम्बन्धित वैज्ञानिक गवेषणा का दिग्दर्शन और समनव्य करने के स्थान पर प्रशासन के मामलों में लगी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो परिषद् को प्रशासनिक काम से मुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास परिषद की वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में समन्वय स्थापित करने और उनका दिग्निर्देशन करने मात्र की ही जिम्मेवारी नहीं है अपितु उसे रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में मंत्रालय के प्रशासनिक शक्तियों का भी उपयोग करती है। इस संगठन के विकास के लिए इस प्रकार के संयोजित दायित्वों को वांछनीय समझा गया है। यह परिषद रक्षा अनुसंधान, वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने, बारी बारी से विभिन्न अनुसंधान ग्रुपों की-प्रगति की समीक्षा करने, उन परियोजनाओं की संवीक्षा करने जिन पर कि काम हो रहा हो और आगे जिन्हें हाथ में लिया जाना है, आदि मामलों से संबंधित नीति के प्रश्नों पर पर्याप्त विचार करती है। अनुसंधान विकास परिषद को अनुसंधान और विकास कार्यों में अधिक अच्छा समन्वय और दिग्निर्देशन कार्य करने के लिए परिषद का संविधान मई, 1967 में संशोधित किया गया जिससे यह व्यवस्था की गई है कि दो विभागीय अधिकारियों के स्थान पर बाहर से दो अतिरिक्त सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों क भी शामिल किया जाय।

जेट विमान इंजनों का निर्माण

4133. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 'मैक' क्षमता वाले जेट विमान इंजनों का देश में विकास करने तथा उन्हें बनाने की इच्छुक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) विमान इंजनों के लिये हमें विदेशी निर्माताओं पर निर्भर न करना पड़े इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल०ना० मिश्र): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मिग विमान कारखाना समूह

4134. श्री गार्डिलिगन गौड : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिग-21 विमानों को बनाने की तीन फैक्टरियों के संबंध में छोटे कारखानों में उत्पादन लागत कच्चे माल और लाभ के बारे में अभी तक अनुमान तैयार नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार मिग विमानों पर विभिन्न प्रक्रमों में आने वाली उत्पादन लागत का हिसाब लगाना चाहती हैं; और

(घ) यदि हां, तो लगभग किस तिथि तक यह कार्य पूरा कर लिया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने निर्माण कार्य की प्रत्येक प्रावस्था की लागत का एक अस्थाई प्राक्कलन तैयार किया है। निर्माण कार्य की अन्तिम अवस्थाओं में उत्पादन आरम्भ हो जाने पर ही लाभ का अनुमान लगाया जा सकेगा।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड उत्पादन की प्रत्येक प्रावस्था की लागत निकाल रहा है।

मिग–21 फैक्टरियां

4135. श्री गार्डिलिगन गौड : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोरापुट क्षेत्र में रेल-सम्पर्क के शीघ्रता से कायम न होने और डाक तथा तार सुविधाओं के शीघ्रता से और व्यापक रूप से उपलब्ध न करने के कारण मिग-21 विमान के लिए फैक्टरियां दक्षता से कार्य नहीं कर रही हैं और विकास कार्य में बाधा पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और पूर्ण विकास के मार्ग की बाधाओं को हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं। रेल सम्पर्क व्यवस्था पूरी हो चुकी है और अब रेल द्वारा सामान सूनावेडा पहुंचाया जा रहा है। सूनावेडा को तार और टेलीफोन से भी जोड़ा गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में टेलीविजन सैट

4136. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीविजन व्यवस्था चालू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में अब तक कितने टेलीविजन सैट बेचे गये हैं; और

(ग) प्रत्येक सैट किस मूल्य पर बेचा गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य व्यापार निगम की मार्फत 4,811 टेलीविजन सैट बेचे गये हैं। लोगों द्वारा अन्य स्रोतों से लिये गये सैटों की जानकारी उपलब्ध नहीं है । 31-12-1967 को लाईसन्स प्राप्त सैटों की कुल संख्या 6,184 थी ।

(ग) सैट निम्न दरों पर बेचे गये हैः-

वे देश जहां से आयात किए गए	आकार	विक्रय मूल्य (स्थानीय करों को छोड़ कर) अवमूल्यन से पहले रुपए	अवमूल्यन के बाद रुपए
जापान	16 इंच	1,000	1,200
आयरलेंड	23 इंच	1,550	1,880
हंगरी	23 इंच	1,530	1,870
यूगोस्लाविया	23 इंच	—	1,760

चलचित्रों के वितरण का राष्ट्रीयकरण

4137. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र वित्त निगम के अध्यक्ष ने सरकार के विचारार्थ एक नोट प्रस्तुत किया है जिसमें भारत में चलचित्रों के वितरण के तत्काल राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह नोट कब प्राप्त हुआ था और क्या एक ऐसे व्यक्ति, जिसे चलचित्र उद्योग की समस्याओं के अध्ययन का अवसर मिला है, द्वारा दिये गये सुझाव पर सरकार ने विचार किया है;

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) जी, हां। नोट मार्च, 1968 में प्राप्त हुआ था। विभिन्न कानूनी और व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण सरकार के लिये सुझाव को स्वीकार करना अभी तक संभव नहीं हुआ है।

Short Wave Transmitter for Kanpur

4138. Smt. Sushila Rohatgi : Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) whether it is a fact that declaration was made during the last Session that a short wave transmitter would be installed at Kanpur;

(b) whether it is also a fact that this transmitter is now proposed to be installed at Aligarh instead of at Kanpur; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) No. Sir. The Hon'ble Member is possibly referring to the supplementaries to Question No. 182 answered on February 21, 1968. The location mentioned was Khampur near Delhi and not Kanpur as misreported in the Lok Sabha proceedings This has been pointed out to the Lok Sabha Secretariat and they have been requested to carry out the necessary correction in the final edited version of the printed proceedings. The transmitter proposed to be installed at Aligarh is different.

(c) Does not arise.

नये सिनेमा–गृह अभियान

4139. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में चलचित्र उद्योग से सम्बन्ध कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाये गये सिनेमा गृह अभियान की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा नये सिनेमा गृह अभियान के लिए अब तक किसी प्रकार की कोई सहायता दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह): (क) से (घ) एक नये सिनेमा अभियान को प्रारम्भ करने के दृष्टिकोण से बम्बई फिल्म सोसायटी तथा फिल्म उद्योग से सम्बन्धित कुछ लोगों ने "सिनेमादी क्यू इंण्डियां" लिमिटेड नाम से एक व्यापरिक कम्पनी पंजीकृत कराने का प्रस्ताव किया है। इस नई कम्पनी के चलाने वालों ने सरकार से मनोरंजन कर तथा स्थानीय करों आदि से छूट मिलने के बारे में कुछ रियायत देने की प्रार्थना की है। उनकी प्रार्थना पर सरकार उचित रूप से विचार करेगी।

हिन्द महासागर में रूसी-नौसेना के जहाजों की गश्त

4142. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कामेश्वर सिंह
श्री जे० एच० पटेल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 26 जुलाई 1968 को "दी नेशनल हैरल्ड" नामक समाचार-पत्र में प्रकाशित हुए समाचार के अनुसार हथियारों तथा गोलाबारुद से पूरी तरह लैस रूसी जहाज हिन्द महासागर में गश्त लगा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार को सोवियत पोतों द्वारा हिन्द सागर में गश्त लगाने का ज्ञान नहीं है। सद्भावना भ्रमणों पर आने वाले सोवियत पोत मद्रास और बम्बई तथा एशिया और खाड़ी क्षेत्र की अन्य बन्दरगाहों में गए थे। ऐसे भ्रमणों की क्रिया में उनकी हिन्दसागर से हो कर की गई यात्रा गश्त नहीं कही जा सकती। इन भ्रमणों से कोई तनाव पैदा नहीं हुआ और ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई कि जिससे हमारे लिए कोई कार्यवाही करना आवश्यक हो।

Means of Transport in Rajasthan

4143. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total amount of expenditure proposed to be incurred during the current year to improve the means of transport in Rajasthan from the security point of view as also the amount that has been spent so far in this connection; and

(b) the details of the Scheme of the Government to make arrangements for the drinking water and electricity in that desert for the Defence personnel and purpose besides constructing roads there and also to boost the morale of our soldiers stationed there and to strengthen them, keeping in view their requirements and the amount being spent in this connection annually ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Government have proposed tentatively to allocate a sum of Rs. 7.46 crores during the current year for the construction of strategic roads in Rajasthan. Rs. 13.31 crores have been spent so far on the construction/improvement of these roads.

(b) Adequate arrangements exist for supplying water and other amenities for the troops stationed in the area. Electricity is provided where possible. Separate figures for providing electricity and water in the area are not available.

पाकिस्तान में नजरबन्द त्रिलोक चन्द्र के लिए कानूनी सहायता

4144. श्रीमती सुचेता कृपलानी :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री शिव नारायण :
श्रीमती जयाबेन शाह :
श्री बाल्मीकि चौधरी ;
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री य बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि एक भारतीय नागरिक त्रिलोक चन्द्र, जो इस समय पाकिस्तान में जेल में बन्द है, के पिता ने पाकिस्तानी न्यायालय में अपने पुत्र के विरुद्ध मुकदमा चलाये जाने से पहले उसके विरुद्ध पाकिस्तान सरकार द्वारा की जाने वाली सम्भावित कार्यवाही के बारे में भारत सरकार को सूचना दे दी थी, फिर भी इस्लामाबाद (पाकिस्तान) स्थित भारतीय उच्च आयोग द्वारा उनके पुत्र को कोई कानूनी सहायता नहीं दी गई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस लड़के के पिता ने न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जिसने त्रिलोक चन्द्र को दोषी ठहराया था और दो साल की सख्त कैद का दंड दिया था, अपील करने के लिये उनके पुत्र को कानूनी सहायता देने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया था ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने त्रिलोक चन्द्र के विरुद्ध पाकिस्तानी न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति प्राप्त कर ली है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : 14.3.67 को त्रिलोक चन्द्र के पिता के पत्र से त्रिलोकचन्द्र के पाकिस्तान में पकड़े जाने की खबर मिलते ही इस्लामाबाद-स्थित भारतीय हाई कमीशन को निर्देश दिया गया था कि वह पाकिस्तान सरकार से संपर्क स्थापित करें। उसने 24 मार्च को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय को एक नोट भेजकर इस गिरफ्तारी आदि का ब्यौरा मांगा। इस बात पर व्यक्तिगत रूप से बातचीत हुई।

23 अप्रैल, 1966 के अपने पत्र में इस लड़के के पिता ने सुझाव दिया है कि भारत सरकार को लड़के के कानूनी व्यय का प्रबन्ध करना चाहिए और अगर उसको अभियुक्त घोषित कर दिया गया है तो उसके मुकद्दमें को किसी उच्चतर न्यायालय में उठाए। इस बात पर विचार करने से पहले कि भारत सरकार को उसके पिता की ओर से ऐसा करना चाहिए, त्रिलोक चन्द्र पर लगाए गए आरोपों का और उसके कारावास की अवधि का उस न्यायालय के नाम आदि का विवरण प्राप्त करना आवश्यक हो गया जिसने त्रिलोक चन्द्र को अभियुक्त घोषित किया है। बार-बार प्रार्थना करने पर भी पाकिस्तान सरकार ने आज तक यह सूचना हमें नहीं दी है।

पिता के नाम लड़के के एक पत्र के अनुसार उसे 10.4.1966 को अभियुक्त करार दिया गया था और दो वर्ष की कैद की सजा दी गई थी। उसने यही बात हमारे हाई कमीशन के अधिकारियों को उस समय बताई थी जब वे दिसम्बर, 1966 में उससे मिलने भावलपुर जेल में गए थे।

भारत सरकार के पास इस मुकदमें के फैसले की कोई प्रति नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने अभियुक्त करार दिए जाने की तारीख और स्थान, कैद की म्याद तथा उसकी रिहाई की सम्भावित तारीख के बारे में अभी तक विस्तृत सूचना हमें नहीं भेजी है।

पीकिंग स्थित भारतीय दूतावास में चीनी कर्मचारी

4145. श्री जे० एच० पटेल : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री 24 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीकिंग स्थित हमारे दूतावास में नियुक्त चीनी कर्मचारियों द्वारा जासूसी किये जाने का कोई मामला सरकार के नजर में आया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी जानकारी को बाहर ना जाने देने के लिये कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) पीकिंग-स्थित हमारे राजदूतावास में समुचित सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है।

"रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस" से प्रसारण

4146. श्री कृ० दे० त्रिपाठी : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री "रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस" के प्रसारणों का एक संकलित पाठ, जिनमें राजनैतिक दलों, राजनैतिक कार्यकर्ताओं तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की आलोचना की गई है और सरकार द्वारा रूस सरकार को भेजे गये विरोध पत्रों तथा रूस सरकार से यदि कोई उत्तर मिला है, तो उसे सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में आण्विक अनुसंधान केन्द्र

4147. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य में एक आण्विक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा आण्विक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तथा किस स्थान पर ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) उत्तरी ग्रिड की आवश्यकता को पूरा करने के लिये एक या दो अणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है। इस तरह के केन्द्र के स्थान के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राजनयिक पार-पत्र

4148. श्री यशपाल सिंह : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) : पिछले दो वर्षों में कितने राजनयिक पार-पत्र जारी किये गये हैं;

(ख) : ये पार-पत्र किन-किन व्यक्तियों के नाम में जारी किये गये ; और

(ग) : क्या सरकार का विचार भविष्य में इन पार-पत्रों की संख्या कम से कम करने का है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) : जानकारी एकत्र की जा रही है और उसको उन व्यक्तियों के व्यापक वर्गों के अन्तर्गत सदन की मेज पर रख दिया जायेगा, जिनको पिछले दो वर्षों के दौरान राजनयिक पासपोर्ट जारी किए गए हैं ।

(ग) : राजनयिक पासपोर्ट जारी करने का कार्य पार-पत्र अधिनियम, 1967 तथा उसके अधीन बने हुए नियमों के अनुसार नियमित होता है, इसलिए संख्या को सीमित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

चलचित्रों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

4151. श्री जुगल मंडल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री 17 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7516 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में तैयार किये गये भारतीय चलचित्रों से अर्जित विदेशी मुद्रा के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र करली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) । जी, हां ।

(ख) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1750/68]**

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

निर्यात के लिये फिल्में

4152. श्री जुगल मंडल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री 17 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7556 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मों के निर्यात सम्बन्धी उक्त सूचना अब एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1751/68]**

नागाओं तथा मिज़ो के बारे में चीन द्वारा प्रचार

4153. श्री एम० एस० ओबराय : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा और मिजो विद्रोहियों के पक्ष में चीन सब प्रकार से प्रचार कर रहा है और उन्हें अपनी राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियां तीव्र करने के लिये ठोस सहायता दे रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों में ऐसे प्रचार का मुकाबला करने और नागा समस्या का सही रूप प्रस्तुत करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) : जी हां।

(ख) : इस सम्बन्ध में चीन के धृष्टतापूर्ण एवं मिथ्या प्रचार का प्रतिकार करने के लिए, विदेश-स्थित हमारे मिशनों को समय-समय पर उपयुक्त हिदायतें जारी की गई हैं।

सहकारी आधार पर सिनेमा घरों का निर्माण

4154. श्री मोहन सिंह ओबराय : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चल चित्र निर्माताओं ने हाल ही में देश में सहकारी आधार पर और सिनेमा गृहों के निर्माण के लिये सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किस प्रकार का है और उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या सरकार सहकारी आधार पर सिनेमा गृहों के निर्माण को प्रोत्साहन देगी और इस क्षेत्र में आने के इच्छुक व्यक्तियों को ऋण तथा भूमि के नियतन के रूप में कुछ सुविधायें भी देगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) : जी, हां।

(ख) और (ग) : प्रस्ताव में निर्माताओं के सहकारी संघों को 90 प्रतिशत तक ऋण देने को कहा गया है। इस प्रस्ताव पर सरकार उचित रूप से विचार करेगी। हालांकि सिनेमा राज्य का विषय है फिर भी भारत सरकार सारे देश में शीघ्रता से और प्राथमिक रूप से बड़ी संख्या में सिनेमा घरों का निर्माण करने को इच्छुक है और इस कार्य को पूरा करने के लिये धन उपलब्ध करने के लिये कोशिश की जायेगी।

हाशिमारा में हवाई अड्डे के लिये भूमि का अर्जन

4155. श्री कार्तिक उरांव : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाशिमारा में एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिये प्रतिरक्षा विभाग ने 1956 में अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों और अन्य लोगों की कई एकड़ भूमि अर्जित की थी ।

(ख) क्या बहुत से मामलों में अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : 1956 में हाशिमारा हवाई अडडे के लिए कोई भूमि अर्जित नहीं की गई थी । तदपि 1964 और 1967 के बीच लगभग 276 एकड़ भूमि अर्जित की गई थी । इनमें कुछ भूमि अनुसूचित जातियों की थीं । इस अर्जन के लिए अवार्ड किए गए 4.28 लाख रुपये के मुआवजे में से 4.21 लाख रुपये की अदायगी कर दी गई है । मुआवजे के शेष 7000 रुपये अन्तग्रस्त भूमि के अधिकार में झगड़े के कारण अदा नहीं किए जा सके ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान के राज्य-क्षेत्र में भारतीय बस्तियों में भारतीय पुलिस कर्मचारियों को प्रवेश करने की अनुमति देने से पाकिस्तान का इन्कार किया जाना

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं पाकिस्तान के राज्य-क्षेत्र में भारतीय बस्तियों में भारतीय पुलिस कर्मचारियों को प्रवेश करने की अनुमति देने से पाकिस्तान के इन्कार करने की ओर वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ । और मैं अनुरोध करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : 9 और 10 अप्रैल, 1965 को पश्चिम बंगाल और पूर्व पाकिस्तान के मुख्य सचिवों का ढाका में जो सम्मेलन हुआ था उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्णय किया गया था कि दोनों देश के अधिकारी इन बस्तियों में नियमित पासपोर्ट लेकर आयें-जायें और इस प्रकार आने-जाने के लिये वीसा जारी किये जायेंगे । इसी निर्णय के अनुसार अगस्त, 1965 में एक भारतीय पुलिस दल कोटाभजनी में तैनात किया गया । कोटाभजनी पूर्वी पाकिस्तान में एक भारतीय बस्ती है । इसी तरह पूर्व पाकिस्तान सरकार द्वारा अपनी डाहाग्राम बस्ती में एक पुलिस दल तैनात किया गया ।

1965 के संघर्ष के बाद के दिनों में भारतीय दल भारत की ओर लौट आया परन्तु पाकिस्तानी दल नहीं जा सका और वह अब भी डाहाग्राम में बना हुआ है ।

अगस्त, 1966 में पाकिस्तान सरकार ने डाहाग्राम के अपने पुलिस दल को बदलने के लिये यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं के लिये अनुरोध किया था। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद यह प्रार्थना इस शर्त पर स्वीकार कर ली गई कि भारतीय बस्ती सालवाड़ी में पुलिस दल को भेजने के लिये इसी प्रकार की यात्रा सम्बन्धी सुविधायें पश्चिम बंगाल सरकार को भी प्रदान की जायेंगी। पाकिस्तान सरकार इस बात के लिये राजी हो गई है, किन्तु पश्चिम बंगाल और पूर्व पाकिस्तान सरकारों के बीच इसका ब्यौरा अभी तय होना है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या डाहाग्राम में पाकिस्तान का पुलिस दल अब भी तैनात है और क्या सालवारी में हमारा पुलिस दल तैनात किया गया है या हम वहां कोई नया पुलिस दल तैनात करना चाहते हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 1965 के बाद जहां से हम वापस आ गये थे क्या वहां पर कोई पुलिस दल कभी तैनात किया गया और क्या इस समय हमारा पुलिस दल इन व्यक्तियों में है?

इसके बाद मैं यह भी जानना चाहूंगा कि नेहरू-नून समझौते के अन्तर्गत जो 123 भारतीय बस्तियां पाकिस्तान की 74 व्यक्तियों से आपस में बदली जानी थीं, क्या वह अभी तक नहीं बदली गई हैं?

श्री ब० रा० भगत : बस्तियों की अदला बदली नहीं हुई है क्योंकि पाकिस्तान ने यह आपत्ति उठायी कि जब तक बेरूबाड़ी का समझौता नहीं हो जाता, तब तक बस्तियों की अदला-बदली नहीं की जाएगी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : बेरूबाड़ी समझौता बहुत पहले समाप्त हो चुका है अब तक आप क्या करते रहे?

श्री ब० रा० भगत : बस्तियों की अदला बदली नेहरू–नून समझौते के परिणाम स्वरूप होनी थी। यही इसमें एक अड़चन है। कोटामजनी में हमारा पुलिस दल पहले भी तैनात था। और किसी बस्ती में हमारा पुलिस दल नहीं था। यदि पाकिस्तान हमारे पुलिस दल को सालबाड़ी जाने देने के लिये सहमत होगा तो पाकिस्तान को डाहाग्राम में अपने पुलिस दल को बदलने के लिये सुविधायें दी जायेंगी।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) **:** क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार का डाहाग्राम जैसे विशेष क्षेत्रों का पाकिस्तानी शत्रु से संरक्षण करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है? ताशकंद समझौते में भी यह बात कही गई थी कि विवाद शांतिपूर्ण बातचीत से तय किये जायें और अब पाकिस्तान ताशकंद समझौते का भी उल्लंघन कर रहा है। क्या यह बात सोवियत नेताओं के ध्यान में लाई गयी है?

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि बस्तियों की अदला-बदली अभी होनी है, यह तय हो चुका है। जहां तक हमारी सुरक्षा को चुनौती दिये जाने का प्रश्न है वहां निःसन्देह सरकार अपनी भूमि की सुरक्षा पूरी ताकत से करेगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (बिहार, भागलपुर तथा रांची विश्वविद्यालय) तथा मगध विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : Mr. Speaker, Sir, on behalf of Dr. Triguna Sen I lay the following papers on the Table:-

(1) A copy of the Bihar State Universities (University of Bihar, Bhagalpur and Ranchi) and the Magadh University (Amendment) Ordinance, 1968, promulgated by the Government of Bihar on the 16th July, 1968, under provisions of article 213 (2) (a) of the Constitution, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 29th June, 1968, issued by the President in relation to the State of Bihar (Hindi and English Versions).

(2) A statement giving reasons for immediate legislation by the above ordinance.

Shri Yogendra Sharma (Bengusaria) : Mr. Speaker, Sir, there is great discontentment among the educationists of Bihar and the problems of University education cannot be tackled by the Governor's Ordinance.

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : Mr. Speaker, Sir, this ordinance is against the educationists. There are only beaurocrats in the Commission set up under this and there is no educationist. We oppose this ordinance.

Shri R. Shastri (Patna) : Mr. Speaker, Sir, this ordinance ought not to have been promulagated. But since it has been done by the Governor, it should not be discussed in this House.

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचायें

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रामस्वामी) : मैं श्री विद्या चरण शुक्ल की ओर से अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर पुनः रखता हूँ:–

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त तथा शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1968 जो दिनांक 13 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 690 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासन सेवा (एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त तथा शार्ट सर्विन कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1968 जो दिनांक 13 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 691 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासन सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1968 जो दिनांक 13 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 692 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) जी० एस० आर० 722 जो दिनांक 20 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III कतिपय संशोधन किये गये।

(पाँच) जी० एस० आर० 723 जो दिनांक 20 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में एक संशोधन किया गया।

(छः) जी० एस० आर० 761 जो दिनांक 27 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किए गए।

(सात) जी० एस० आर० 762 जो दिनांक 27 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 को अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये।

दिल्ली मोटर गाडी (छटां संशोधन) नियम

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): Mr. Speaker, Sir, I lay the following paper on the Table of the House :

Delhi Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 1967, published in Notification No. F. 19 (18) /64-67/ TPT in Delhi Gazette dated the 7th March, 1968. under subsection (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939.

सूती कपड़ा (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं सभा पटल पर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सूती कपड़ा (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०आर० 2463 में प्रकाशित हुआ था, रखता हूं।

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA-SABHA

सचिव : महोदय मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को सूचित करने का निदेश मिला है कि राज्य-सभा अपनी 12 अगस्त, 1968 की बैठक में लोक सभा द्वारा 1 अगस्त, 1968 को पास किये गये अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 1968 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश मिला है कि राज्य सभा ने मंगलवार दिनांक 13 अगस्त, 1968 की अपनी बैठक में सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 सम्बन्धी सभाओं की संयुक्त समिति के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :-

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट करती है कि राज्य-सभा सरदार रघवीर सिंह पंज हजारी के त्यागपत्र के कारण हुए रिक्त स्थान पर सरकार को दुष्कृति में दायित्व के सम्बन्ध में कानून की व्याख्या करने और संशोधन करने तथा उससे सम्बन्धित कुछ मामलों की व्यवस्था करने के लिये इस विधेयक के सम्बन्ध में सभाओं की संयुक्त समिति में राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और यह सभा संकल्प करती है कि राज्य-सभा के सदस्य श्री चक्रपाणि शुक्ल को उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किया जाये।"

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILL

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त प्रेस तथा पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक 1968 की एक प्रति भी सभा-पटल पर रखता हूं, क्योंकि सभा को इस बात की अन्तिम सूचना 9 अगस्त, 1968 को दी गई थी।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : महोदय, 19 अगस्त, 1968 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा में सरकारी कार्य निम्नलिखित होंगे:-

(1) आज की कार्य-सूची में दर्ज आंशिक रूप से जिस मद पर चर्चा की गई उस पर विचार।

(2) वर्ष 1968-69 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) तथा वर्ष 1965-66 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर और मतदान।

(3) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक, 1968 पर विचार करना और पास करना।

(4) वर्ष 1968-69 के लिए बिहार बजट पर सामान्य चर्चा और उसके सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान।

(5) चर्चा और मतदान :

(I) वर्ष 1968-69 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उत्तर प्रदेश)
(II) वर्ष 1968-69 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य)।
(III) वर्ष 1965-66 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य)

(6) राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 1968, पर विचार तथा पास करना।

(7) सडक परिवहन करारोपण जांच समिति के प्रतिवेदन पर आगे चर्चा।

(8) सोमवार, 19 अगस्त, 1968 को 3 बजे म० प० पर श्री मधु लिमये द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर 30 अप्रेल और 24 जुलाई, 1968 को उप-प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्यों पर चर्चा।

(9) मंगलवार, 20 अगस्त, 1968 को 5.30 बजे म० प० पर श्री एस० एस० कोठारी द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर भारतीय आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 में रूपभेद के लिये प्रस्ताव पर विचार।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Speaker, Sir, the internal situation of Jammu and Kashmir is going to become worse day by day. The same may be discussed in the House and this should not be delayed.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मैं अनुरोध करता हूं कि जम्मू और काश्मीर की स्थिति के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव सभा में पेश किया जाये और इस पर चर्चा करने के लिये कुछ समय निर्धारित किया जाये।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मुझे दो बातों की जानकारी चाहिये। पहली यह है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के हटाये जाने के बारे में अब तक क्या किया गया है ? दूसरी बात यह है कि कम्पनी के चन्दों के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा 19 सितम्बर को की जाने वाली हड़ताल पर चर्चा की जानी चाहिये।

श्री शिवाजीराव शं देशमुख (परमणी) : ट्रैक्टरों और इसके पुर्जों की चोरबाजारी तथा इनकी कमी पर इस सभा में चर्चा होनी चाहिये। इसके लिये कुछ समय नियत किया जाना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): The threatened strike of Central Government employees must be discuseed in the House and besides it, the defence of our country should also be discussed.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : First I want to say about company donations. Secondly I want that Kutch Affidavit should also be discussed next week (Interruption).

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सर्वप्रथम, श्री नाथ पाई और श्री मधु लिमये ने जो कुछ कहा उसका मैं समर्थन करता हूँ तथा एक निश्चित आश्वासन चाहता हूँ । केन्द्रीय कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल पर चर्चा करना भी आवश्यक है । समाचार पत्र कर्मचारियों हड़ताल के सम्बन्ध में श्रम मंत्री द्वारा एक विधेयक पेश किया जाना चाहिये जिससे हड़ताल समाप्त की जा सके । ब्रिटिश भारत निगम के राष्ट्रीयकरण के बारे में क्या किया जा रहा है ? इस पर शीघ्र ही चर्चा की जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने जिन बातों पर चर्चा के लिये कहा है, मेरे विचार में इसमें दो महीने लग जायेंगे । अगले सप्ताह मैं इस पर सुझाव दूंगा । मैं कार्य मंत्रणा समिति की एक बैठक बुलाऊंगा जिसमें माननीय सदस्य इन बातों के बारे में सुझाव दे सकते हैं । कथित समिति को इसमें परिवर्तन करने का अधिकार है । श्री स० मो० बनर्जी को इस समिति की बैठक में अवश्य आना चाहिये जिससे हमें चर्चा करने वाले विषयों के निर्णय करने में मदद मिल सके ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : आन्ध्र प्रदेश और मैसूर राज्य के कुछ हिस्सों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति उत्पन्न हो गई है । इस पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : हिन्दू धर्मादाय विधेयक बहुत समय से विचाराधीन पड़ा है । मुझे यकीन नहीं है कि इस पर चर्चा अगले सत्र में भी हो सकेगी ।

Shri Sheo Narayan (Basti) : Firstly, there is the serious question of Kashmir before the country. Secondly the condition of Harijans is also not good in the country and thirdly there is balckmarketting in Motor-tyres (Interruption) Government should make provision for them.

Shri R Shastri (Patna) : Police excesses in U. P. and Bihar should also be discussed.

अध्यक्ष महोदय : मैं अनेक मंगलवार को कार्य-मंत्रणा समिति की एक बैठक बुलाऊंगा जो इन मामलों पर विचार करेगी और अपना निर्णय देगी ।

श्री नाथ पाई : महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर कौन देगा ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका पता नहीं ।

डा० राम सुभग सिंह : काश्मीर के मामले में हमारा रवैया हमेशा स्पष्ट रहा है । कम्पनी चंदा विधेयक के लिये भी समय नियत किया जायेगा । देश की रक्षा विषयक वाद-विवाद कार्य-मंत्रणा समिति के अधिकार में है ।

न्यायाधीश (जांच) विधेयक–जारी

JUDGES (INQUIRY) BILL--Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब हम न्यायाधीश (जांच) विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे। मेरा विचार है कि प्रत्येक दल ने विधेयक का समर्थन किया है और इस की सराहना की है। क्या अब मैं मंत्री महोदय को सामान्य वाद-विवाद का उत्तार देने के लिए कह सकता हूं।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : श्री वी. कृष्णमूर्ति के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। श्री भंडारे ने एक या दो महत्वपूर्ण बातें कहीं। इसलिए मैं उनका जबाब देना आवश्यक समझता हूँ। उनकी मुख्य आलोचना यह थी कि जांच समिति बनाने की अनुमति देकर हमने न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का मामला संसद् से छीन लिया है। उन्होंने न्यायाधीशों के अभियोग के संबंध में अमरीकी कांग्रेस के उदाहरण उद्धृत किये। उन्होंने तीसरी बात यह कही कि यदि न्यायाधीश मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत होने से इन्कार कर देता है तो एक उपबन्ध किया गया है कि समिति, मेडिकल बोर्ड की ऐसी रिपोर्ट मिलने पर, उनके अनुपस्थित होने पर यह कल्पना कर सकती है कि वह व्यक्ति असमर्थ है।

यह आलोचना विधिमान्य नहीं है। यह कहा जाता है कि इस विधेयक द्वारा अध्यक्ष को समिति का गठन करने का अधिकार दिया गया है। संविधान में उल्लिखित है कि एक न्यायाधीश को तभी हटाया जा सकता है जब यह सिद्ध हो जाये कि उसने दुर्व्यवहार किया है तथा वह अक्षम है। इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 124 के खण्ड 5 में 'जांच' शब्द का उल्लेख किया गया है। दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता सिद्ध करने के लिए जाँच करनी होगी। मैं नहीं समझता कि यह सभा स्वतः एक जांच निकाय है और जांच कर सकती है। यदि उचित जांच की जानी है तो इस काम को एक छोटे से निकाय को सौंपना होगा। यह समिति न्ययाधिकरण की तरह नहीं बल्कि जांच समिति की तरह बैठती है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी समिति में बैठ सकता है। यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव में बताया गया अभियोग वही नहीं है तो प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि समिति कहती है कि अभियोग साबित हो गये हैं तो सभा प्रस्ताव पर विचार करेगी। इसलिए इस तरह के मामले मूलतः संसद् के हाथों से छीन नहीं लिये गये हैं। जांच समिति अपनी जांच के द्वारा ऐसे मामलों में संसद् की सहायता ही करती है। इससे निश्चित निर्णय देने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

इस उपबन्ध की भी आलोचना की गई है कि यदि न्यायाधीश मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होने से इन्कार करता है तो बोर्ड यह मान सकता है कि न्यायाधीश अक्षम है। यह कहा गया है कि हो सकता है कि न्यायाधीश कई कारणों से बोर्ड के सामने उपस्थित न हो सके। लेकिन यह नहीं कहा गया है कि बोर्ड मान लेगा बल्कि यह कहा गया है कि वह मान सकता है। उसे यह स्वतन्त्रता दी गई है। वह यह निष्कर्ष नहीं भी निकाल सकता। इसलिए केवल संयुक्त समिति के दृष्टिकोण को ही उचित समझा जाना चाहिये। यह बात तो समझ में आती है कि किसी न्यायाधीश को गलत तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिये।

लेकिन यह कहना लोकतांत्रिक नहीं है कि किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही या उपबन्ध नहीं किया जाना चाहिये । यह सही दिशा में एक कदम है और इससे हमारे संविधान की लोकतांत्रिक कार्य-प्रणाली दृढ़ होती है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री झा ने प्रश्न उठाया था कि उस आयोग या जांच समिति में दो न्यायाधीश होने चाहिये ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मौलिक प्रस्ताव यह था कि तीनों न्यायाधीश हों, लेकिन अब केवल दो न्यायाधीश हैं । एक उच्च न्यायालयों की प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा उच्चतम न्यायालय का प्रतिनिधित्व करता है । तीसरा पारंगत विधिवेत्ता है । वहां पर बार कौंसिल के अध्यक्ष के जाने पर कोई रोक नहीं है । अध्यक्ष महोदय किसी पारंगत विधिवेत्ता को चुन सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई,

The Lok-Sabha then adjourned for lunch till Fourteen hours of the clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok-Sabha then Re-assembled after lunch at Fourteen of the Clock.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.* }

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और सबूत की और संसद द्वारा राष्ट्रपति को समावेदन उपस्थापित किये जाने की प्रक्रिया का विनियमन करने तथा तत्संसक्त विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाये ;

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): With regard to my amendment No. 1, I submit that "and the Chief Justice of a High Court" may be substituted by "the Chief Justice of a High Court and the District Judge of any District Court."

At present very few complains are received against a Judge of the Supreme Court of Judgs of a High Court. Complaints are, of course, often heard against District Judges. In fact District Judges are responsible for all the mischiefs.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जिला न्यायाधीश को हटाने के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है । इसके अलावा समुचित जांच के बाद उसे सामान्य रूप से हटाया जा सकता है । इसलिए यह

विधेयक केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक ही सीमित है, जिनके लिए संविधान में कुछ व्यवस्था की गई है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मान लीजिये कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध कोई जांच है। 'पैनल' में उच्चतम न्यायालय के दो अवर न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। क्या यह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध निर्णय देना उनके लिए दुखदायी नहीं होगा क्योंकि वे उन के अधीन हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो सकती क्योंकि हमेशा एक तीसरा व्यक्ति होगा जो पारंगत विधिवेत्ता है और जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है। वह समिति का एक सदस्य होगा। हमें अपनी न्यायपालिका में विश्वास रखना चाहिये, यद्यपि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस तरह की हटाने की प्रक्रिया में ग्रस्त है। मुझे आशा है कि ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं होगी।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : प्रत्येक अपराध की परिभाषा होती है। जब किसी उच्चाधिकारी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया जाता है तो कम से कम अभियोग चलाने वाले और सफाई देने वाले पक्षों के मार्ग दर्शन के लिए दुर्व्यवहार की परिभाषा दी जानी चाहिये। इसलिए भ्रष्टाचार साम्प्रदायिकता तथा विपरीत निर्णय देने सम्बन्धी तीनों पहलुओं को, जिन्हें छोड़ दिया गया है, दुर्व्यवहार की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिये।

श्री नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : यह आवश्यक है कि 'दुर्व्यवहार' और 'अक्षमता' शब्दों की, जिनके कारण किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है, परिभाषा दी जाये। संघीय ढांचे में प्रत्येक राज्य से 100 से कम ही सदस्य होंगे। अन्य सदस्यों को अनौचित्य या दुर्व्यवहार या अक्षमता सम्बन्धी कुछ तथ्यों को समझाने और उन्हें स्वविवेक का समुचित प्रयोग करने का अवसर देने के लिए उन्हें यह जानकारी होनी आवश्यक है कि यह आरोप दैनदिन के दायित्व को निभाने के सम्बन्ध में हैं या अन्य कार्यों के बारे में भी है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह अच्छा ही है कि "दुर्व्यवहार" शब्द की परिभाषा इस विधेयक में शामिल नहीं की गई है। माननीय मंत्री इस विधेयक के कार्यक्षेत्र की ओर ध्यान दें। संविधान के अधीन इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रपति के समकक्ष समावेदन पेश करने के लिए प्रक्रिया को विनियमित करना है। इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य दुर्व्यवहार तथा अक्षमता के सबूत के लिए प्रक्रिया का विनियमन करना है। संविधान के निर्माताओं ने इस शब्द का प्रयोग किया है। यदि हम अपनी परिभाषा से इस शब्द की व्याख्या करने का प्रयत्न करें तो हम सम्भवतः उस परिभाषा द्वारा उस शब्द के अर्थ को सीमित कर सकते हैं। उसकी परिभाषा करके हम संविधान के दायरे से बाहर चले जायेंगे। इसलिए 'दुर्व्यवहार' शब्द की परिभाषा का शामिल न किया जाना उचित ही है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 और 36 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments No. 1 and 36 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3

Clause 3

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 2 तथा 3 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री क० कृ० नायर : मैं अपने संशोधन संख्या 4, 5 तथा 6 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विभूति मिश्र : मैं अपने संशोधन संख्या 7 तथा 8 प्रस्तुत करता हूं।

श्री क० कृ० नायर : मैं अपने संशोधन संख्या 9 तथा 10 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री विभूति मिश्र : मैं अपने संशोधन संख्या 11, 12, 13, 14 तथा 15 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री क० कृ० नायर : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपने संशोधन संख्या 37, 38 तथा 39 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विक्रमचन्द महाजन : मैं अपना संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बृज भूषण लाल : मैं अपना संशोधन संख्या 41 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विक्रम चन्द महाजन : मैं अपना संशोधन संख्या 42 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बृज भूषण लाल : मैं अपने संशोधन संख्या 43 तथा 44 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विक्रम चन्द महाजन : मै अपने संशोधन संख्या 45 तथा 46 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी संशोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

Shri Bibhuti Mishra : In the present complexion of the composition of our legislature, where the opposition parties consist of small groups, It will be difficult to get 100 members from Lok-Sabha and 50 from Rajya-Sabha to give notice of such a motion in case of complaint against a Judge. Therefore, this number should be reduced to 25 for the Lok-Sabha and 12 for the Rajya-Sabha.

The inquiry committee should consist of 5 persons instead of three, the other two being Parliament Members, one from each House.

No period has been provided in the Bill within which the inquiry committee should submit its report. A period of two months should be laid down for the purpose.

श्री क० कृ० नायर : लोक-सभा में अध्यक्ष सभा की ओर से बोलता है। हमें नियमों में या अन्यत्र भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसमें अध्यक्ष सभा की इच्छा को ठुकरा सकता है। इस मामले में एक सौ सदस्य न्यायाधीश के आचरण की जांच की मांग कर सकते हैं और अध्यक्ष बिना कारण बताये ही इस मांग को अस्वीकार कर सकता है। अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये कि वह सभा को एक सौ सदस्य की, जो लोकतन्त्र में 10 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इच्छा की उपेक्षा करे। यदि हम अध्यक्ष को यह अधिकार देते है तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें किसी न्यायाधीश को हटाने के बारे में दोनों सभाओं के आधे सदस्यों का समर्थन प्राप्त होने पर भी सभापति या अध्यक्ष आरम्भ में ही कार्यवाही को सामप्त कर सकता है। हमें कम से कम यह उपबन्ध करना चाहिये कि यदि इस तरह के प्रस्ताव पर सभा के कम से कम आधे सदस्यों के हस्ताक्षर हो जायें तो अध्यक्ष ऐसे प्रस्ताव को लेने से इन्कार नहीं करेगा।

अध्यक्ष द्वारा समिति की नियुक्ति करने के बारे में सम्बन्धित सभा की स्वीकृति ली जानी चाहिये। समिति के सदस्यों के नाम निर्देशन के बाद सभा को इस बात पर विचार करने का अवसर दिया जाना चाहिये कि समिति का समुचित ढंग से गठन किया गया है या नहीं।

संविधान के अनुच्छेद 124 का सम्बन्ध जांच और प्रमाण से है। कानून में जांच का अर्थ साक्ष्य एकत्र करना होता है। यह अभियुक्त की अनुपस्थिति में किया जाता है और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता। यह कार्य आम तौर पर पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस मामले में समिति, जांच समिति का कार्य करेगी। न्यायाधीश की सुनवाई का उपवन्ध है, लेकिन जांच की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। इस विधेयक में यह बहुत बड़ी त्रुटि रह गई है। समिति साक्ष्य एकत्र करने के लिए विभिन्न पक्षों के पास नहीं जा सकती है। इसलिए साक्ष्य एकत्र करने के लिये, जो समिति के सामने रखा जायेगा। जांच करने वालों की नियुक्ति का उपबन्ध किया जाना चाहिये।

श्री लोबो प्रभु : अध्यक्ष को सभा के 100 सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध स्वयं ही निर्णय करने की शक्ति नहीं दी जानी चाहिये। अविश्वास प्रस्ताव तथा अन्य प्रस्तावों के मामले में भी अध्यक्ष सभा की राय की उपेक्षा नहीं करता। इस उपबन्ध की शब्दावली ऐसी होनी चाहिये कि प्रस्ताव को गृहीत करने या न करने की बात अध्यक्ष पर ही छोड़ दी जानी चाहिये।

जहां तक जांच समिति के गठन का सम्बन्ध है, यह असंगत और विधि के सिद्धान्त के विरुद्ध है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के विरुद्ध मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश करे। खण्ड 2 (ख) को समाप्त करके यह

आपत्ति दूर की जा सकती है। न्यायिक प्राधिकार की व्यवस्था ही पर्याप्त है। दूसरा प्राधिकार मेडिकल प्राधिकार होना चाहिये।

यह उपबन्ध किया गया है कि मामला पेश करने के लिए अध्यक्ष वकील नियुक्त कर सकता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि खास कर मानसिक दृष्टि से अक्षम होने पर न्यायाधीश की ओर से पैरवी करने के लिए भी वकील नियुक्त करने का उपबन्ध होना चाहिये।

श्री विक्रम चन्द महाजन : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्ययाधीशों को बड़े महत्वपूर्ण निर्णय करने होते हैं। उनको पद से हटाने के लिए व्यवस्था करते हुए हमें सावधानी बरतनी होगी। यदि इस सभा के एक सौ सदस्य यह महसूस करते हैं कि किसी न्यायाधीश का निर्णय दोषपूर्ण है तो वे प्रस्ताव रख सकते हैं। अन्त में समिति यह निर्णय कर सकती है कि न्यायाधीश का निर्णय दोषपूर्ण नहीं है और उसमें दुर्व्यवहार जैसी कोई बात नहीं है और इस प्रकार प्रस्ताव को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जब एक बार एक सौ सदस्यों द्वारा कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उस व्यक्ति को क्षति पहुँचती है जिसमें हमारा बहुत ज्यादा विश्वास है। इसलिए यह अधिक अच्छा होगा कि इस सम्बन्ध में सौ सदस्यों की बजाय सभा के दो तिहाई सदस्यों को रखा जाये। ऐसी स्थिति में गलती होने की संभावना कम रहेगी।

यह आवश्यक नहीं है कि कोई अच्छा विधिवेत्ता एक योग्य न्यायाधीश हो। यह सभी जानते हैं कि कोई बहुत योग्य वकील हमेशा ही अच्छा न्यायाधीश नहीं होता। इसलिए एक विधिवेत्ता की अपेक्षा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों को शामिल करने का उपबन्ध होना चाहिये। यदि ये न्यायाधीश सम्पूर्ण देश के मामलों पर निर्णय दे सकते हैं तो ये ऐसे मामलों पर भी निर्णय दे सकते है जिनका सम्बन्ध उन्हीं से है।

Shri Brij Bhushan Lal (Bareilly) : Provision has been made in clause 3 of the Bill that notice of a motion for presenting an address to the President praying for the removal of the Judges can be given after obtaining signatures of not less than one hundred members of Lok-Sabha, in case a notice is given in that House and in the case of a notice given in the Rajya-Sabha, it should be signed by not less than fifty members of that House. This number is very large and it should be changed to 50 and 25 respectively.

As regards the Committee which would be constituted for making an investigation into the grounds on which the removal of a judge is prayed for, it will consist of members of whom one shall be from among the Chief Justices of the High Courts. This should be amended so as to provide that the Committee will consist of members one of whom shall be a representative of the Supreme Court Bar Association and one will be a representative of a High Court.

न्यायाधीश को हटाने के लिये राष्ट्रपति के समक्ष पेश किये जाने वाले समावेदन पर जितने सदस्यों को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है उसके सम्बन्ध में दो तरह के विचार व्यक्त किये गये हैं। एक विचार यह है कि यह संख्या बढ़ाई जानी चाहिये और दूसरा विचार यह है कि यह संख्या कम की जानी चाहिये। यह भी कहा गया है कि प्रस्ताव को स्वीकार करने से इन्कार करने का जो अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है वह नहीं होना चाहिये। एक

बार प्रस्ताव पेश किये जाने पर उसे स्वीकार किया जाना चाहिये । शायद इस मामले में सारी सांवैधानिक योजना पर विचार नहीं किया गया है । अनुच्छेद 121 और 124 में संविधान का यह आशय है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जानी चाहिये, किन्तु उस परिस्थिति को छोड़कर जबकि राष्ट्रपति को एक समावेदन प्रस्तुत करना हो । इसलिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने के लिये प्रस्ताव अच्छी तरह सोच विचार कर पेश किया जाना चाहिये । यह संविधान की भावना है ।

'जांच' शब्द के बारे में कुछ कहा गया है । संविधान में प्रयुक्त 'जांच' शब्द का अर्थ वही नहीं है जिस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया गया है । यहां 'जांच' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड 3 के सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the amendments to Clause 3 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खंड 4

Clause 4

श्री क० कृ० नायर : मैं अपने संशोधन संख्या 17 और 18 प्रस्तुत करता हूं ।

खण्ड 4 में 'छानबीन' शब्द के स्थान पर 'जांच' शब्द रखा जाना चाहिये । संविधान में 'छानबीन तथा प्रमाण' शब्दों का प्रयोग किया गया है । इस सम्बन्ध में दो भिन्न अवस्थायें हैं । पहली अवस्था प्रमाण एकत्र करने की है और इसके लिए विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं है । दूसरी अवस्था प्रमाण की है जिसके लिए समिति नियुक्त की गई है । इसलिये 'छानबीन' शब्द का प्रयोग ठीक नहीं हुआ है और इसके स्थान पर 'जांच' शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिये ।

खण्ड 3 (4) में "उन कारणों के विवरण के साथ-साथ जिन के आधार पर ऐसे आरोप लगाये हैं इस प्रकार के आरोप" शब्दों के बाद "और ऐसे विवरणों और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि जिनका साक्ष्य में प्रयोग किया जा सकता है" शब्द छोड़ दिये जाने चाहियें ।

किसी न्यायाधीश को केवल इतना ही कह देने से कि वह दुर्व्यवहार का दोषी है। उस न्यायाधीश को पर्याप्त समय नहीं मिलता है। यह सार्वजनिक सेवा के सम्बन्ध में संविधान लागू करने और उसका पालन कराने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा। यह सच है कि जो सुविधायें न्यायाधीश को अपनी सफाई पेश करने के लिए दी जा सकती है उनके सम्बन्ध में नियम खण्ड 7(घ) के अधीन बाद में बनाये जायेंगे परन्तु यह उसके अन्तर्गत नहीं होगा क्योंकि इसका स्वरूप मूलभूत है। ये नियम बाद की व्यवस्था के बारे में हैं जब समिति कार्य करना और साक्ष्य लेना शुरू करती है। इसलिए इसमें संशोधन किया जाना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : संविधान में 'छानबीन' शब्द का प्रयोग ठीक ही किया गया है। विधेयक में भी उसी शब्द का प्रयोग उचित है। इस मामले पर संभवतः कानून बनाने की अवस्था पर विचार किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 17 और 18 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 17 and 18 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to Bill

खण्ड 5

Clause 5

श्री क० कृ० नायर : मैं अपना संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 19 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 19 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खन्ड 5 विधेयक का अंक बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ा गया
Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 6
Clause 6

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं अपने संशोधन संख्या 31, 32 तथा 33 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं अपने संशोधन संख्या 34 तथा 35 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बृज भूषण लाल : मैं अपने संशोधन संख्या 47, 48 तथा 49 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य फिर किसी दूसरे अवसर पर अपना भाषण शुरू करें । हम अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू करते हैं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

35वां प्रतिवेदन
Thirty Fifth Report

श्री भालजीभाई रावजी भाई परमार (दोहद) : मैं निम्न प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 35वें प्रतिवेदन से, जो 13 अगस्त, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

ग्राम आवास-विकास सम्बन्धी संकल्प-जारी
RESOLUTION RE: RURAL-HOUSING DEVELOPMENT-Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा अब श्री सुरेन्द्र कुमार तापड़िया के ग्राम-आवास सम्बन्धी संकल्प पर आगे विचार करेगी । इस पर चर्चा करने के लिए आधे घंटे का समय है ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है । इसके लिये समय बढ़ाना चाहिये (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पन्द्रह मिनट और दिये जा सकते हैं । दूसरा संकल्प भी है ।

श्री धीरेश्वर कलिता : (गोहाटी) : ग्राम-आवास-विकास पर चर्चा उठाने के लिये श्री तापड़िया को बधाई देता हूँ (**व्यवधान**)

[**श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए**
Shri Thirumala Rao *in the Chair*]

श्री धीरेश्वर कलिता : भारत के गाँवों में मकानों के बारे में क्या किया जा रहा है ? गाँवों से लोग दिल्ली में आ रहे हैं और अपने आवास झुग्गी के रूप में बनाते हैं तथा सरकार उन्हें अनधिकृत व्यक्ति के रूप में वहाँ से निकाल रही हैं।

आसाम के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की दशा अत्यन्त शोचनीय है। मुझे मालूम नहीं कि सरकार ने आसाम राज्य के लिये कितना धन निर्धारित किया है। लोग जंगलों से घास फूस लाकर अपने मकान बनाते हैं। उन्हें जी० आई० चद्दरें भी प्राप्त नहीं होती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कम कीमत पर जी० आई० चद्दरें या एसबेस्टस चद्दरें देने के लिये कोई योजना बनाई है ? इन चद्दरों की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। सरकार ने इन चद्दरों से नियंत्रण उठा दिया है। अब मध्यम वर्गीय लोग भी मकान बनाने में असमर्थ हैं क्योंकि मकान बनाने की लागत बहुत बढ़ गई है।

ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रत्येक राज्य को कुछ धन देना चाहिये। गाँवों के लोगों को यह धन ग्राम पंचायतों के जरिये कम ब्याज की दरों और सरल शर्तों पर ऋण के रूप में दिया जा सकता है।

गाँवों में दो वर्ग के लोग हैं। एक तो खेतिहर मजदूर हैं। इनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती है। इन्हें सरकार से कोई ऋण नहीं मिलता है क्योंकि प्रतिभूति के लिए इनके पास कोई जमीन आदि नहीं है। इसलिये सरकार को यह देखना चाहीये कि खेतिहर मजदूर यह धन बिना किसी प्रतिभूति के प्राप्त करें।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार को ग्रामीण आवास योजना का कार्य शुरू करना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : प्रारम्भ से ही सामान्य ग्राम विकास और विशेषरूप से ग्रामीण आवास-विकास परियोजनाओं पर जोर दिया गया है। परन्तु दुर्भाग्यवश केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने इस समस्या पर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना कि देना चाहिये था।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने ग्रामीण आवास कार्यक्रम के लिये बहुत थोड़ा धन निर्धारित किया है, जबकि गाँवों में शुरू की गई दूसरी परियोजनाओं के लिये अधिक धन दिया गया है।

गाँवों में आवास समस्या अधिक तीव्र बन गई है। वर्तमान प्रकार के ग्रामीण मकानों में सुधार किये जाने के लिये कुछ परियोजनायें चालू की जानी चाहिये। इस अभिप्राय से अधिक धन निर्धारित किया जाना चाहिये तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा इस समस्या की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये, इन शब्दों से मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

Shri S.M. Joshi (Poona) : Mr.Speaker, The housing problem in rural areas is a serious problem . We have not paid adequate attention to this problem .

We want to bring about social transformation in our country but we do not think of proper means whereby it can be achieved . We want to bring about complete equality in our society and to do away with untouchability But our basties in rural areas are still on the caste-basis . Such basties should be constructed in the rural areas where people of all categories low or high live together

The educated people do not like to live in rural areas because there are no proper housing facilities . We must provide proper housing facilities in the rural India. I strongly support this resolution .

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : No progress has been made in regard to housing problem in rural areas of the country. The condition of agricultural labourers is very pitiable. There has been no increase in their income inspite of the increase in national income. Their daily wages are hardly sufficient for even subsistence . They cannot build houses for themselves . Government should undertake housing programmes for these people. For this purpose money can be realised from the rich people .

The progress in regard to rural housing is very slow . 2,58,000 houses were to be constructed during the Third Plan but so far only 25,188 houses have been built . Government should pay more attention to this work .

Villages are the backbone of our economy, so it is all the more necessary .

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : प्रत्येक राज्य के सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी राज्यों के सदस्यों को बोलने का अवसर देने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ । मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वह अपना भाषण 5 मिनट में समाप्त करें ।

Shri Onker lal Berwa (Kota) : I support this resolution . It is unfortunate that Government have laid so much emphosis on family planning but did not take rural housing programmes . The houses built so far are not being well maintained . Most of the houses built in Chittorgarh and Bhilwara in Rajasthan have already collapsed

Although the central Government gave Rs. 5 cores to the Rajasthan Government, they are not being spent properly . The scheduled caste people are given only a meagre amount for constructing houses, and that also in instalments . It would be much better if the revenue accruing from the rural areas is spent for the development works in those areas specially for the construction of houses .

Shri K. N. Tiwary(Bettiah) : I welcome this resolution . It would provide employment to a large number of people .

I would also like to request that at present most of the LIC funds are spent in urban areas though the major part of their income is from the people of rural areas. The rural people should also be given loans from the L. I. C. funds for housing purposes.

The condition of houses in rural areas is not good. The result is that they are ridden with various diseases. Proper housing facilities had to be provided there. Funds for this purpose can be had by imposing tax on the rich people.

I would like to request that this resolution should be adopted.

श्री कन्डप्पन (मेट्टूर) : पिछले 20 वर्षों में सरकार द्वारा गांवों के लिये कुछ नहीं किया गया है। बुनियादी जरूरतों पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। प्राक्कलन समिति ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि ग्रामीण आवास का मूलभूत दृष्टिकोण भी गलत हैं। सरकार ने कुछ आंकड़े दिये हैं जिनके बारे में भी प्राक्कलन समिति ने कुछ तीखी टिप्पणी की हैं।

दूसरी और तीसरी योजनाओं के लिये जो धन दिया गया था उसका भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया। हम अक्सर कहते हैं कि हमारी 83 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और हमारी सारी ताकत गांवों की शक्ति पर निर्भर है, परन्तु गांवों में रहने वाले लोगों की दशा में सुधार करने के लिये कुछ नहीं किया जाता है।

समस्त भारत में हरिजनों की सैकड़ों बस्तियां और झोंपड़ियां हैं, जहां उनके पास आवास के लिये जगह नहीं है। कम से कम सरकार को अब कुछ करना चाहिये। सरकार ने चौथी योजना या वार्षिक योजना में ग्रामीण आवास के लिये काफी धनराशि निर्धारित नहीं की है। केन्द्रीय सरकार इस समस्या को सुलझाने में राज्य सरकारों का मार्ग दर्शन करने में भी असफल रही है।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat): 82 per cent population of our country lives in villages but the Government are doing nothing for them. The Government are making efforts for the development of cities only. 82 per cent of our National income should be allocated for the development of rural areas. A committee of the Planning Commission or a Committee of the Parliament Members should be constituted with a view to chalk out the programme for the development of villages.

There should not be any construction of houses roads and bridges etc. in the urban areas till the development of rural ares is brought to the level of the development of cities.

श्री नायनार (पालघाट) : 20 वर्षों के बाद भी हमने आवास समस्या को लेशमात्र भी हल नहीं किया है। केरल में ग्रामीण आवास समस्या अधिक गम्भीर है। राज्य सरकार ने कुछ समय पहले बेदखली पर रोक लगाने के लिये एक अध्यादेश प्रख्यापित किया था। इसके फलस्वरुप आदिम जातियों, पिछड़े वर्गों तथा कम आय वाले वर्गों के लोगों को मालिकों, जमींदारों या साहूकारों द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। बस्ती प्रणाली में विकास किया गया है। हरिजनों को बसाया गया है तथा सरकार ने सहायता दी है। राज्य सरकार द्वारा यह समस्या हल नहीं की जा सकती है।

केन्द्रीय सरकार को ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामों में मकान बनाने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता देनी चाहिये।

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : मैं इस संकल्प का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं । पिछले 20 वर्षों में हमारे गांवों के निर्धन वर्गों की आवास समस्या हल करने के लिये कुछ नहीं किया गया है ।

इस देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की कुल आबादी 10 करोड़ है । इनकी आवास की स्थिति अत्यंत भयंकर है । उनका अपना निजी कोई स्थल नहीं है । इस संबंध में सरकार ने कुछ नहीं किया । अनेक भूमि-हीन कृषक झोपड़ियों में रहते हैं । उन्हे उचित मकान नहीं दिये जाते हैं ।

तटीय मैसूर में रहने वाले 90 प्रतिशत मछुओं का अपना कोई मकान नहीं है । वे जमींदारों की जमीनों पर बने छोटे मकानों में रहते हैं । उनकी उपेक्षा की जाती है । केरल में भी यही स्थिति है । सरकार गांवों की आवास समस्या पर ध्यान न देकर शहरों की ओर झुक रही है ।

ग्रामीण आवास के लिये काफी धन की व्यवस्था की जानी चाहिये नहीं तो यह समस्या कभी हल होने को नहीं हैं ।

Shri Himatsingka (Godda) : I support this measure. There is a great need for construction of houses in villages. This programme would provide employment to a large number of people. Enough material for construction of houses is also there. If the Government give help, he housing problem in villages can be easily solved. Life Insurance Corporation should provide loans for constructing the houses in rural areas or the Government should set up another institution to cater to that need.

A suitable provision should also be made in the Fourth Plan in this regard.

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं इस संकल्प के प्रस्तावक को धन्यवाद देता हूं । ग्रामीण आवास विकास की आवश्यकता के बारे में सभी सहमत हैं । कठिनाई केवल संसाधनों की है । हमारे संसाधन सीमित हैं, परन्तु प्रत्येक क्षेत्र में इसकी मांग अत्यधिक हैं । इन संसाधनों के आवंटन के लिये प्राथमिकतायें निर्धारित करनी पड़ती हैं । अभी हमारे देश में खाद्य की कमी है इसलिये कृषि, सिंचाई, बिजली और उद्योग को उच्चतर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इससे शीघ्र ही लाभ प्राप्त होता है । आवास को एक कल्याणकारी योजना समझा जाता है इसलिये इसे निचली प्राथमिकता दी जाती है । हमने प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री से विचार विमर्श किया है । सभी ने कृषि, सिंचाई, उद्योग और बिजली को प्राथमिकता देने का समर्थन किया हैं और आवास को निचली प्राथमिकता दी है ।

आवास योजना के लिये जो धनराशि दी गई थी राज्य सरकारों ने उसका उपयोग भी नहीं किया है और उसे अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर खर्च किया गया है । मुख्य मंत्रियों को इस बारे में बता दिया गया है कि यदि आवास के लिये निर्धारित राशि आवास पर पूर्ण रूप से खर्च न की गई तो केन्द्र आवास के लिये आवंटन करना बन्द कर देगा ।

हमारे पास औद्योगिक विकास योजना भी है जिसे सरकार 75 प्रतिशत-50 प्रतिशत ऋण के रूप में और 25 प्रतिशत राज सहायता के रूप में देती है । उद्योगपति 25 प्रतिशत धनराशि खर्च करते हैं । परन्तु प्रगति बहुत कम हुई है ।

मैं गैर सरकारी क्षेत्र से अपील करता हूं कि वे मकान बनाने के सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर काम करें। वे किराये पर या किराया-पद्धति के आधार पर मकान दे सकते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं। केन्द्रीय या राज्य-सरकारें जिनके संसाधन कम है और जिन्हें अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना पड़ता है, ऐसा नही कर सकतीं। अनुसूचित जाति और जन जातियों के लिये समाज कल्याण विभाग कार्य कर रहा है।

एक केन्द्रीय आवास निगम बनाये जाने का सुझाव दिया गया है इसके बनाने का क्या लाभ है यदि यह संसाधन नही जुटा सकता ? हमने प्रत्येक राज्य को आवास बोर्ड बनाने का परामर्श दिया है। लगभग सभी राज्य सरकारों ने आवास बोर्ड बनाये है जो स्वायत्त शासी निकाय है। मैसूर राज्य आवास बोर्ड द्वारा 2 करोड़ रुपये के ऋण पत्र जारी किये गये हैं। यह एक पर्यायर्ती कोष होगा जिससे वे भूमि खरीद सकते हैं और इसका विकास कर सकते हैं। मकान बना सकते हैं तथा उन्हें बेच सकते हैं या किराया खरीद के आधार पर दे सकते हैं। इस प्रकार राज्य सरकारें या राज्य आवास बोर्ड आवास के क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर सहायता कर सकते हैं।

इस बार योजना आयोग द्वारा भी राज्य सरकारों को लाटरियां चलाने की संभावना की छानबीन करने या धन जुटाने के लिये परामर्श दिया गया है। राज्य आवास बोर्डों के लिये ये ही मार्गोपाय है। केन्द्रीय सरकार ऐसा नहीं कर सकती।

इंगलैंड, अमरीका और सिंगापुर में आवास प्रणाली में जो विकास हुआ है उसका उल्लेख किया गया है। हम इन देशों की परिस्थितियों की अपने देश की परिस्थितियों से तुलना नहीं कर सकते। हमारे बैंक केवल अल्पकालीन ऋण देते है। वे दीर्घकालीन ऋण नहीं देते है। जहां तक सिंगापुर का सम्बन्ध है यह एक छोटा देश है। वहां पर अमरीकी पूंजी से सारे चमत्कार हो रहे है। हमें अपने देश की तुलना सिंगापुर से नहीं करनी चाहिये क्योंकि हमारे देश की स्थिति सिंगापुर से भिन्न है।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों को भूमि देने के लिये एक योजना बनाई गई है जिसका पूरा खर्च केन्द्रीय सरकार उठाती है। फिर भी किसी राज्य सरकार द्वारा इस योजना से लाभ नहीं उठाया जा रहा है। हम चौथी योजना में आवास स्थलों की व्यवस्था करने के लिये कुछ धन की व्यस्था कर रहे हैं। इस प्रयोजन के लिये एक योजना बनाने का तथा धनराशि निर्धारित करने का हमारा विचार है। राज्य सरकारों को ग्रामीण आवास को कुछ प्राथमिकता देने के लिये राजी करना होगा जिससे कुछ मकान बनाये जा सकें। केन्द्रीय सरकार इस बारे में पूरा पूरा प्रयास करेगी।

आवास की समस्या पर सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के संदर्भ में विचार करना होगा। केन्द्रीय सरकार आवास के लिये अधिक धन नहीं दे सकती। हमें अन्य समस्याओं पर भी विचार करना है। हम योजना में जो थोड़े बहुत धन की व्यवस्था करें उसका पूरा पूरा उपयोग किया जाये। राज्यों में बचतों को बटोरना तथा उन्हें ठीक दिशा में लगाना, राज्य सरकारों तथा राज्य आवास बोर्डों का काम है ताकि अधिक से अधिक मकान बनाये जा सकें।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : जब केवल 3 प्रतिशत ग्रामीण जनता के पास पक्के मकान है तो हमें यह तय करना होगा कि हमारा क्या कर्तव्य है । हमें यह निश्चिय करना है कि हम अपने सीमित संसाधनों को सरकारी कारखानों तथा संयंत्रों पर बराबर खर्च करते रहें ।

आवास कार्यक्रम को प्राथमिकता देने के लिये यह अच्छा होगा कि इसे समवर्ती सूची में रक्खा जाये । बैंकिंग कानून में भी संशोधन किया जाना चाहिये ताकि बैंक आवास कार्यक्रम के लिये ऋण दे सकें । रिजर्व बैंक को भी इस संबंध में उदार होना चाहिये । एक ऐसा कानून भी बनाया जाना चाहिये जिससे बीमा कम्पनियां ऋणों के लिये गारन्टी दे सकें ।

श्री जगन्नाथ राव : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस संकल्प को वापस लें ।

श्री सु० कु० तापड़िया : किस आधार पर ? इस संकल्प का किसी सदस्य ने भी विरोध नहीं किया है । यह कैसा मिथ्याचार है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है 'यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि योजनाओं में ग्रामीण आवास विकास को प्राथमिकता दी जाय ।'

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabba Divided :

पक्ष में 55	**विपक्ष में 69**
Ayes 55;	**Noes 69.**

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

The Motion was negatived

चैकोस्लोवाकिया में आन्दोलन के बारे में संकल्प

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:—

"यह सभा चैकोस्लोवाकिया की वीर जनता की सराहना करती है कि उसने अपने देश के राजनीतिक जीवन को उदार तथा प्रजातन्त्रीय बनाने का प्रयास किया है, किसी देश के आन्तरिक मामलों में उलझने और हस्तक्षेप न करने की नीति में अपने विश्वास की पुनरुक्ति करती है और स्वतन्त्रता प्रेमी सभी देशों तथा लोगों से अपील करती है कि वे चैकोस्लोवाकिया के आन्दोलन को समर्थन तथा सहानुभूति दें ।"

सभा के नेता इस संकल्प को काफी समय पहले पेश करते तो बहुत अच्छा होता ।

वास्तव में यह दुर्भाग्य की बात है कि जब चैकोस्लोवाकिया में एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, हम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है । एक समय था जब यह देश दुनिया में कहीं पर कभी भी स्वतन्त्रता आंदोलन होने पर अपनी सहानुभूति व्यक्त करता था और उन देशों को अपनी

टुकड़ियां भेजता था। यह दुःखद होगा यदि हम सैद्धान्तिक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों को, जो अब चैकोस्लोवाकिया में व्यवहारिक रूप ले रहे हैं, मान्यता न दें। क्या यह महान् राष्ट्र तथा देश इतना पंगु हो गया है कि इस तरह की स्थिति में हम केवल खामोश तमाशबीन बने रहें ? क्या हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि हम ऐसे आंदोलन के सम्बन्ध में जिससे कि दुनियां के लोगों की स्वतन्त्रता बढ़ती है। निष्पक्ष रूप से अपनी राय भी नहीं व्यक्त कर सकते ?

ब्रातिसलावा सम्मेलन में भाग लेने वाले साम्यवादी देशों ने पहली बार स्वीकार किया है कि एक देश अपने निजी ढंग के समाजवाद का विकास कर सकता है। दूसरे, उन्होंने कहा कि वे एक-दूसरे की प्रभुसत्ता तथा क्षेत्रीय अखण्डता का सम्मान तथा संरक्षण करेंगे। साम्यवादी गुट में यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

ब्रातिसलावा सम्मेलन के बाद दल के संविधान के मसौदे से यह स्पष्ट हो जाता है कि चैकोस्लोवाकिया की जनता का क्या इरादा है और वह किस प्रकार लोकतांत्रिक कार्यों पर आधारित एक नये साम्यवादी दल का निर्माण करना चाहती है। वे दल के कार्यों में गुप्त मतदान भी चाहते हैं। अल्पसंख्यकों के विचारों पर उचित ध्यान देना चाहते हैं और समाचारपत्रों को स्वतन्त्रता देना चाहते हैं। मसौदे में किसी एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति केन्द्रित होने को रोकने की बात कही गई है। इससे संकेत मिलता है कि चैकोस्लोवाकिया में जो आंदोलन चल रहा है वह वास्तव में लोकतन्त्र तथा स्वाधीनता के लिए और सभी नागरिकों को आवाध रूप से अपनी इच्छा व्यक्त करने का अवसर देने के लिए एक आंदोलन है।

यद्यपि रूस ने ब्रातिसलावा सम्मेलन में हस्ताक्षर किये गये, फिर भी वह चैकोस्लोवाकिया में चल रहे उदारीकरण आंदोलन को पसन्द नहीं करता और सोचता है कि यह समाजवादी देशों के लिए एक खतरा है। यह सही है कि रूस ने अपनी सेनाओं को नहीं भेजा जैसा कि उसने हंगरी के मामले में किया था। फिर भी यह सही है कि सैनिक बल नियुक्त किये गये हैं। रूस ने हस्तक्षेप नहीं किया है, क्योंकि अब समय बदल गया है। फिर चैकोस्लोवाकिया हंगरी या पूर्व जर्मनी नहीं है चैकोस्लोवाकिया की सेना मजबूत है और अच्छी तरह प्रशिक्षित है और वह रूस के लड़ाई के तरीकों को जानती है। पहले उन्हें कई तरीकों से डराने. धमकाने की कार्यवाही की गई थी लेकिन चैकोस्लोवाकिया के नेता जनता के ठोस समर्थन से अडिग रहे। इसलिए यह चाल सफल न हुई।

अनेक बार यह सिद्ध हो चुका है कि स्वाधीनता के लिए आदेश तथा स्वतन्त्रता की आकांक्षा पर निरंकुश शासन तथा विचारों पर नियन्त्रण करने के तरीकों से काफी देर तक नहीं रोका जा सकता। वास्तव में आधुनिक वैज्ञानिक युग, जिसमें रेडियो, टेलीविजन तथा जन संचार के अन्य साधन अपलब्ध हैं, तानाशाहों के हाथों में खिलौना सिद्ध होने के बजाय रूढ़िवाद तथा विचार नियन्त्रण या विचार-परिवर्तन के सभी प्रयासों को खत्म करने के संकेत देता है।

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

चैंकोस्लोवाकिया के आन्दोलन को रोकने के सम्बन्ध में रूस का प्रयास अवश्य असफल होगा। चैकोस्लोवाकिया ने ऐसा मार्ग अपनाया है जो साम्यवादी सरकारों द्वारा अनेक स्थानों पर स्थापित की गई पद्धतियों के अनुरूप नहीं है। लोकतन्त्र और एक दलीयतन्त्र के बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो एक दलीय तन्त्र है जिसका उदाहरण हिटलर, स्टालिन तथा माओ त्से-तुंग ने प्रस्तुत किया था या पूर्ण स्वतन्त्रता, व्यक्ति की गरिमा तथा अबाध लोकतंत्र का मार्ग है। इस समय साम्यवादी देशों के सामने यही दुविधा है। इटली, फ्रांस, इग्लैंण्ड, स्विट्जरलैंण्ड, फिनलैंण्ड, आस्ट्रिया, नारवे, डैनमार्क, बैलजियम तथा स्वीडन के साम्यवादी दलों को भी चैकोस्लोवाकिया की नीति तथा नेताओं से सहानुभूति है। इस संकल्प का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण घटना की ओर समूचे देश तथा जनता का ध्यान आकर्षित करना है और सभा को वह संकल्प स्वीकार करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री शिंकरे अपना संशोधन पेश करेंगे ?

Shri Shinkre (Panjim) : Sir, I beg to move that in the resolution, "and appeals to all freedom loving countries and people to extend their support and sympathy to the movement in Czechaslovakia" words moy be omitted.

The resolution before the House cannot be fully supported because the resolution as drafted is against the objectives of our foreign policy. we can support the movement that is going on in Czechoslovakia but we should not ask the other countries to support this movement. Before doing so, we will have to see as to where do we stand in the world. The undeveloped countries which depend upon others for their defence and civil needs cannot have any influence on other countries nor can they ask them to support something, whether it is Czechaslovakia movement or any other movement. Hence, we have to see that our suggestions are both practicable and practical.

श्री बी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : यह संकल्प पेश करने के लिए मैं श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी को बधाई देता हूं। इस संकल्प के संशोधन को रद्द कर दिया जाना चाहिये क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है।

कामरेड डुवचेक ने चैकोस्लोवाकिया की जनता को एक नवीन प्रकार का नेतृत्व प्रदान किया है और देश को स्टालिनवाद के शिकंजे से मुक्त किया है। उसने लोगों को स्वतन्त्रता-पूर्वक रहने, सोचने और अनुभव करने की आशा प्रदान की है और इस लोकतन्त्रीय ढांचे के अन्दर वे जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं। श्री डुवचेक की सरकार ने देश के राजनीतिक जीवन को लोकतन्त्रीय बना दिया है और गुप्त मतदान आरम्भ किया है जो लोकतन्त्र का सार है। लोग श्री डुवचेक की नीति के समर्थन में हस्ताक्षर प्राप्त कर रहे हैं। यह भी किसी नीति को स्वीकार करने का एक लोकतन्त्रीय तरीका है। दूसरे साम्यवादी देशों में यह सम्भव नहीं हो सकता था और इसलिए हम अनुभव करते हैं कि वहां उदारीकरण हो गया है।

इसके बाद ब्रातिसलावा सम्मेलन में कुछ अच्छा कार्य किया गया है जिसके बिना चैकोस्लोवाकिया कुछ नहीं कर सकता था। चैकोस्लोवाकिया की जनता अपने स्वातन्त्र्य प्रेम पर दृढ़ है।

हमें यह मालूम नहीं है कि सोवियत संघ द्वारा प्रयोग में लायी गई आर्थिक और सैनिक शक्ति कहां तक पहुँची परन्तु हम यह समझते हैं कि वहां एक प्रकार का उदारीकरण हुआ है । रूस और चैकोस्लोवाकिया दोनों देशों के लोगों में परस्पर समझौता हो गया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : यह एक विषैला संकल्प है, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया की वीर जनता की सराहना करने के बहाने वास्तव में इसका उद्देश्य यह है कि समाजवादी देशों ने एक ऐसी स्थिति लाने का प्रयत्न किया है कि जिसमें संसार के विभिन्न भागों में समाजवादी शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए दुनिया के प्रतिक्रियावादियों का षडयंत्र, सफल हो जाये ।

चैकोस्लोवाकिया की परिस्थितियों में एक ऐसे परिवर्तन की मांग है जो अधिक और पूर्ण लोकतंत्र की दिशा में हो । निस्संदेह हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जब कोई समाजवादी पद्धति कायम की जाती है और उसका आज के तत्वों द्वारा विरोध किया जाता है, तब कुछ दिशाओं में स्वाधीनता को सीमित करना पड़ता है । चैकोस्लोवाकिया में, चैकोस्लोवाकिया के साम्यवादी दल के नेताओं को जो समस्या हल करनी है वह यह है कि समाजवादी पुनर्निर्माण और प्रगति की आवश्यकताओं और व्यक्ति-स्वातंत्र्य के अधिक अवसर की आवश्यकताओं के बीच किस प्रकार संश्लेषण किया जाये । यही कारण है कि न केवल चेकोस्लोवाकिया में बल्कि सोवियत सघ सहित समाजवादी प्रणाली के विभिन्न देशों में एक नवीन प्रयोग हो रहा है । परन्तु कठिनाई तब पैदा हुई है जब यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि समाजवादी प्रणाली को समाप्त करने के लिए नव साम्राज्यवादी शक्तियां उसका प्रयोग कर रही हैं ।

ब्रातिसलावा व्यौरे में यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि साथी दल अपनी अखण्ड एकता साम्राज्यवादियों के प्रयत्नों के बारे में तीव्र सतर्कता और दूसरी सभी साम्यवादी-विरोधी शक्तियों का दृढ़तापूर्वक समतोलन करते हैं जिससे कर्मचारी वर्ग और साम्यवादी दलों के महत्वपूर्ण कार्य को कमजोर किया जा सके । ये दल समाजवादी पद्धति की नींव को कमजोर करने के लिए समाजवादी राज्यों के बीच में कभी भी किसी को फूट नहीं डालने देंगे । यह ब्रातिसलावा समझौते की आधार-शिला है और इसी कारण सभी दल एक हो गये हैं। परन्तु यह दुःख को बात है कि इस संकल्प के प्रस्तावक भारतीय संसद् द्वारा चैकोस्लोवाकिया की वीर जनता की सराहना इस भद्दे उद्देश्य से करना चाहते हैं कि उसका अर्थ ऐसे तरीके से लगाया जायेगा कि सारे संसार की सोवियत-विरोधी, समाजवाद विरोधी शक्तियों और प्रतिक्रियावादी शक्तियों को प्रोत्साहन मिले ।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि चैकोस्लोवाकिया की घटनाओं में साम्राज्यवादी शक्तियों की तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां देखने में आई । कोई भी संसद के पुस्तकालय में जा सकता है और समाचारपत्रों से मालूम कर सकता है कि बहुत पहले से साम्यवाद के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है । कुछ समाज-विरोधी तत्व निश्चय ही चैकोस्लोवाकिया को तैयार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस चाल के विरुद्ध समाजवादी पद्धति को तैयार करना पड़ेगा । ब्रातिसलावा सम्मेलन में यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है । ब्रातिसलावा विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि

चैकोस्लोवाकिया का साम्यवादी दल पांच अन्य देशों के साम्यवादी दलों से सहमत हो गया है कि जहां तक इन देशों की वारसा सन्धि और 'कोमेकान' की सदस्यता का सम्बन्ध है, उन्हें शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये क्योंकि साम्राज्यवादियों की तरफ से हमेशा खतरा बना हुआ है ।

श्री मनोहर लाल सोंधी (नई दिल्ली) : हमें प्रत्येक चर्चा में षडयन्त्र की गंध नहीं आनी चाहिये । यह संकल्प इसलिए पेश किया गया है कि हम राष्ट्रीय आधार पर चैकोस्लोवाकिया में दिलचस्पी लेते रहे हैं और अब भी राष्ट्रीय आधार पर दिलचस्पी लेनी चाहिये ।

चैकोस्लोवाकिया में राष्ट्रीय जागृति हुई है। उनका इतिहास भारत के इतिहास से मिलता जुलता है । महात्मा गांधी जैसा एक व्यक्ति तेलचिस्की तथा बाद में कोमिनियस नामक एक मानवतावादी व्यक्ति हुआ जो रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलता-जुलता है । लेकिन दुर्भाग्यवश कभी एक राष्ट्र में दुःखद घटना आती है । चैक लोगों को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा हैं । तेला होरा ने चैक लोगों को दास बनाया । लेकिन स्वाधीनता समाप्त होने पर भी चैक लोगों ने अपनी स्वाधीनता की भावना बनाई रखी । इसलिए हमें चैकोस्लोवाकिया के प्रश्न पर निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिये ।

चैक लोग रूस समर्थक हैं और वे कभी रूस विरोधी नहीं रहे । यह कहना ठीक नहीं है कि चैकोस्लोवाकिया का राष्ट्रीय मोर्चा एक दक्षिण पंथी संगठन है और वह साम्यवादी दल के महत्वपूर्ण कार्य के विरुद्ध है और चैकोस्लोवाकिया के समाचार-पत्रों में लेनिनवादी सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं किया गया और देश में सुधारवादी तथा क्रान्तिकारी-विरोधी दल हैं । चैकोस्लोवाकिया के लोग हस्तक्षेप न करने की नीति में विश्वास रखते हैं । वे समान शर्तों पर रूस से मित्रता करना चाहते हैं । आज प्राग का महत्व बहुत बढ़ गया है । यह नवीन यूरोप का एक मिलन केन्द्र है और यह भारत के लिए एक दुःखद दिन होगा जबकि प्राग के महत्व की उपेक्षा की जायेगी । इसलिए यह अधिक अच्छा होगा कि रूस सारी समस्या को समझे । हमारे वैदेशिक कार्यालय और प्रचारकों को उस प्रभाव का प्रयोग करना चाहिये ।

यह बहुत जरुरी है कि हम स्लोवाक लोगों के पुनरुत्थान को स्पष्ट रूप से समझे । नीचे से ही उत्तेजना है । स्लोवाक लोग अन्य स्लोवाक लोगों और चैक लोगों के साथ पारम्परिक सांस्कृतिक सम्बन्ध चाहते हैं । वे एक सच्चे ढंग का संघवाद और स्टालिन द्वारा सताये गये लोगों का पुनर्वास चाहते हैं । इसलिए हमें चैकोस्लोवाकिया की ओर एक नये दृष्टिकोण से देखना चाहिये ।

चैकोस्लोवाकिया के लोग राष्ट्रीय एकता कायम करना चाहते हैं । स्लोवाक और चेक लोग एक नये आधार पर एकता कायम करना चाहते हैं । वे एक राष्ट्रीय मोर्चा कायम करने के बारे में विचार कर रहे हैं । चैक और स्लोवाक लोग 21 वीं शताब्दी को हमारे और नजदीक ला रहे हैं । हमें इस नई घटना का स्वागत ही करना चाहिये । अपितु ब्रातिसलावा और प्राग की घटनाओं से अपना सम्बन्ध भी कायम करना चाहिये । हमें नहीं भूलना चाहिये कि पहले भी भारत ने चेकोस्लावाकिया के स्वतंत्र होने से पहले उस देश की विचारधारा को समुचित मोड़ देने में महत्वपूर्ण कार्य किया है । चैकोस्लोवाकिया के सैनिकों को, जो प्रथम विश्व युद्ध में

अपनी इच्छा के विरुद्ध आस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य की तरफ से लड़ रहे थे, टैगोर की 'गीतांजलि' और 'साधना' से धैर्य प्राप्त हुआ है। गुरुदेव स्वय भी वहां गये और भाषण दिया तथा उनकी काफी सराहना की गई। इसलिए हमें विशेष ज्ञान. ऐतिहासिक जानकारी तथा ऐसी जानकारी की आवश्यकता है जिसमें अन्ततः राष्ट्रीय आकांक्षाओं, राष्ट्रीय विगत तथा भविष्य का समझौता हो।

*पाकिस्तान द्वारा रोका गया भारतीय माल तथा साज-सामान

* INDIAN GOODS AND EQUIPMENT HELD BY PAKISTAN

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Pakistan had seized our goods and equipment worth Rs. 101 crores in the year 1965. Out of this they have confiscated goods and equipment worth Rs. 5 crores declaring them as war prize. We objected to it. Our representatives in the U.N. said that damage will be claimed for these goods. Has any action been taken in this regard ?

The Tashkent Agreement is a dead letter to-day, so far as Pakistan is concerned. They have implemented only one out of the nine items of agreement which is in regard to the withdrawal of the armed personnel. They have neither returned our goods nor fulfilled some other conditions. Still we have withdrawn from Haji Pir, Lahore and Sialkot. This is a great failure on the part of the Government of India. It is high time that the Tashkent Agreement should be abrogated.

It is unfortunate that the Government have unilaterally returned the goods to Pakistan. On the other hand, Pakistan has not only not returned our goods to us but it is selling our goods and using these articles.

A large number of Pakistani people are doing business or service in our country. In view of the fact that our protest notes have not produced any effect. Will the Government send these people back to Pakistan ?

The Enemy Property Act has not been enforced as rigorously as we wanted it to be. Its provisions should be reviewed and made applicable to all shares held by the Pakistani nationals in this country. It is also necessary that our policy in regard to trade and commerce towards Pakistan should be received. We should be have with them in the same manner in which they behave with us.

Shri George Fernandes (Bombay-South) : The question of goods seized by Pakistan should be raised in some international forum whether it be through U.N. or international court at Hague and efforts should be made to recover the goods from Pakistan.

Will the Government give something out of its own funds to the persons whose goods have been seized by Pakistan till the Government is able to secure back the goods ?

Will Government give some money to the persons belonging to the area now constituting Pakistan, whose postal life insurance policies have matured or to the legal claimants

*आधे घंटे की चर्चा।

*Half-an-hour discussion.

in the event of death of those policy holders till Pakistan settles this issue with the Government ? These persons have been paying their premia to the Government of India after 1947.

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : The Government of India tried their best to maintain friendly relations with Pakistan and for that matter they had to give certain concessions to Pakistan. The book under the title 'Friends' not masters' written by Gen. Ayub indicates that Pakistani people regard India as enemy No. 1. Keeping this thing in view whether Government is prepared to adopt a policy of tit for tat towards Pakistan ?

Have the Government chalked out a programme to give compensation to the persons whose goods are seized by Pakistan and also to get back those goods ?

Have the Governm nt thought, any other cause to make good the loss, if Pakistan is not prepared to return the goods ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commrece (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : At the time of Indo-Pak Conflict, Pakistan had seized property belonging to Indian nationals. and we had seized property belonging to Pakistani nationals. In the matter of the Tashkent Agreement, we released some of the Pakistani goods. Pakistan also released certain goods. As regards the question of sale of the Pakistani goods, the value of which is about Rs 27 crores, we have to hear in mind that if we sell these goods, Pakistan may also sell our goods, the value of which is more than Rs 100 crores.

It has been suggested that since Pakistan do not abide by the Tashkent Agreemuet, we should also bid good-bye to it. Our policy is to abide by every word of the Agreement. It is for the world to judge who is the defaulter.

It is not our intention to set up a prize court. The Government also do not intend to refer the matter to the international Court at present.

No agreement has been arrived at in regard to the question of payment of compensation by Pakistan. The matter was also taken up with Russia occasionally. We told Russia that we are Implementing the Tashkent Agreement but Pakistan is not responding.

It has been said that some money should be given by the Government to these persons whose property has been seized by Pakistan. We are holding Pakistani property no behalf of the enemies and Pakistan is holding similar property there. Under the law, till the final settlement is arrived at, it cannot be done.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सोमवार, 19 अगस्त, 1968 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 19 अगस्त, 1968/28 श्रावण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 19, 1968/ Sravana 28, 1890 (Saka).